पंचम माला, खंड 50, अंक 22, बुधवार, 19 मार्च, 1975/ 28 फाल्गुन, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. L, No. 22, Wednesday, March 19, 1975/ Phalguna 28, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

तेरहवां सत्र

Thirteenth Session

5th Lok Sabha

खंड 50 में अंक 21 से 30 तक हैं

Vol. L Contains Nos. 21 to 30

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में येदि गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजो म अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूचि/CONTENTS

अंक 22, बुधवार, 19 मार्च, 1975/28 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 22, Wednesday, *March 19, 1975/Phalguna 28, 1896* (*Saka*

विषय	SUBJECT	पृष्ट Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 404 से 410	*Starred Questions Nos. 404 to 410	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 411 से 423	Starred Questions Nos. 411 to 423.	16—23
तारांकित प्रश्न संख्या 3904 से 3978, 3981 से 3998, 4000 से 4036, 4038 से 4055 4057, और 4059 से 4107	Unstarred Questions Nos. 3904 to 3978, 3981 to 3998, 4000 to 4036, 4038 to 4055, 4057, and 4059 to 4107.	23—151
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	151—154
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	154
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अचानक बन्द किए जानें का समाचार	Reported abrupt closure of Banaras Hindu University	154
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	155
श्री डी० पी० यादव	Sh. D. P. Yadav.	156
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के एक कर्मचारी द्वारा आत्म हत्या करने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Suicide by an Employee of the Indian Council of Agricultural Research	159
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasahib P. Shinde	159
अनुदानों की मांग (रेलवे), 1975–76	Demands for Grants (Railways), 1975-76.	161
श्री दामोदर पांडेय	Shri Damodar Pandey	161

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य न वास्तव में पूछा था ।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was acutally asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री जे माता गौडर	Shir J. Matha Gowder	162
श्री यमुना प्रसाद मण्डल	Shri Yamuna Prasad Mandal	163
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	163
श्री ए० एस० कस्तूरे	Shri A. S. Kasture	164
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	164
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	170
विनियोग (रेल) विधेयक, 1975	Appropriation (Railways) Bill, 1975	172
पुर:स्थापित किये जाने का प्रस्ताव	Motion to Introduce	173
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	173
विचार किये जाने का प्रस्ताव	Motion to consider	173
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	173
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	173
पारित किये जाने का प्रस्ताव	Motion to Pass	174
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	174
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1974-75	Supplementary Demands for Grants (Railways) 1974-75	175
और	and	
अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेलवे), 1972-73	Demands for Excess Grants (Railways) 1972-73	175
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	181
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	182
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	183
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	183
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda	184
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	184

विषय	Subject	पृष्ट Pages
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma	184
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	184
श्री हुकुम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	185
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	185
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	
श्री राम कंवर	Shri Ram Kanwar	185
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	185
विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1975	Appropriation (Railways) No. 2 Bill 1975	187
पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किये जाने का प्रस्ताव	Motion to introduce, consider and pass.	187
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi.	187
विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1975	Appropriation (Railways) No. 3 Bill 1975	188
पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किये जाने का प्रस्ताव	Motion to Introduce, Consider and Pass	188
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	189

लोक-सभा वाद विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 19 मार्च, 1975/28 फाल्गुन 1896 (शक)

Wednesday, March 19, 1975/Phalguna 28, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अमरीका और पश्चिम जर्मनी को परमाणु संयंत्र के डिजाइन बेचने वाला भारतीय इंजीनियर

*404 **श्री राम प्रकाश :**

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या प्रमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी, 1975 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक भारतीय युवा इंजीनियर अमरीका और पश्चिम जर्मनी जैसे विकसित देशों को परमाणु संयंत्र के डिजाइन बेच रहा है और लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त):

(क) जी, हां

(ख) इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है ।

Shri Ram Prakash : This news published in "Hindustan Times" on 16th February, 1975. May I know whether the Government had any information in this regard before it came to light. If so, whether the Government have made any enquiry in this connection?

Shri K. C. Pant : Yesterday I talked to Dr. Sethna, the Chairman of the Atomic Energy Commission. He told me that he had come to know about it when this news appeared in the newspaper. They had not any information about it earlier.

Shri Ram Prakash : May I know who is conducting the enquiry in this regard and by which time it will be completed.

Shri K. C. Pant : Some Engineers of the Atomic Energy Commission will go to talk to them and they will see how they are functioning and what they are doing. Are they working on computer or they got some designing work from outside. The Engineer will find out exactly they are doing. I cannot correctly say that how much time it will take. First of all we should have talks with them and then we can come to know how they are functioning.

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरभद्र सिंह–यहां नहीं हैं ।

श्री समर गुह : मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि एक भारतीय युवा इंजीनियर परमाणु संयंत्र के डिजाइन बेच रहा है । क्या इसका अर्थ यह है कि वह परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा निर्मित संयंत्रों के डिजाइन बेच रहा है या स्वयं बनाए गए डिजाइनों को बेंच रहा है ? यह पहली बात है ।

यदि उत्तर हां में है कि वह परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा तैयार किए गए डिजाईनों को बेच रहा है तो फिर यह बड़ी खतरनाक बात है । जांच पड़ताल पर इतना अधिक समय क्यों लगाया जा रहा है ? क्या इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य जांच अधिकरण द्वारा नहीं की जानी चाहिए ? यह बड़ा गंभीर मामला है । सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल पकड़ा जाना चाहिए और यह शंका दूर करने के लिये कि वह परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा संयंत्रो के डिजाइनों को बेच रहा है, कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वह क्या बेच रहा है । किन्तु मैं माननीय सदस्य के ध्यान में सभी संगत तथ्य लाऊंगा । पहला यह है कि यह व्यक्ति परमाणु ऊर्जा आयोग में काम नहीं करता । दूसरे, अमरीका तथा पश्चिमी जर्मनी में स्थापित हो रहे रियेक्टर तथा पावर स्टेशन यूरैनियम पर आधारित हैं जिसे हम तारापुर में प्रयोग में ला रहे हैं किन्तु अन्य डिजाइन, जिसे हम अपने ही देश में तैयार कर रहे हैं, उस तरह का नहीं । मुझे पता नहीं कि उन देशों में इस तरह के डिजाइन में उनकी रूचि भी है या नहीं क्योंकि वहां नए प्रकार के डिजाइन बन गए हैं । समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से ऐसे लगता है कि इस व्यक्ति ने कुछ कम्प्यूटर का अध्ययन किया है । हो सकता है वह इस तरह का कार्य कर रहा हो । किन्तु जब तक पूरे तथ्यों का पता नहीं लग जाता तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता ।

श्री शंकर राव सावन्त : क्या आप उसका नाम बता सकते हैं और क्या आप बता सकते हैं कि उसके डिजाइन में कोई विशेषता है ?

श्री कृष्ण चन्द्रपंत : समाचार पत्रों में उसका नाम पहले ही आ गया है, श्री विरेन्द्र कुमार भल्ला । जैसा कि मैंने कहा है इसमें कुछ गहराई में जाने की आवश्यकता है ।

श्री कार्तिक उरांव : यह समाचार एक महीने पहले 16 फरवरी को प्रकाशित हुआ । मामला यह है कि यह इंजीनियर अमरीका में डिजाइन बेज रहा है और प्रश्न का दूसरा भाग है कि वह लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इस बात का सरकार को पता कब चला और तबसे सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । उन्होंने इन बातों का पहले ही उत्तर दे दिया है ।

डा० एच० पी० शर्मा : जिस ढंग से प्रश्न बनाया गया है, उससे ऐसे लगता है कि वह भारतीय इंजीनियर है । जिसके पास भारतीय पार पत्र है और उसने विदेशी मुद्रा विनियमों का उलंघन किया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उसे रिजर्व बैंक से अनुमति ले लेनी चाहिए थी । अन्यथा वह विदेशी मुद्रा का उपयोग नहीं कर सकता । आप इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ?

डा० एच० पी० शर्मा : यदि वह इसी देश में रहता है तो वहां काम कहां कर रहा है । क्या हमारी इस सम्बन्ध में उस देश से कोई संधि है ? मैं यही जानना चाहता हूं और इस मामले में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हो सकता है कि इस युवा इंजीनियर ने स्वयं ही यह जानकारी समाचार पत्र को दी हो जिसमें उसने इस तरह का कार्य करने का दावा किया हो ।

वह दिल्ली में रह रहा है । और मैं समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार से उदाहरण देता हूं।

> " वह इस कार्य को अमरीका की बजाय दिल्ली में ही करना बहुत लाभप्रद समझ रहा था क्योंकि उसे वहां बहुत अधिक किराया देना पड़ता" ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी क्या कोई बात छूट गई है ?

श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय श्रीमान श्री भल्ला एक प्रतिभाशाली इंजीनियर लगता है । भारत सरकार उसकी सेवाओं का उपयोग क्यों नहीं करती ? मैं मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझा कि आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी : जब कोई व्यक्ति अपना ज्ञान विदेशों में बेचने की स्थिति में है तो हम उसकी सेवाओं का उपयोग अपने ही देश में क्यों नहीं करते ? मेरा प्रश्न यही है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि आप उसकी राय के बारे में पूछ रहे हैं ।

मुफस्सिलों में डाक सुबिधाओं का विस्तार

*405. **श्री शंकर राव सावन्त :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुफस्सिलों में डाक सुविधाओं के विस्तार पर पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध का स्वरूप क्या है, इसके क्या कारण है और यह कब तक जारी रहेगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) बहुत बड़ी संख्या में डाकघरों के भारी घाटा उठाने की वजह से नये डाकघर खोलने के फार्मूले और नीति के समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इस बीच डाकघर खोलने पर एक अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। किंतु यह प्रतिबंध पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में नये डाकघर खोलने पर लागू नहीं है।

श्री शंकर राव सावंत : उत्तर में किसी फार्मूले का उल्लेख है। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे स्थानों पर नए डाकघर खोलने के लिए कौन सा फार्मूला है। प्रतिबन्ध कब लगाया गया था ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : प्रतिबन्ध 1973 में लगाया गया था। फार्मुला उस क्षेत्र की जनसंख्या तथा डाकघरों की आय पर आधारित है।

श्री शंकर राव सावन्त : यदि वह कहते हैं कि जहां तक पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उन पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होता। मैं कोलाबा जिले के देवपुर स्थान में एक डाकघर की स्थापना के लिए गत चार वर्षों से प्रयास कर रहा हूं किन्तु हर बार मुझे यह कह दिया जाता है कि प्रतिबन्ध है और इसलिए वहां कोई डाकघर नहीं खोला जा सकता। पिछड़े क्षेत्रों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह सही नहीं है। प्रतिबन्ध अगस्त, 1973 में लगा था। जहां तक कोंकण क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैंने गत सत्र में एक प्रश्न के उत्तर म कहा कि कोंकण क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है हमारे पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया। यदि माननीय सदस्य लिखकर मुझे दें तो मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि डाकघरों में घाटा हो रहा है, इसलिए उन्होंने नए डाकघर खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि डाकघर विशेषरूप से जनता के उपयोग की सेवा है। अतः यहां लाभ को मुख्य आधार नहीं माना जाना चाहिए। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर बंगाल, नागालैंड, मिजोरम आदि सहित पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने पर लगा प्रतिबन्ध कब हटा देंगे। यह प्रतिबन्ध कब हटेगा और इन पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में नए डाकघर कब खोले जायेंगे ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सार्वजनिक टेलीफोन लगाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पिछली सीटों पर बैठे हुए लोगों की ओर देख रहा हूं। मेरा ख्याल है उन्हें इसमें कोई रूचि नहीं है।

श्री राम सहाय पांडे : अब मैं पीछे बैठा हूं।

श्री डी० बसुमतारी : क्या यह सही है कि यदि डाकघर खोलने हों तो कुछ शर्तें होती है कि जब तक वह जनता द्वारा पूरे भुगतान किए जाने पर आत्म निर्भर नहीं हो जाता उसे सरकार नहीं चला सकती। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की शर्तें पिछड़े क्षेत्रों पर भी लागू होती हैं?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह सही नहीं है। जहां तक पिछड़े, आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्रों का संबन्ध है, उन्हें यथा संभव रियायत दी जाती है। यदि पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भी आय हो तो वहां हम डाकघर खोल लेते हैं।

श्री राम सहाय पांडे : चूंकि डा० शर्मा भी मध्य प्रदेश के हैं और वह जानते भी हैं कि डाकघर के मामले में मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, तो क्या वह कोई इस तरह की योजना बनाने की सोच रहे हैं ताकि वहां अधिक डाकघर खोले जायें?

संचार मंत्री (श्री शंकर दयाल शर्मा) : निस्संदेह डाक तार सम्बन्धी सुविधाओं के मामले में मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। कोई डाकघर जितने क्षेत्र में कार्य करता है, उसकी अखिल भारतीय औसत 27.37 किलो मीटर है जबकि मध्य प्रदेश में यह औसत 70.9 किलो मीटर है। मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं कि समूचे देश में पिछड़े क्षेत्रों की हम सहायता कर सकें। फिर भी मैं उल्लेख कर दूं कि डाक कार्य बहुत घाटे में चल रहा है और घाटा भी हम। किसी सीमा तक वर्दास्त कर सकते हैं। जब 1973 में हमने देखा कि 11 करोड़ रुपये के घाटे में से 5.5 करोड़ रुपये का घाटा इन शाखा डाकघरों से हो रहा है तो हमने अगस्त, 1973 में नए डाकघर खालने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। दुर्भाग्य से यह घाटा बढ़ता ही जा रहा है और इस वर्ष इसकी 33 करोड़ रुपये और अगले वर्ष 50 करोड़ रुपये का घाटा होने की सम्भावना है। स्वाभाविक रूप से वर्तमान अर्थव्यवस्था में इतना घाटा सहन नहीं किया जा सकता जब तक कि माननीय सदस्य अन्तर्देशीय डाक पर अतिरिक्त कर लगाने का विरोध न करें। हम हर संभव प्रयासकर रहे हैं। पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

माननीय सदस्य यह सुनिश्चित करके कि डाकघरों में अधिक पत्र लिखे जायें और अधिक पैसा जमा किया जाये, हमारी सहायता कर सकते हैं। इससे काम में वृद्धि होगी और अधिक डाक घरों को खोलने का बहाना मिल जायेगा। साथ ही नियम यह है कि यदि बचत निधि लेखा में अधिक पैसा होगा तो इसका दो तिहाई पैसा राज्य सरकार को विकास प्रयोजनों के लिए चला जाता है।

श्री था किरुतिनन : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से यह सपष्ट है कि यह प्रतिबन्ध आंशिक रूप से है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रतिबन्ध आंशिक है यहा समग्र रूप से। यदि यह आंशिक रूप में है तो पोस्ट मास्टर जनरल आम प्रतिबन्ध के रूप में इसकी गलत व्याख्या कर रहा है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नीलूकोटाई में एक डाकघर

है, जो कि लाभप्रद डाकघर समझा जाता है और इसकी स्वीकृति दो वर्ष पूर्व दी गई थी क्योंकि यह ग्राम प्रतिबन्ध समाप्त नहीं किया गया था मने यह स्थिति पोस्ट मास्टर जनरल को बतायी। उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि यह ग्राम प्रतिबन्ध है ग्रतः इसे नहीं खोला जा सकता।

डा० शंकर दयाल शर्मा : जैसा कि मैंने कहा है कि पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य क्षेत्रों नें नए डाकघर खोलने पर प्रतिबन्ध लगा हुग्रा है। तमिलनाडु में ग्रखिल भारतीय ग्रौसत, जो 27.37 किलोमीटर है, इसकी तुलना में 11.97 किलो मीटर है। वहां 11.97 किलोमीटर क्षेत्र के लिए एक डाकघर है। तब भी वहां कोडैकनल पर्वतीय क्षेत्र नए डाकघर खोलने के मामले में पिछड़ा क्षेत्र समझा जाता है।

श्री पी० गंगादेव : श्रीमान् मुद्रा स्थिति का सामना करने तथा बचत को बढ़ाने की ग्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्रों में ये डाक घर धनी किसानों से पैसा जमा करवाने में कहां तक सफल हुए हैं ग्रौर क्या सरकार का विचार उन लोगों से बचत करवाने के लिए उन्हें ग्रधिक प्रोत्साहन देने का है ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : यह तो वहां क नेताग्रों तथा वहां के लोगों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि मैंने इस सभा में बताया कि इन डाकघरों में जो ग्रतिरिक्त पैसा जमा किया जाता है . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है।

डा० शंकर दयाल शर्मा : मैं इसका विशिष्ट उत्तर दे रहा हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रापने पर्वतीय क्षेत्रों का उल्लेख किया है। मेरा विचार है कि ग्रापको सीमावर्ती क्षेत्रों को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि वे बुरी तरह युद्ध ग्रस्त क्षेत्र हैं। इनमें मेरा क्षेत्र भी ग्राता है।

डा० शंकर दयाल शर्मा : श्रीमान् हमने समूचे हिमाचल प्रदेश को पिछड़ा हुग्रा क्षेत्र माना है। जैसा कि उपमंत्री ने कहा है हम इस पर पुनः विचार कर रहे हैं ग्रौर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस दिशा में कुछ किया जाये : हमें ग्राशा है कि मार्च के ग्रंत तक रिपोर्ट ग्रा जायेगी। जैसा कि ग्राप जानते हैं एक ऐसी योजना है जिसके ग्रंतर्गत उन लोगों को लाटरी के पुरुस्कार दिए जाते हैं। जिनके 200 रुपये या उससे ग्रधिक डाकघरों में लगातार 6 महीनों तक जमा हों। उन्हें लाटरी का टिकट खरीदने की भी ग्रावश्यकता नहीं।

ग्रध्यक्ष महोदय : मेरा एक सुझाव है। जैसा कि पंजाब सरकार ने किया है कि प्रत्येक विधायक के पास पांच स्कूल होंगे। ग्राप प्रत्येक संसद सदस्य को 20 डाकघर दीजिए। सारी समस्या हल हो जायेगी।

प्रो० मधु दण्डवते : यह स्पष्ट हो जाये कि एम० पी० का ग्रर्थ संसद सदस्य है न कि मध्य प्रदेश।

ग्रध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि ग्राप बिल्कुल सही हैं। वे पैदा ही संसद सदस्य हुए हैं।

कारों की मालिकों द्वारा बिक्री पर लगा प्रतिबन्ध हटाना

*406 **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों की मालिक द्वारा बिक्री पर लगा प्रतिबन्ध हटाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केवल एक मेक की कारों अर्थात् प्रीमियर प्रेसिडेंट (जिसे अब प्रीमियम पद्मिनी कहा जाता है) के वितरण पर नियंत्रण है। सरकार इस मेक की कारों की पुनः बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में किसी प्रकार की ढील देने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है।

श्री डी० डी० देसाई : महोदय, कारों तथा पेट्रोल के मूल्यों में भारी वृद्धि होने के कारण कारों का उत्पादन बहुत घट गया है। मंत्रालय ने सामुहिक परिवहन की नीति अपनाई है। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार ने मोटरगाड़ी निर्माताओं की फालतू क्षमता का सामुहिक परिवहन के वाहनों के निर्माण हतु कोई पग उठाया हैं और क्या पेट्रोल में बचत करने तथा पेट्रोल के विकल्प हेतु कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : सरकार की नीति यह है कि सामुहिक परिवहन के वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाये। जहां तक पेट्रोल बचाने कें प्रश्न का सम्बन्ध है, इस के लिये अनेक संस्थान अनुसंधान कर रहे हैं तथा उन्हें हर प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं ताकि पेट्रोल बचाने का कोई नया तरीका निकाला जा सके।

श्री डी० डी० देसाई : मैंने पूछा है कि क्या कोई महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : पेट्रोल की खपत में बचत करने हेतु व्यक्तिगत रूप से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं, परन्तु अभी तक कोई आशातीत सफलता नहीं मिली है। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हमें इस दिशा में सफलता प्राप्त हो।

Rate per unit of Power Supplied to Madhya Pradesh from Matatila

***407. Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) Whether in the Central Zonal Council, both the Uttar Pradesh and Madhya Pradesh agreed to the average rate of 6·5 paise per unit in case of power supply primary as well as secondary, from Matatila against the share of Madhya Pradesh ; and

(b) If so, the reasons for which Uttar Pradesh is charging at the rate of 8·5 paise per unit from Madhya Pradesh ?

The Minister of Energy (Shri K. C. Pant) (a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) & (b) In the 6th meeting of the Central Zonal Council held in July 1963, it was decided that Uttar Pradesh would make available to Madhya Pradesh 1/3rd of power based on energy available at Matatila from year to year at cost plus 5%. It was further decided that the price would be worked out by a Committee with the Union Secretary, Irrigation and Power as the Chairman, and this price was to be accepted by the concerned States and was subject to review once in 10 years. The Committee worked out the cost of supply and recommended that power may be supplied at the average rate of 6·5 paise/unit (average cost of generation of available energy both firm and secondary energy plus 5%). In order to avoid any possible difficulties, this Committee further made it clear in their recommendations that the cost of primary (firm) energy plus 5% according to its estimate came to 8·5 paise/unit. Uttar Pradesh has been charging at the rate of 8·5 paise/unit on the ground that Madhya Pradesh has been drawing only firm energy.

Shri Hukam Chand Kachwai : The statement placed on the Table of the House does not contain comprehensive reply of my question. Matatila dam has been constructed on the soil of Madhya Pradesh and the major part submerged by it is in Madhya Pradesh. The dam has been constructed by the Government of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. I want to know the share of each Government in the construction thereof. The total power generated so far and the power supplied to Madhya Pradesh?

Shri K. C. Pant : I have replied the Hon. Member's question. Now it is a second question. I had made a reference about the discussions held in the meeting of the Central Zonal Council, because it was asked by him whether the matter was discussed in the Central Zonal Council. Madhya Pradesh has been supplied 99·5 million units of power out of the total generation and so far as the question of submersion of land is concerned the fact is that the bulk of the catchment area and major part submerged is in Madhya Pradesh.

Shri Hukam Chand Kachwai : I have asked about the total power generated so far and the percentage of power supplied to Madhya Pradesh out of that. Is it a fact that Uttar Pradesh Government are not implementing the decisions taken at the sixth meeting of the Central Zonal Council and if so, the steps taken by Central Government to ensure their implementation?

Shri K. C. Pant : The dispute between the two States is that according to Madhya Pradesh the rate of 8·5 paise per unit is on the high side and it should be 6·5 per paise unit. Whereas according to Uttar Pradesh it should be 8·5 paise per unit. It was to solve this dispute that the 10th meeting of the Central Zonal Council was held in July 1973 and it was decided therein that

the dispute should be solved by both the States with mutual consultations and in case Central interference is considered necessary, the Centre could be represented by the engineers of C.P.W.C. and C.E.A. Attemps have twice been made to convene the meeting but no meeting has been held so far. We want that the meeting should be held as early as possible so that both the states could have mutual consultations.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know as to why Uttar Pradesh is not implementing the decision arrived at before the construction of the dam and why they are evading to implement the decision taken in the sixth meeting. They do not want to supply power to Madhya Pradesh and their argument is that the matter is under dispute.

Shri K. C. Pant : Mr. Speaker Sir, I have stated in the statement placed on the table as to what decision was taken at the sixth meeting of the Central Zonal Council. So far as the prices are concerned it was decided there in that the prices would be worked out by a Committee as the Union Secretary. Irrigation and Power as its Chairman. The committee was constituted and the prices were worked out by them. Uttar Pradesh is charging those prices. But Madhya Pradesh is not satisfied. No doubt Madhya Pradesh is making payments but it wants refund. It is a question of about Rs. 19 lakhs. The contention of Uttar Pradesh is because they are supplying primary energy, therefore the price should be 8 per cent, whereas Madhya Pradesh is of the opinion that the price should be 6 per cent whether the energy be primary or secondary. So we are trying to solve this dispute through the Council, but we have not been successful so far.

Shri Nathu Ram Ahirwar : At the time of the construction of Matatila Dam 17 villages of Madhya Pradesh were submerged and the people of those villages were rendered homeless and landless. I want to know the steps taken to rehabilitate them and whether any compensation has been paid to them. It was agreed at that time that 33 per cent power from Uttar Pradesh would be supplied to Madhya Pradesh, but Uttar Pradesh is not honouring its commitment as usual. The same has happened in the case of Ranua Dam. So I want to know as to what agreement was made, how many units and what percentage of power was to be supplied to Madhya Pradesh?

Shri K. C. Pant : Mr. Speaker, Sir, as I have already submitted it was decided in the Central Zonal Council that 33% power of the total generation would be supplied to Madhya Pradesh. In this connection a Committee was constituted under the Chairmanship of Shri Sachdev, Secretary, Irrigation and Power. I am quoting from their report, "Power will be supplied up to a ceiling of 33 per cent".

So far as the question of generation is concerned, I do not have the figures regarding that with me. I have figures pertaining to two years i.e. 1972-73 and 1973-74. The generation during these years had been 118 million units in 1972-73 and 126 million units in 1973-74.

Shri Lal ji Bhai : The major part submerged the dam was in Madhya Pradesh and numerous people were rendered homeless. I want to know the steps taken for the rehabilitation of those persons and whether Government are considering any proposal to allot land to them and if so the acreage of land proposed to be allowed to them?.

Shri K. C. Pant : The project was started in 1960 and completed in 1965. Ten years have since elapsed. I do not have the information about the persons displaced from there and rehabilitated at other places.

Shri Narsingh Narain Pandey : As the Hon. Minister has just stated, that an expert Committee was constituted and they have not been able to arrive at any decision, I want to know whether any attempt was made to convene the meeting of the Chief Ministers of both the States to solve the difficulties?

Shri K. C. Pant : I have not said that the expert Committe was unable to arrive at any decision. The expert Committee have given their decision and that was accepted by the Zonal Council. But some differences arose thereafter about the interpretation of the decision between the Governments of both the States and hence a second meeting of the Zonal Council was convened in which it was decided that the matter should be settled in a meeting of the Chairman of Electricity Boards of both the States, Secretary, Irrigation & Power and a member of C.P.W.C. As I have stated the meeting was fixed twice but it had not so far been possible to hold the meeting. Attempts are being made to hold the meeting.

Shri Chandra Bhal Mani Tiwari : Mr. Speaker, Sir, from the figures given by the Hon. Minister it is evident that only 12 per cent power has been supplied, whereas the agreement was for 33 per cent. I want to know as to why the Government did not consider it necessary to take immediate action when the supply was reduced to 12 per cent.

Shri K. C. Pant : The dispute is going on since last many years. I was told by the Ministry that the power position of Madhya Pradesh has not been much unsatisfactory and perhaps that is the reason emphasis was not given on percentage share. But after some year the power supply decreased to a very great extent which is evident from the figures of 1973-74 furnished by me. Then I asked whether any objection was raised by Madhya Pradesh and I was told that no objection was raised by them. But I can't say definitely whether any objection was raised or not. But so far as my knowledge goes no objection was raised.

Dr. Laxminarain Pandeya : The question is clear. There was no justification for like in the price of power to be supplied to Madhya Pradesh and Uttar Pradesh has no right to raise the price of power from 6·5 paise to 8·5 paise. So I want to know as to what steps are being taken in this regard.

Shri K. C. Pant : I do not want to express my view in this regard, because it may lead to certain complications. and thereby the purpose of mediation may be frustrated.

Dr. Kailas : It is evident from the questions asked by the Hon. Members and the replies given by the Hon. Minister that justice had not been done with Madhya Pradesh. We should consider power generation as a national property and in case Uttar Pradesh is in greater need of power than Madhya Pradesh in that case more power can be supplied to Uttar Pradesh despite the contrary provisions in the agreement, but there was no justification for Uttar Pradesh to charge more price from Madhya Pradesh than provided for in the agreement. So I want to know whether increased price has been charged from Madhya Pradesh and if so, an immediate decision should be taken in this regard.

Shri K. C. Pant : The first point is about the share of Madhya Pradesh in the power generated from Matatila and the second point is about the demand of each of these **two** States. If that situation comes that agreement is reached between two states about the share of power on the basis of their demand, and if some change is required in the agreement that it should be done with the consent of both the States. It was told by my Hon. friend Shri Hukam Chand that contribution was made by Madhya Pradesh also in the cost of construction and he also asked about the figures of the cost. The cost of the dam has been Rs. 8 crores and nothing was contributed by Madhya Pradesh.

हिमाचल प्रदेश में ब्लाक हैडक्वार्टर्स में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

*408. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जुलाई, 1974 को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के प्रयोजन के लिये ब्लाक हैडक्वार्टस को कैटेगरी स्टेशनों के रूप में घोषित किये जाने के बाद डाक-तार विभाग ने हिमाचल प्रदेश तथा अन्य पहाड़ी राज्यों में ब्लाक हैडक्वार्टर्स में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलनें का कोई प्राथमिकता दी है ;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में उन ब्लाक हैडक्वार्टर्स के नाम क्या हैं जहां उक्त निर्णय के बाद सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की मंजूरी दी गई है और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोल दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और राज्य में ब्लाक हैडक्वार्टर्स में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की व्यवस्था संभवतया किस तारीख तक कर दी जायेगी ?

संचार **मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया)** : (क) घाटा उठाकर सार्वजनिक टैलीफोन घर खोलने के लिए ब्लाक हैडक्वार्टर्स को कैटेगरी स्टेशन घोषित किया गया है लेकिन हिमाचल प्रदेश और दूसरे पहाड़ी राज्यों में ऐसे स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए अन्य स्थानों की अपेक्षा प्राथमिकता नहीं दी गई है।

(ख) हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित ब्लाक हैडक्वार्टरों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन घर मंजूर किए गए हैं :

1. भुरज, 2. धरमपुर, 3. मेहला, 4. नगरोटा सुरियान, 5. झंडुट्टा।
इन मंजूर सार्वजनिक टेलीफोन घरों में से अभी कोई भी नहीं खोला गया है।

(ग) आवश्यक भंडार के प्राप्त हो जाने पर, जिनके लिए मांग भेजी हुई है, ये सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिए जाएंगे। ये कब तक खुल जायेंगे, यह भंडार की प्राप्ति पर निर्भर करेगा।

Prof. Narain Chand Parashar : I am happy to note that Block Development Headquarter would now be the centre of new development but I regret that no P.C.O. has been opened even after eight months. May I hope that this work will be done more expeditiously ?.

Shri Jagannath Pahadia : He can hope so.

Prof. Narain Chand Parashar : He has not mentioned Bangana Block Headquarter in H. P. which falls in my constituency. Whether P.C.O. would be opened there also?.

Shri Jagannath Pahadia : Apart from Bangana, we have sanctioned two more P.C.Os. for Lambagaon and Chirgaon.

Shri Paripoornanand Painuli : According to a note sent to us by the Postmaster, General, U. P., long distance P.C.Os. were proposed to be opened at 21 places in 8 Hill districts of U. P. in 1973 but this has not been done so far. He had also proposed setting up of telephone exchanges at 55 block Headquarters in Hill districts of U.P. which are not only backward but are sensitive border areas too. I, therefore, want to know whether top priority would be given to this?

Shri Jagannath Pahadia : Some days back it was decided that all block headquarters would be made category stations and it includes not only U.P. but block headquarters of the entire country. P.C.Os. would be provided subject to their fulfilling the conditions laid down by us.

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कोयला खानों क राष्ट्रीयकरण को चुनौती दिया जाना

*499. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की वैधता को चुनौती दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) कोयला कंपनी को दी गई भारी राशियों की वसूली के सम्बन्ध में अपने हितों की रक्षा की दृष्टि से इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता ने सितम्बर, 1974 में कोयला खान प्राधिकरण तथा इक्विटेबल कोल कंपनी लि० के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। किन्तु अब बैंक ने सरकार के परामर्श से इस मामले पर फिर से विचार किया है और सूचित किया है कि वह याचिका को वापस लेने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके, इसके लिये मैंने अपने साथी श्री प्रणव कुमार मुखर्जी को अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर देने का अनुरोध किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि दिया गया उत्तर पूरा नहीं है। क्योंकि इसमें प्रश्न प्रथम भाग में उठायी गयी अनेक बातें नहीं बतायी गयी हैं। मेरे प्रश्न के उक्त भाग के अनुसार मैंने पूछा था कि क्या इलाहाबाद बैंक सहित किसी अन्य सरकारी बैंक में कोयला खानों की राष्ट्रीयकरण की वैधता को चुनौती दी है। परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया। दूसरे क्या उन्होंने राष्ट्रीयकरण के वैधता को भी चुनौती दी है। इसका उत्तर भी हां या न में नहीं दिया गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : इलाहाबाद बैंक का आशय कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की वैधता को चुनौती दना नहीं था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे आशय से कुछ नहीं लेना है। क्या यह सच है कि न्यायालय में दायर किये गये मामले में राष्ट्रीयकरण को चुनौती दी गयी थी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिये उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें वह चाहते थे कि कोयला खान राष्ट्रीयकरण खान अधिनियम की धारा 3 के बारे में कुछ स्पष्टीकरण हो सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और वैधता के बारे में ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : वैधता के बारे में नहीं। वे यह चाहते थे कि इक्वीटेबल कोल कम्पनी के मुहानों पर पड़े भंडार के बारे में न्यायालय से आदेश प्राप्त किया जा सके ताकि उन्हें कम्पनी से अपनी रकम मिल सके। यह याचिका राष्ट्रीयकरण की वैधता के बारे में नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किन्हीं अन्य बैंकों ने ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हो सकता है उन्हें कोई जानकारी न हो क्योंकि यह बात भी सरकार द्वारा नहीं बतायी गयी थी। यह बात भी तभी पता लगी जब कुछ सदस्यों ने सक्रिय हो कर इस पर प्रकाश डाला।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : और किसी बैंक ने कोई याचिका दायर नहीं की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले यह बताया जाये कि कितनी राशि का दावा इलाहाबाद बैंक ने किया है। और उन्होंने इक्वीटेबल कोल कम्पनी या और किस कम्पनी को धन ऋण के रूप में दिया था जो अब कोयला खान प्राधिकरण के अधीन हैं :

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इक्वीटेबल कोल कम्पनी से एक करोड़ बाइस लाख रुपये उन्होंने लेने हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कोयला खान प्राधिकरण के बारे में क्या समाचार है।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह राशि इक्वीटेबल कोल कम्पनी से लेनी थी। जब सभी आस्तियां कोयला खान प्राधिकरण के अधिकार में चली गयीं तो यह राशि उक्त प्राधिकरण द्वारा देय हो गयी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार को यह सूचना है कि क्या गैर कोक कर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय अर्थात् जनवरी 1973 में शायद कुछ खानों को इसका आभास हो गया था और उन्होंने इन राष्ट्रीयकृत बैंकों से मोटी रकमें ऋण के रूप में ले लीं थीं ताकि उन्हें इनका भुगतान न करना पड़े।

क्या इस बात का उन्हें पता है और क्या वह सभा को इसके बारे में कुछ बतायेंगे ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक इसका सम्बन्ध है मुझे जानकारी एकत्र करने में कुछ समय लगेगा।

श्री न्द्रजीत गुप्त : क्यों ? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। उन्हें इस प्रश्न के उत्तर के लिये सभी जानकारी लेकर यहां आना चाहिये था।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मूल प्रश्न इलाहाबाद बैंक के बारे में इस विशेष मामले के संदर्भ में था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न में स्पष्टतया सरकारी बैंकों का उल्लेख है।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : अन्य बैंकों ने कोई मुकदमा दायर नहीं किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपके मंत्रालय में ऐसी जानकारी है कि राष्ट्रीयकरण के समय कितनी कोयला खानों ने मोटी रकमें सरकारी बैंकों से ऋण के रूप में ली ताकि राष्ट्रीयकरण के बाद उन्हें उनका भुगतान न करना पड़े ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हम मूल प्रश्न से इतने आगे नहीं जा सकते। हमें जानकारी एकत्र करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकर दयाल सिंह।

Shri Shankar Dayal Singh : I want to know whether the Allahabad Bank or other Nationalised Banks consulted Government before challenging the validity of Nationalisation of these coal Mines and whether he knew it before hand?.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं बता ही चुका हूं कि राष्ट्रीयकरण की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है। केवल इलाहाबाद बैंक ने अपने हितों के रक्षार्थ ऐसा किया है। बैंक स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं अतः उन्हें सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Shankar Dayal Singh : Government is evading facts. Shri Gupta's question was very clear and specific but it was not answered.

(*Interruptions*).

Mr. Speaker : This is the same question which was earlier asked by Shri Gupta. The information about second question is not with them.

Shri Shankar Dayal Singh : I want a specific reply to the question whether Government was consulted before going to the Court?.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं बता चुका हूं कि सरकार से नहीं पूछा गया था ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि कोयला खानों द्वारा इस प्रकार लिए गए ऋण कैसे वसूल किए जाएंगे ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह सारा मामला दूसरे मंत्रालय के साथ विचाराधीन है और इस पहलू पर उचित ध्यान दिया जा रहा है ।

Shri Damodar Pandey : Whether some IAS officers and other Government Departments have also Challenged the validity of nationalisation Act ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं बैंक के बारे में ही उत्तर दे सकता हूं ।

Journalists invited by Delhi Station of AIR for participation in various programmes

***410. Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of journalists invited by the Delhi Station of the All India Radio during the last three years to participate in various programmes; and

(b) the names of those journalists and also of the news agencies and newspapers with which they are associated?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 1972–74 के दौरान 456 ।

(ख) एक विवरण सदन के मेज पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9233/75]

Shri R. V. Bade : The statement contains names of 456 persons. I want to know who selects these journalists and whether there is any criteria for such selection?

Shri Dharam Bir Sinha : Selections of the journalists is made by the in-charges of different programmes of All India Radio. Selection of Journalists of Current Affairs and Spot Light is made by the Director of News services and selections of journalists for Delhi Station of A.I.R. is made by the Directors of Delhi Station.

Shri R. V. Bade : I want to know whether the selection is made on political considerations? Persons having 20 years experience are not called and those who find favour are called. What the Hon. Minister has to say in this regard?

Shri Dharam Bir Sinha : The selection is no made on political considerations. Special aptitude, efficiency, knowledge of a journalist guide his selection. It is also seen how quickly they can contact the A.I.R. and prepare scripts.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

मद्रास परमाणु बिद्युत परियोजना का विस्तार

*411. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का विस्तार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतिरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नियुक्त की गई स्थल चयन समिति ने दक्षिणी बिजली क्षेत्र में बिजलीघर लगाने के उपयुक्त क्षेत्रों के बारे में विचार करने के साथ-साथ कलपक्कम की मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के विस्तार के बारे में भी विचार किया है। सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा उसका अध्ययन किया जा रहा है।

औद्योगिक लाइसेन्स देने में क्षमता निर्धारण समाप्त करने का लघु उद्योग क्षेत्र पर प्रभाव

*412. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या उद्योगिक और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लाइसेन्स देने के मामले में क्षमता निर्धारण समाप्त करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इसका लघु क्षेत्र के उद्योगों पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) क्षमता निर्धारण समाप्त करने का कोई विचार नहीं है अपितु उसे युक्ति युक्त बनाने तथा चीनी, सूती वस्त्र जैसे उद्योगों में पहले से ही लागू निविष्ट साधनों और मशीनी क्षमता के संदर्भ में क्षमता निर्धारण के प्रतिमानों का जहां कहीं संभव हो, विस्तार करना है ताकि लाइसेन्सीकृत क्षमता सम्बन्धी धारणा को और अधिक स्पष्ट किया जा सके तथा उन्हीं उपकरणों से अधिक उत्पादिता के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करने की सम्भावना पैदा की जा सके। अत्यधिक महत्व की वस्तुओं जैसे औद्योगिक मशीनों और हाथ के औजार उद्योगों में लाइसेन्स प्राप्त क्षमता की सीमा के भीतर के उत्पादन में विविधीकरण के द्वारा और अधिक लोच लाने का भी विचार है ताकि

मशीन निर्माण क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके और एक विशिष्ट उत्पाद की मांग में अस्थाई मन्दी आ जाने के कारण अन्य उपकरणों जिन की मांग विद्यमान हो सकती है तथा जिनके लिए उस समय अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया जा सकता है, के उत्पादन में कठिनाई उत्पन्न न हो।

सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संस्थाओं के कार्यकरण में समन्वय लाना

*413. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसी अनुसन्धान संस्थाओं के कार्यकरण में समन्वय लाने का कोई प्रस्ताव है जिनका वित्त पोषण सरकार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं ; और उनको कितना अनुदान दिया जाता है ; और

(ग) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। फिर भी सरकार ऐसे मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है जिनका स्वरूप अन्तर-अनुशासनीय एवं बहु-संस्थानीय होगा, इसके उदाहरण हैं :—मिश्र तंतु (फाइबर) परियोजना, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग, प्रोटीन, उर्वरक तथा ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में शैवाल का उपयोग।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

थीन बांध के निर्माण के लिए एक बोर्ड का बनाया जाना

*414. **श्री सरजू पांडे :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थीन बांध के निर्माण के लिए पंजाब सरकार ने बोर्ड या निगम बनाने का कोई नया प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार है कि व्यास बोर्ड में जिन राज्यों के प्रतिनिधि नहीं हैं उनके प्रतिनिधि समान संख्या में सम्मिलित करके, उसे थीन बांध का निर्माण कार्य सौंप दिया जाये ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रसारण केन्द्रों की व्यवस्था

*415. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे क्षेत्रों में प्रसारण केन्द्रों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जहां पर समाचार पत्रों, चलचित्रों और थियेटरों जैसे जन-संचार माध्यम का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है ;

(ख) क्या अधिकांश प्रसारण केन्द्र सामान्यतः ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां जन-संचार माध्यम की पर्याप्त व्यवस्था है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान असन्तुलन को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) से (ग) आकाशवाणी का लक्ष्य अन्ततः जनसंख्या और क्षेत्र दोनों की दृष्टि से देश के सभी भागों में 100 प्रतिशत मीडियम वेव प्रसारण सेवा की व्यवस्था करना है। तथापि, साधनों की कमी के कारण विकास योजनाएं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं । उपलब्ध धन राशि के अन्दर, तरजीह उन जनजाति और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में रेडियो स्टेशनों को दी जा रही है जहां प्रसारण सेवा की व्यवस्था नहीं है और जिनमें जन सम्पर्क के अन्य पर्याप्त विकसित माध्यम नहीं हैं ।

भाषायी समुदाय

*416. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 की अन्तिम जनगणना के दौरान की गई परिगणना के अनुसार भाषायी समुदाय के आंकड़ों को प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन आंकड़ों को काफी पहले एकत्रित कर लिया गया था ;

(ग) क्या हिन्दी भाषी जनसंख्या की प्रतिशतता में कमी होने के बारे में शक्तिशाली संगठनों द्वारा आपत्ति किये जाने के कारण इन आंकड़ों के प्रकाशन को रोक दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की आपत्तियां की गई हैं और किन-किन संगठनों तथा व्यक्तियों ने ये आपत्तियां उठायी हैं; और

(ङ) भाषायी जनसंख्या के बारे में आंकड़ों को कब प्रकाशित किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

19 मार्च, 1975 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 416 के उत्तर में उल्लिखत विवरण

(क) 1971 की जनगणना से भाषा आंकड़ों के अस्थाई आंकड़े 1972 में प्रकाशित किए गए थे। जनसंख्या आंकड़ों की पाकेट बुक में संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के बोलने वालों के आंकड़े दिए हुए हैं (पृष्ठ 32—35) । जनगणना (जनगणना शताब्दी प्रबंध नं० 10) में मातृ-भाषाओं से संबंधित भाषा हस्त पुस्तक में देश के स्तर पर मातृ-भाषाओं, जिसमें से प्रत्येक के बोलने वालों तथा उपरोक्त की संख्या 5,000 है, के अस्थाई आंकड़े दिए हैं।

(ख) जनगणना आंकड़ों का संकलन विभिन्न अवस्थाओं में (क्षेत्र, योग, क्षेत्रीय सारणी कार्यालयों में संकलन, राज्य सारणी कार्यालय में संकलन, महापंजीकार के कार्यालय में संकलन) किया जाता है। मातृ-भाषा आंकड़ों के बारे में अन्तिम संकलन तथा संवीक्षा का कार्य अब लगभग पूरा होने वाला है ।

(ग) अस्थाई आंकड़ों के दो प्रकाशन 1972 के आरम्भ में प्रकाशित हुए । उस समय कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें कहा गया था कि मातृ-भाषाओं के बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी वर्गों को हिन्दी में शामिल न करने से हिन्दी भाषी जनसंख्या का प्रतिशत कम हो गया है ।

(घ) अभ्यावेदन निम्नलिखित व्यक्तियों से प्राप्त हुए थे :–

(1) श्री रघुबीर सिंह शास्त्री, गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति ।

(2) श्री ओम प्रकाश त्यागी, संसद् सदस्य ।

(3) श्री शिव प्रकाश गुप्त, उप-प्रधान, दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन ।

(4) स्वर्गीय श्री सेठ गोविन्द दास, संसद् सदस्य ।

(5) श्री गोपाल प्रसाद व्यास, दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन ।

इन व्यक्तियों/संगठनों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का स्वरूप लगभग वैसा ही है जैसा उपरोक्त (ग) में बताया गया है। (ङ) अस्थायी आंकड़े पहले ही प्रकाशित कर दिए गए हैं । अंतिम आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से राष्ट्रीयकृत कोयला क्षेत्र को देय राशि

*417. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि तापीय बिजली घरों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीयकृत कोयला क्षेत्र से खरीदे गये कोयले के मूल्य का भुगतान नहीं कर रहे हैं ;

(ख) क्या भारतीय कोयला खान प्राधिकरण के पूर्वी डिवीजन में ही लगभग 15 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां ।

(ख) जहां तक पूर्वी प्रभाग के सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का संबंध है उन पर बकाया राशि लगभग 11 करोड़ रुपये है ।

(ग) इस मामले पर विभिन्न स्तरों पर बातचीत के अलावा 11–2–75 को ऊर्जा मंत्री की सम्बद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई थी। बकाया राशि के शीघ्र भुगतान की आशा है और आवश्यक हुआ तो प्रत्येक संगठन के साथ बातचीत द्वारा भुगतान का एक किश्तवार कार्यक्रम बना लिया जाएगा ।

'इण्डियन कैथालिक रिलीफ सर्विस' की गतिविधियां

*418. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रीलंका से प्रकाशित होने वाली 'ट्रिब्यून' नामक पत्रिका के दिनांक 2 नवम्बर, 1974 के अंक में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 'इण्डियन कैथालिक रिलीफ सर्विस, सी० आई० ए० द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाला एक संगठन है ; और

(ख) इस संगठन का प्रधान कौन है तथा इसकी क्या गतिविधियां रही हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार ने तत्सम्बन्धी रिपोर्ट देखी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री जे० जी० **मैश्यू,** भारत कैथालिक राहत सेवा कार्यक्रम के कार्य-वाहक निदेशक हैं जो युनाइटेड स्टेट्स कैथालिक कान्फरेन्स की कार्यालयीय सहायता एजेन्सी है। कैथालिक राहत सेवाएं अनेक देशों में सहायता कार्यक्रमों का संचालन करती हैं। मालूम हुआ है शरणार्थी पुनर्वास तथा बच्चों के आहार संबंधी कार्यक्रमों आदि समेत उसने भारत में अनेक परियोजनाएं आरम्भ की हैं।

सरकार को कोई सूचना नहीं है कि भारत में कैथालिक राहत सेवाओं को सी० आई० ए० द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।

पतरातू तापीय बिजली घर में बिजली का उत्पादन

*419. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गंभीर बिजली संकट है ;

(ख) क्या पतरातू तापीय बिजली घर में केवल 85 से 95 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है जबकि उसकी अधिष्ठापित क्षमता 400 मेगावाट की है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं।

(ख) पतरातू में 400 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के मुकाबले उत्पादन का वर्तमान स्तर लगभग 100 मेगावाट है।

(ग) कम उत्पादन के मुख्य कारण इस प्रकार हैं : (1) बायलरों का बार-बार जबरन बन्द होना (2) कुछ उत्पादन यूनिट और बायलर उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उनकी बड़े पैमाने पर मरम्मत की जा रही है, और (3) संयंत्र के रखरखाव और प्रचालन के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारियों की कमी।

(घ) अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जों की व्यवस्था करने और आवश्यक मरम्मत कार्य को यथा-संभव शीघ्रता पूर्वक पूर्ण करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। विद्युत केन्द्र की प्रबंध-व्यवस्था में सुधार करने के लिए उपाय भी बिहार राज्य बिजली बोर्ड के विचाराधीन है।

कोआपरेटिव शूगर्ज़ लिमिटेड, चित्तूर को कन्फेक्शनरी यूनिट की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस

420. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोआपरेटिव शूगर्ज़ लिमिटेड, चित्तूर ने कन्फेक्शनरी यूनिट की स्थापना के लिये वर्ष 1971 में औद्योगिक लाइसेन्स के लिये आवेदन किया था ;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त आवेदन पत्र पर कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक अपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। पार्टी को 4 सितम्बर, 1972 को एक आशयपत्र दिया गया था। पार्टी द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के बाद 22 मार्च, 1974 को पार्टी को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तापीय बिजली घरों के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश विद्युत् बोर्ड को इस्पात का आबंटन

*421. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश विद्युत् बोर्ड का विचार कोरबा, अमरकंटक तथा सतपुरा (सारनी) स्थित अपने बिजली घरों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि करने का है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश विद्युत् बोर्ड ने इस्पात के आबंटन के लिए आवेदनपत्र दिया है और क्या उनको आयातित इस्पात का आबंटन किया गया है जो कि देश में निर्मित इस्पात की तुलना में अत्यधिकमहंगा है।

(ग) यदि हां, तो दिए गए आयातित इस्पात और देश में निर्मित इस्पात की दरें क्या-क्या हैं ;

(घ) उनको देश में निर्मित इस्पात आबंटित न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार किसी तरीके से इस्पात के मूल्यों को समान बना देने और तब मध्य प्रदेश विद्युत् बोर्ड को इस्पात देने का है ताकि वे काफी धन बचा सकें ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) देशी स्रोतों से इस्पात की उपलब्धता में कमी होने के कारण, बोर्ड को आयात किया गया इस्पात आबंटित किया गया था ताकि वह अपनी तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी कर सके। आयात किए गए इस्पात के विभिन्न खण्डों की लागतें 5,000 रुपये से 7,000 रुपये प्रति टन तक भिन्न भिन्न हैं, जबकि देशी इस्पात के तदनुरूप खंडों की लागतें 1,400 रुपये से 2,000 रुपये प्रति टन तक भिन्न भिन्न हैं।

(ङ) देशी और आयात किए गए इस्पात की लागतों को बराबर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक-केरल सीमा विवाद

*422. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त महाजन आयोग ने चन्द्रगिरी नदी के ऊपर उत्तर में कासरगोड को पार्श्ववर्ती राज्य कर्नाटक में विलय करने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो आयोग की उक्त सिफारिश को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार कर्नाटक और केरल के बीच सीमा-विवाद का समाधान करेगी और यदि हां, तो इसका कब तक समाधान कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री क० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी हां, श्रीमान्। महाजन आयोग नें चन्द्रगिरी और पायसविनी नदियों के उत्तर में कासरगोड के भाग को कर्नाटक राज्य को हस्तान्तरित करने की सिफारिश की थी।

(ख) तथा (ग) सरकार एक ऐसा उचित हल ढूंढने के प्रयास में लगी है जो अधिक से अधिक मान्य हो। जबकि इस दिशा में सरकार के प्रयत्न जारी हैं कोई मान्य हल ढूंढने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना आसान नहीं है।

गांवों का विद्युतीकरण

*423. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गांवों के विद्युतीकरण के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांवों का विद्युतीकरण अभी किया जाना है।

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने पंपसेट बिजली से चालू किए गए हैं ; और

(घ) देश के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) देश में 5,66,878 गांव हैं । 31–1–1975 तक 1,62,745 (28.7 प्रतिशत) गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं ।

(ख) और (ग) विद्युतीकृत गांवों की संख्या, अभी विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या और 31-1-1975 तक उर्जित पम्पसेटों की संख्या के राज्य बार ब्यौरों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9234/75]

(घ) देश में ग्राम विद्युतीकरण के लिए पांचवीं योजना के प्रारूप में 1,098.24 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है । यह चौथी योजना में रखे गए 444.65 करोड़ रुपये के परिव्यय के दुगने से भी अधिक है ।

पांचवीं योजना में अधिक धनराशि के प्रावधान से देश में 1,10,100 और अधिक गांवों का विद्युतीकरण तथा 15 लाख पम्पसेटों का ऊर्जन परिकल्पित है ।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा ब्याज, लाभांशों तथा तकनीकी जानकारी के सम्बन्ध में किया गया खर्च

3904. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड ने वर्ष 1973 तथा वर्ष 1974 में ब्याज, तकनीकी जानकारी तथा लाभांशों के सम्बन्ध में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की ; और

(ख) क्या उक्त खर्च संबंधित हुए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अनुरूप हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) मै० इण्डियन आक्सीजन लि० को वर्ष 1973 और 1974 में निम्नलिखित धनराशि प्रेषण की अनुमति दी गई है :—

		(लाख रुपयों में)		
वर्ष	ब्याज	लाभांश	तकनीकी जानकारी	योग
1973	1.25	34.00	—	35.25
1974	1.11	42.31	—	43.42

इस प्रकार के सभी धनराशि प्रेषणों की अनुमति रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम ा के अनुरूप प्रदान की जाती है।

पोलैंड तथा अन्य देशों से टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों का आयात

3905. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **इलैक्ट्रौनिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इलैक्ट्रौनिक्स व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम ने टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों के आयात के लिए पोलैंड की फर्मों से करार किया है;

(ख) आयात की जाने वाली ट्यूबों का विवरण क्या है और कितनी ट्यूबों का आयात किया जायेगा और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ग) इन आयातित टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों से टेलीविजन सटों या मरम्मत प्रयोजनों के लिए उनकी मांग किस हद तक पूरी होगी, और

(घ) क्या ऐसी ट्यूबों के आयात हेतु "रुपये में भुगतान" वाले देशों के साथ भी ऐसे समझौते किये गये हैं और यदि हां तो उनकी तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रौनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एवं (ख) जी, हां। इलैक्ट्रोनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम (जो भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है) ने 20" के आकार की 20,000 टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों की सप्लाई के लिए पोलैण्ड की एक फर्म मैसर्स यूनोट्रा के साथ एक करार सम्पन्न किया है। यह कार्रवाई रुपया भुगतान क्षेत्रों से 40,000 टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आयात करने संबंधी भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में की गयी, जिसके लिए निगम को 65 लाख रुपये का आयात लाइसेंस प्रदान किया गया है। पोलैण्ड से 10,000 ट्यूबों की पहली किश्त 27 फरवरी को बम्बई पहुंच गयी है और अब इसका वितरण किया जा रहा है। दूसरी किश्त के अप्रैल 1975 में पहुंचने की आशा है।

(ग) वर्ष 1975 के दौरान देश में पिक्चर ट्यूबों की कुल मांग 1,20,000 के आस-पास होने की संभावना है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर लगभग 70,000 पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन कर लेगा; शेष कमी की संपूर्ति लाइसेंसों के जरिये इलैक्ट्रोनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम तथा साथ ही वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा आयात किये गये पिक्चर ट्यूबों से पूरा कर लिया जायगा। निजी क्षेत्र के एक कारखाने में भी पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन शुरू किया जाने वाला है।

(घ) इलैक्ट्रौनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम, हंगरी, रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनवादी गणतंत्र और सोवियत संघ जैसे अन्य पूर्व योरोपीय देशों के संभावित सप्लाई कर्ताओं के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। अब तक केवल पोलैण्ड ही ऐसा देश है जो विपुल मात्रा में और अपेक्षित विशिष्टियों के अनुरूप, प्रतियोगी मूल्यों पर पिक्चर ट्यूबों को तत्काल सप्लाई करने में समर्थ हो सका है।

पांचवीं योजना को बनाने के लिए विकासशील देशों की नीति का अनुसरण करना

3906. **श्री एस॰ एस॰ पुरती :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी योजनाओं को बनाने में विकासशील देशों द्वारा अपनाई गई नीति का सरकार ने कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की पांचवीं पंचवर्षीय योजना को बनाने में इन देशों द्वारा अपनाई गई नीति का सरकार ने अनुसरण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अपनी योजनायें तैयार करने में विकासशील देशों ने जो नीति अपनाई है उसका लगातार अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) भारत की पांचवीं योजना प्रारूप में अपनाई गई नीति आधारभूत उद्देश्यों तथा सम्बन्धित विचारों-समस्याओं, प्राथमिकताओं, क्षमताओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं।

वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए भारत युगोस्लाविया करार

3907. **श्री एन॰ आर॰ वेकारिया :**
श्री डी॰ पी॰ जदेजा :
श्री पी॰ वेंकटासुब्बया :
क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए भारत और यूगोस्लाविया के बीच एक पंचवर्षीय करार पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या अन्य कुछ देशों से भी इसी प्रकार के करार हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और किये गये करारों की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। भारत और यूगोस्लाविया के बीच, विज्ञान और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में, सहयोग के लिए करार पर नई दिल्ली में 12 फरवरी, 1975 को हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) करार में वैज्ञानिकों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों के आदान प्रदान, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा विशेषज्ञों की विशेषज्ञता, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना तथा प्रलेखीकरण का आदान प्रदान, द्विपक्षीय वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन तथा आपसी रूचि की समस्याओं पर पाठ्यक्रमों, वैज्ञानिक तथा तकनीकी समस्याओं के संयुक्त अभिनिर्धारण तथा

ऐसे संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों के निर्माण तथा कार्यान्वयन की व्यवस्था है जिनके फलस्वरूप इन्हें विभिन्न क्षेत्रों पर लागू किया जा सके, करार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित वैज्ञानिक संस्थाओं तथा संबंधित संगठनों, उद्यमों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की व्यवस्था भी शामिल हैं।

(ग) हां।

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुलगारिया, पोलैंड, जाम्बिया, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, जर्मन लोक तांत्रिक गणराज्य तथा जर्मन संघीय गणराज्य के साथ भी करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं। सभी करारों में वैज्ञानिकों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों के आदान प्रदान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना तथा प्रलेखीकरण के आदान प्रदान, द्विपक्षीय संगोष्ठियों के आयोजन और आपसी हित के अनुसंधान कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है।

नागरिक स्वयंसेवी बल

3908. **श्रीमती मुकुल बनर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने में स्थानीय पुलिस की सहायता करने के लिये दिल्ली पुलिस ने एक नागरिक स्वयंसेवी बल बनाया है ;

(ख) उक्त बल में चयन के लिये किसी व्यक्ति में क्या आर्हताएं अपेक्षित हैं;

(ग) किन आर्हताओं के आधार पर किसी व्यक्ति को इसमें नहीं चुना जाता ; और

(घ) क्या सरकार को इस बल के ऐसे व्यक्तियों का पता है जिन्होंने 4 नवम्बर, 1974 के दिल्ली बन्द में सक्रिय रूप से भाग लिया था और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी, हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) बल के सदस्यों का चयन उनके पूर्व चरित्र की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद किया जाता है। ऐसे व्यक्ति मुकदमें या आपराधिक मामले में अन्तर्ग्रस्थ नहीं होने चाहिएं, समाज सेवा के लिये उनमें भावना होनी चाहिये तथा विविध और व्यवस्था बनाये रखने में सहायता करने के लिये तैयार रहना चाहिये और उन्हें अपने क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति होना चाहिये। उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिये जो निजी लाभ के उद्देश्य से बल में प्रवेश करता है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत लोक वस्त्र एकक

3909. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत 300 से अधिक "लोक वस्त्र" एकक स्थापित करने का कर्नाटक राज्य सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) कुछ समय पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सरकार के विचारार्थ लोक वस्त्र योजना नामक एक प्रस्ताव भेजा था। योजना में सभी राज्यों में हाथ करघों तथा आवश्यक विद्युत् चालित् करघों पर कताई और धुनाई के लिए देशी रूई का उपयोग करके मोटे सूती वस्त्र बुनने के विद्युत चालित 48 तकुओं वाले बुनाई फ्रेमों के ग्रामीण वस्त्र केन्द्रों की स्थापना की प्राक्कल्पना की गई है। इस योजना के अनुसरण में कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का कर्नाटक में लोक वस्त्र केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार कुछ आर्थिक, प्रशासनिक और अन्य पहलुओं पर विस्तार पर विचार करने के पश्चात् कर्नाटक सहित सभी राज्यों में प्रयोगात्मक आधार ऐसे 20 केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रही है।

उड़ीसा में लघु कागज मिलें

3910. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में छः लघु कागज मिलें स्थापित करने के लिये लाइसेन्स दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सरकार द्वारा प्रतिदिन 20 मी० टन या उससे कम कागज और लुगदी का उत्पादन करने वाले निम्नलिखित संयंत्रों के उड़ीसा में स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है :—

पार्टी का नाम	उत्पाद मिश्र	क्षमता	स्थापना स्थल
1. श्री प्रभात पण्डा	कारुगेटिंग मीडिया और लाइनर कागज	400 मी० टन प्रतिदिन	उड़ीसा का पिछड़ा जिला
2. श्री उमाशंकर मोदी	पैकिंग करने और लपेटने का कागज	6,000 मी० टन प्रतिवर्ष	जिला ऊना कटक
3. श्री एस० आर० गोयंका	डूप्लेक्स बोर्ड	6,000 मी० टन प्र० वर्ष	मयूरगंज

75M/J(N)2LSS—

मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए प्रस्तावों का अस्वीकृत किया जाना

3911. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम नवम्बर, 1973 से लागू सैक्रेटेरियेट आफ इन्डस्ट्रियल एप्रूवल्स की रचना का ब्यौरा क्या है और लाइसेंसिंग कमेटी किन-किन सिद्धान्तों और नीति के अनुसार सिफारिशें करती है ;

(ख) गत एक वर्ष में लाइसेन्सिग कमेटी ने कितने मामलों में समाज की समाजवादी पद्धति की अधिसूचनाओं और मध्यम दर्जे के भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के मूल सिद्धान्तों का उल्लंघन किया ;

(ग) गत डेढ़ वर्ष में मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिये कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनकी वस्तु क्षमतायें कितनी थीं ; और लाइसेंसिग कमेटी ने उनमें से कितने प्रस्ताव अस्वीकृत किये और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार अस्वीकृत किये गये मामलों पर फिर से विचार करने पर सहमत होगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) औद्योगिक स्वीकृतियों के सचिवालय की स्थापना 1 नवम्बर, 1973 को की गई थी जो उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में कार्य करता है। इस सचिवालय के प्रमुख अधिकारी एक संयुक्त सचिव हैं जो मंत्रालय में सरकार के एक सचिव के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। लाइसेंसिग कमेटी औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 और सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित लाइसेंस देने संबंधी नीति के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें करती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंसों के लिये नवम्बर, 1973 से दिसम्बर, 1974 की अवधि में एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन पंजीयित आवेदकों के अलावा 6,275 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। निवेश के स्तरों के अनुसार रद्द किये गये आवेदन पत्रों के आंकड़े नहीं रखे जाते। नवम्बर, 1973 से दिसम्बर, 1974 की अवधि में अधिकांश आवेदन पत्र या तो पहले से विद्यमान पर्याप्त क्षमता की स्वीकृति होने अथवा कच्चे माल की कठिनाइयों के कारण अधिकांश रद्द कर दिये गये थे ।

(घ) औद्योगिक लाइसेंसीकरण के आवेदन पत्रों के प्रथम दृष्टि में ही रद्द किये जाने वाले मामलों में सम्बन्धित आवेदकों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाता है और जिस पर अन्तिम आदेश देने से पूर्व यथोचित विचार किया जाता है ।

Survey for raising social status of people in eastern part of Madhya Pradesh.

3912. **Shri Martand Singh** : Will the **Minister of Planning** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have under consideration any proposal to raise the social status of the people of the eastern part of Madhya Pradesh, mainly of Rewa division, by conducting a survey of the living conditions of the people there ;

(b) whether the Madhya Pradesh Government have also urged upon the Central Government to conduct such a survey; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) & (b) : According to information available in Planning Commission no reference has been received from Madhya Pradesh Government to conduct such a survey.

(c) Does not arise.

Effect of shortages on Industries in M.P.

3913. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the various industries of Madhya Pradesh have been adversely affected particularly during the last six months as a result of shortage of power, coal and rail wagons and non-transportation of raw material and manufactured goods ;

(b) if so, the names of the industries adversely affected; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of state in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : (a) to (c) : Among the medium and large scale units located in Madhya Pradesh, only seven units reported shortage of power, coal, rail wagons, furnace oil or certain other inputs during the last six months resulting in their production being affected to some extent. Two of these units are engaged in the manufacture of cement; one each in the manufacture of power driven pumps, gelatine, steel forgings, brass copper alloy rods/sections and newsprint. Individual complaints when received are taken up with the concerned authorities for assistance.

जिला मेरठ में ग्राम मुरादग्राम पुर पुरसी में नलकूप कनेक्शन की मंजूरी

3914. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम मुरादग्रामपुर पुरसी (कुरसी) डाकघर मुरादनगर, जिला मेरठ के कुछ किसानों ने कार्यकारी इंजीनियर, हापुड़, जिला मेरठ, (उत्तर प्रदेश) की मार्फत भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को नलकूप कनेक्शन के लिये आवेदनपत्र दिये थे ;

(ख) क्या स्थलों का सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा बिजली भार की मंजूरी दे दी गई है तथा सितम्बर, 1974 में व्यक्तियों को इसकी जानकारी दे दी गई है ;

(ग) क्या आवश्यक अनुमान लगा लिये गये हैं तथा करार कर लिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस कार्य को पूरा करने में लगभग कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम एक वित्तदाता संस्था है और यह राज्यों को उनकी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। यह स्वयं स्कीमों के कार्यान्वयन और वितरण कनेक्शनों की व्यवस्था करने का काम नहीं करता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम की मिकिर पहाड़ियों में सीमेंट परियोजनाओं में नियुक्ति

3915. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में मिकिर पहाड़ियों में बोकाजान सार्वजनिक सीमेन्ट परियोजना में कर्मचारियों की नियुक्ति तथा विभिन्न ठेकों के नियतन के बारे में वहां के स्थानीय लोगों में असन्तोष व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असन्तोष को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जहां तक योग्य तथा आर्हताप्राप्त व्यक्ति मिलते हैं सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया अपनी बोकाजन सीमेन्ट परियोजना में स्थानीय लोगों को नियुक्त करने के लिये सभी संभव कदम उठा रहा है। कारपोरेशन स्थानीय लोगों को ही विभिन्न सीमेन्ट संयंत्रों में प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहा है ताकि उन्हें आगे यथासमय बोकाजन परियोजना के विभिन्न पदों पर लगाया जायेगा। बोकाजन परियोजना के 127 कर्मचारियों में से 87 लोग आसाम राज्य के हैं। अन्य बातों के समान रहते हुए ठेके देने के विषय में स्थानीय ठेकेदारों को अधिमान दिया जाता है।

स्टील ट्यूब और पाईप

3916. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ इस्पात ट्यूब तथा पाईप निर्माता एककों को अपने उत्पादन का निर्यात करने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या स्टील ट्यूब और पाईप उद्योग में काफी क्षमता अनुपयुक्त रहती है जिसके फलस्वरूप नये लाइसेंस देने की आवश्यकता पैदा हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो नये एककों को लस्टी ट्यूब तथा पाईप बनाने के लिये उपकरणों का आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं विशेषतया जबकि उस पर अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पाती पाईप तथा ट्यूब उद्योग में क्षमता अप्रयुक्त है ।

(ग) किसी नए एकक को स्थापित करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। फिर भी, प्रत्येक मामले में सीमित विदेशी मुद्रा निर्गम से केवल वेल्डिंग हैडों का आयात करने की अनुमति कुछ एककों को दी गई है जो निर्णयक तिथि से पूर्व भूमि, भवन, मशीन आदि में निवेश के रूप में प्रभावी कदम उठाने पर "काम जारी रखो" लाइसेंस पाने के हकदार होंगे ।

भौरा कोयला खान से बेलगाम कोल एण्ड कोक कन्ज़्यूमर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड को कोयले की सप्लाई

3917. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1974 में "भौरा कोयला खान" से कर्नाटक लघु उद्योग निगम के माध्यम से बेलगाम कोल एण्ड कोक कन्ज़्यूमर्स कोआपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड को सप्लाई किया गया कोयला घटिया किस्म का था और उसमें 50 प्रतिशत कोयले का चूरा था ;

(ख) क्या इसके लिए एसोसिएशन ने 2.28 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति करने का दावा किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कर्नाटक लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने 50 प्रतिशत चूरा-युक्त घटिया कोक की लदान के बारे में शिकायत की थी । भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का एक वरिष्ठ अधिकारी माल की जांच के लिए भेजा गया था । उसकी जांच से सिद्ध हुआ है कि रेक में चूरे का प्रतिशत 14.5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता । यह भी पता चला है कि गन्तव्य स्थान पर माल उतारने में दो बार कार्यवाही हुई जिससे कोक की अधिक टूटन हुई । भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने शिकायत के किसी दावे को अभी नहीं सुलझाया है, क्योंकि मामले की अभी भी जांच हो रही है ।

दूतावासों के कर्मचारियों की जासूसी की गतिविधियों पर रोक

3918. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या भारत में दूतावासों के कर्मचारियों की जासूसी की गतिविधियों को रोकने के लिये दिल्ली में पुलिस विभाग में एक विशेष सैल है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : जी नहीं, श्रीमान् ।

Financial Assistance sought by Madhya Pradesh Electricity Board

*3919. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister **of Energy** be pleased to state :

(a) whether the Central Government are aware of the loss suffered by Madhya Pradesh Electricity Board ;

(b) whether Madhya Pradesh Electricity Board has sought any financial assistance to meet the loss; and

(c) if so, the main features thereof ?

The deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad)

(a) During the year 1973-74, the Madhya Pradesh State Electricity Board did not suffer any loss.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

डम डम सेन्ट्रल जेल में उग्रवादी बंदियों द्वारा भूख हड़ताल

3920. **श्री एच० एम० मुकर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डम डम सेन्ट्रल जेल में 36 उग्रवादी बंदियों ने 7 फरवरी 1975 को ये मांग पेश करते हुए भूख हड़ताल की थी कि उन्हें राजनीतिक दर्जा दिया जाये आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम और भारतीय प्रतिरक्षा नियमों को समाप्त किया जाये तथा राजनीतिक बंदियों के लिए रसोई व्यवस्था अलग से की जाये ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों पर विचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार डम डम केन्द्रीय जेल के 36 कैदियों ने, बताया जाता है जो उग्रवादी प्रवृत्ति के हैं अपनी कुछ मांगें मनवाने, जिनमें अन्य बातों के साथ आंसुका तथा भारत रक्षा नियमों का निर्सन करने, राजनीतिक दलों से संबंधित कैदियों को "राजनीतिक दर्जा" प्रदान करने आदि तथा "राजनीतिक बंदियों" के लिए

1लग से रसोई की व्यवस्था करने के लिए, 6 फरवरी, 1975 से भूख हड़ताल की थी। सात दियों ने 10 फरवरी, 1975 को अपनी भूख हड़ताल समाप्त की और शेष कैदियों ने 14 फरवरी 975 को अपनी भूख हड़ताल समाप्त की।

राज्य सरकार ने सूचना दी है कि कथित दुर्व्यवहार चिकित्सा सुविधा, भोजन तथा साक्षातकार के संबंध में कैदियों की शिकायतों पर विचार किया गया था परन्तु उनका कोई आधार नहीं पाया गया। सभी यथोचित सुख सुविधायें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। कदियों का वर्गीकरण जेल संहिता के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। दल के आधार पर अलग से रसोई करने के लिए उसमें कोई उपबन्ध नहीं है। किन्तु जेलों में भोजन बनाने का प्रबन्ध उचित सावधानी से किया जाता है।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वर्दी का कपड़ा

3921. **श्री झारखंडे राय** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कोई वर्दी दी गई है ;

(ख) क्या पहले की अपेक्षा अब घटिया किस्म के कपड़े की वर्दी दी गई है ;

(ग) क्या इस कारण से कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) :

(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

टोकलई स्थित अनुसंधान संस्थान

3922. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टोकलई स्थित विभिन्न अनुसन्धान संस्थानों को केन्द्रीय सरकार संगठनों तथा विभागों से प्रति वर्ष कितनी धन राशि दी जाती है ;

(ख) निदेशक तथा उनके नीचे के अधिकारियों के वेतन तथा परिलब्धियां क्या हैं और प्रत्येक को दी जाने वाली परिलब्धियों का मूल्य क्या है ;

(ग) क्या अनौचित्य अपव्यय तथा फालतू खर्चे के आरोप सरकार के ध्यान में आये हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) टोकलई स्थित अनुसंधान संस्थानों द्वारा अब तक क्या अनुसंधान किये गये हैं ;

(ङ) क्या वर्तमान निदेशक द्वारा पद ग्रहण करने के पश्चात् से लेकर अब तक के परिणामों से चाय के मूल्य तथा लोकप्रियता बढ़ाने हेतु और प्रत्येक झाड़ से अच्छी किस्म की चाय के अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु कोई ठोस लाभ प्राप्त हुआ है।

(च) क्लिनिकल और व्यवहारिक अनुसंधान क परिणामों का ब्यौरा क्या है ; और

(छ) क्या सरकार का इस संस्थान का जांच मूल्यांकन करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चाय अनुसंधान संस्थान (टी० आर०ए०) जोरहाट में अपना एक प्रौयोगिक केन्द्र चलाता है। सी० एस० आई० आर० इसके कूल खर्चे का पचास प्रतिशत वार्षिक अनुदान प्रदान करता है। गत तीन वर्षों में सी० एस० आई० आर० द्वारा दिया गया अनुदान इस प्रकार है :

वर्ष	आवर्ती	पूंजी
1972–73	24.00	2.50
1973–74	25.00	2.13
1974–75	29.00	4.00

(प्रस्तावित पुनरावर्तित अनुमान)

(ख) निदेशक एवं टी० आर० ए० के अन्य दस अधिकारियों के वेतनमान रु० 3,500–5,000, 1,500–2,000 और रुपये 1,100–2,000 हैं। आयकर नियमों के अनुसार तिरिक्त परिलब्धियों के मूल्य का स्तर रुपये 3,500 से 5,700 रुपये और निदेशक के लिये अनुमानत: 6,200 हैं। निशुल्क फरनीचर युक्त आवास, चिकित्सा सुविधाएं, अवकाश यात्रा संबंधी छूट, बिजली, नौका और ईंधन इन परिलब्धियों में शामिल हैं। सी० एस० आई० आर० और टी० आर० ए० दोनों ने यह निष्चय किया है कि जहां सी० एस० आई० आर० के वेतनमानों से इनके वेतन और परिलब्धियां अधिक रखी गई हैं, वहां यह खर्चा पूर्णरूपेण उद्योगों के योगदान से किया जायेगा।

(ग) इस संबंध में टोकलाई कर्मचारी यूनियन से एक पत्र प्राप्त हुआ था यह पत्र टोकलाई प्रायोगिक केन्द्र के निदेशक के पास जांच के लिये भेजा गया था।

(घ), (ड) और (च) : टोकलाई प्रायोगिक केन्द्र द्वारा किये अनुसंधान का विवरण सी० एस० आई० आर० के वार्षिक प्रतिवेदनों में दिया गया है। इन प्रतिवेदनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

वर्तमान निर्देशक ने अक्टूबर 1972 में पदग्रहण किया है। तब से अब तक निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं जिनका दावा किया जाता है :

(एक) दो अच्छी किस्म के कलनेनों का उत्पादन,

(दो) छोटी पत्तियों की चाय उपज में संशोधन :

(तीन) सुधारक मात्रा के रूप में व्यवहारिक पोटाश बनाना ।

(चार) काली से भूरी बिना तराशी चाय के तोड़ने में पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि ।

(पांच) फफोला ब्लाइट नियंत्रण के लिये फंफूदनाशक ठहरावकों की आवश्यकताएं ।

(छः) पुरानी चाय के पौधों के लिये कम खाद की आवश्यकता ।

(सात) मृत्तिका को धूसित करके जड़ों में होने वाली संड़ाध का नियंत्रण और मार्क टू निरंतर सुखाने वाला कर्तक संलग्नक चक्रक बेलन और निरंतर घूमने वाले बेलन आदि नये यंत्रों का विकास ।

(ग) टोकलाई प्रायोगिक केन्द्र के कार्यकलापों का मूल्यांकन चाय अनुसंधान संस्थान (टी० आर० ए०) की प्रबन्धक परिषद् द्वारा किया जाता है ।

Nagas Gone to Burma on way to China

3923. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister **of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether 75 Naga rebels have gone to Burma ;

(b) whether they will proceed to China from there; and

(c) the action taken by Government to prevent them ?

The deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) According to information available with the Government, approximately 60—70 underground Nagas are reported to have exfiltrated to Burma during the first fortnight of November, 1974.

(b) Government have no information in this regard.

(c) Adequate security measures in Nagaland and along the Indo-Burmese border have been taken to prevent exfiltration of underground Nagas. Our Security Forces successfully intercepted two underground gangs reported to be on their way to China and apprehended 135 persons between the period September 1974 to January, 1975.

"महाराष्ट्र फेसिंग स्टीम कोल फेमिन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3924. **श्री बसन्त साठे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 16 फरवरी, 1975 के 'इकानमिक टाइम्स' में "महाराष्ट्र फेसिंग स्टीम कोल फेमीन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Demands for Expansion of C.R.P. Centre of Neemuch M.P.

3925. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether people of Neemuch (Madhya Pradesh) and its nearby areas have made a demand for further expansion of C.R.P. Centre there ;

(b) whether they have also submitted a memorandum to the Ministry in this regard ; and

(c) if so, the action taken by Government thereon ?

The deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) :

(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The matter in under consideration.

दिल्ली प्रशासन द्वारा कारों/स्कूटरों का आवंटन

3926. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा स्पेशल कोटे के अन्तर्गत कितनी कारों/स्कूटरों का आवंटन किया गया ;

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा इन कारों/स्कूटरों का आवंटन करने का क्या मानदण्ड है; और

(ग) इन कारों ऑर स्कूटरों के अलाटियों के नाम और पते क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क)	1972–73	1973–74	1974–75
प्रीमियर प्रेसिडेंट कारें	123	70	74
अम्बैसेडर कारें	119	74	11
बजाज स्कूटर	488	258	376
लम्ब्रेटा स्कूटर	72	80	283

(ख) तथा (ग) यद्यपि केन्द्रीय सरकार कारों और स्कूटरों का कुछ कोटा राज्य सरकारों/प्रशासनों को आवंटित करती है लेकिन अपनी मरजी से अलग-अलग व्यक्तियों को आवंटन करने का काम राज्य सरकारों/प्रशासनों का है।

हजारी बाग में कोककर कोयले के नये निक्षेप

3927. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या हजारीबाग जिले में अभी हाल में कोककर कोयले के नये निक्षेपों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस्पात संबंधी [illegible] द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिये कोयले की किसम के बारे में जाँच कर ली गई है ; और

(घ) वाणिज्यिक उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा हाल में की गई खोजों से बिहार के हजारीबाग जिले में मध्यम किस्म के कोककर कोयला निक्षेपों का पता चला है। इन कोयला निक्षेपों में—उत्तरी करनपुरा कोयला क्षेत्र में बादभरोहना-रावतपारा एरिया में 29,230 लाख टन, पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र के आरा-सूरबेरा-डूमरबेरा एरिया में 510 लाख टन और पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र के सारम एरिया में 1,490 लाख टन कोयले के भंडार हैं।

(ग) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान धनबाद ने इन क्षेत्रों में प्राप्त कोयले के कोककर गण का अध्ययन करने के लिए भौतिक व रासायनिक सर्वेक्षण किए हैं।

(घ) आरा-सूरबेरा एरिया के एक भाग का पहले से ही सक्रिय समुपयोजन किया जा रहा है। बादम और सारन एरिया के विकास के लिए तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार के हजारी बाग और पालामऊ क्षेत्रों में कोयला खानों का कार्यकरण

3928. **श्री मधु लिमये :** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के हजारीबाग और पालामऊ क्षेत्र में कुछ कोयला खानों में अनधिकृत और गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा है ;

(ख) क्या इन खानों में बाहरी श्रमिकों की सहायता से अनधिकृत तरीके से काम करने वाले व्यक्ति 14 टन कोयले से भरे ट्रक के लिए 400 रु० प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो देश के राष्ट्रीय संसाधनों की इस लूट को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इन क्षेत्रों में कोयले के गैर कानूनी खनन तथा अन्य कदाचार सम्बन्धी कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि गैर कानूनी रूप से निकाले गए कोयले को किस मूल्य पर बेचा जा रहा है।

(ग) जिला अधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आजकल इन क्षेत्रों में, 6 चल दस्ते गश्त लगाते हैं, जिनमें पर्याप्त पुलिस कर्मचारियों सहित मजिस्ट्रेसी, कोयला बोर्ड के खनन कार्यालय, कोयला नियंत्रक संगठन, पुलिस कार्यालय तथा कोयला खान प्राधिकरण के अधिकारी हैं। ये दस्ते कोयले के गैर-कानूनी खनन और बिक्री को रोकने के लिए विभिन्न कानूनों के अधीन आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम के अधीन सूती कपड़ा एककों की क्षमता

3929. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम के अधीन सूती कपड़ा एकक अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त एककों को उनकी पूरी क्षमतानुसार चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल की नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन मिल्स में 1974 के दौरान तकुओं का औसत उपयोग राष्ट्रीय औसत की तुलना के अनुकूल हुआ है। फिर भी, चूंकि इस मिल के अधिकतर करघें काम के योग्य नहीं हैं, अतः इस मिल की करघा क्षमता का उपयोग राष्ट्रीय औसत से कुछ कम हुआ है।

(ग) इन मिलों की करघा क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिये आधुनिकीकरण/नवीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

त्रिपुरा में डम्बोरू पनबिजली परियोजना का निर्माण

3930. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में डम्बोर पनबिजली परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरु हो गया था।

(ख) परियोजना प्राधिकरण के अधीन कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ग) परियोजना के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ; और

(घ) अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस पर अभी भी कुल कितनी धनाराशि खर्च होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिजली की कटौती का कृषि उत्पादन पर प्रभाव

3931. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बिजली की कटौती से कृषि और कृषकों पर अत्याधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और अगले वर्ष उत्पादन के कम होने की आशंका है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि बिजली के अचानक बन्द हो जाने, अथवा वोल्टज के कम हो जाने के कारण बिजली की मोटरें जल जाती हैं और मोटरों को ठीक कराने के लिए किसानों को दण्ड भुगतना पड़ता है, यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) बिजली और सिंचाई विभागों के बीच किस प्रकार के तालमेल करवाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यद्यपि विभिन्न राज्यों में विद्युत की कटौतियां लागू हैं, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत सप्लाई के मामले में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अगले वर्ष भी इस बात को सुनिश्चित करने के सभी प्रयत्न किए जाएंगे कि जहां तक संभव हो कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ख) जी, हां। राज्य बिजली बोर्डों से पुनः यह अनुरोध किया जा रहा है कि जहां तक सम्भव हो वे उचित वोल्टता और निरन्तर उचित सप्लाई करने की व्यवस्था करें।

(ग) सिंचाई और विद्युत विभाग पारस्परिक हित के मामलों पर एक दूसरे से सम्पर्क बनाए रखते हैं।

"आंसुका" के प्रयोग के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

3932. **श्री सोमनाथ चटर्जी**
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1975 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई इस आलोचना की ओर दिलाया गया है कि सरकार को न्यायालय में लोगों, विशेषकर स्वभाव से अपराधी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की कष्टप्रद प्रक्रिया से बचने के लिये आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबन्धी अधिनियम का प्रयोग नहीं करना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) संभवतया हवाला 22-1-75 को 1974 की रिट याचिका संख्या 429 साधु राय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के प्राधिकारियों ने कर्षण तारों आदि की चोरी से सम्बन्धित श्री साधु राय की गतिविधियों को ध्यान में

रखने के बाद ग्रांसुका के अधीन उस को नजरबन्द किया था तथा अन्य बातों के साथ साथ यह रिपोट दी थी कि गवाह खुल न्यायालय में उसके विरुद्ध बयान देने से डरते थे क्योंकि उसे खतरनाक व्यक्ति समझा जाता था। न्यायालय ने सरकार की ओर से दायर किए गए जवाबी हलफनामें में कुछ कमी के कारण वे परिस्थितियां स्पष्ट की गई थीं। जिनमें नजरबन्दी आदेश दिया गया था, याचिका के लिए अनुमति दी थी। अन्य बातों के साथ साथ आदरणीय न्यायाधीश ने यह पाया था कि जहां समुदाय के विरुद्ध अपराध किया गया है अपराधी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए और नजरबन्दी कड़ी सजा की तुलना में कम सजा है। किन्तु यदि व्यक्ति निर्दोष है तो कानून को उसे उचित अवसर देना चाहिए और उसे नजरबन्दी आदेशों की अविवेकपूर्ण कार्रवाई द्वारा बंचित नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) निर्णय में दिये गये विचार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मार्ग दर्शन के लिये और नजरबन्द करने वाले प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए उनके ध्यान में लाए जा रहे हैं।

अशोधित तेल के बारे में ईंधन नीति समिति की सिफारिश

3933. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन नीति समिति ने आदेश में अशोधित तेल का रक्षित भण्डार बनाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई अन्य सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) ईंधन नीति समिति की महत्वपूर्ण अनुशंसाओं की एक सूची, अतारांकित प्रश्न संख्या 1334 के उत्तर में दिनांक 20-11-74 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

(ग) रिपोर्ट अभी भी विचाराधीन है।

शृंगार तथा प्रसाधन सामग्री बनाने वाली विदेशी कम्पनियां

3934. **श्री वरके जार्ज** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शृंगार एवं प्रसाधन सामग्री बनाने वाली विदेशी कम्पनियों की संख्या इस समय क्या है ;

(ख) उनकी वार्षिक बिक्री कितनी है और क्या इस उद्योग में आवश्यकता से अधिक विदेशी पूंजी निवेश के कारण विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग के पूर्ण स्वदेशीकरण के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) अंगराग और प्रसाधन सामग्री तैयार करने वाली 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी सांझेदारी वाली ग्यारह कम्पनियां हैं।

(ख) 1973 में अंगराग और प्रसाधन सामग्री की वस्तुओं के उत्पादन का कारखाने से निकलते समय का मूल्य कुल मिलाकर लगभग 21.1 करोड़ रुपये था उपलब्ध सूचना के अनुसार इन कम्पनियों से लाभांश, रायल्टी और इसी प्रकार 1973 में किये गये भुगतानों का विदेशी मुद्रा का निर्माण लगभग 3.47 करोड़ रुपये था।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अधीन 40 प्रतिशत से अधिक की साझेदारी वाली विदेशी कम्पनियों के कार्यकलापों की समीक्षा की जा रही है।

महाराष्ट्र के विभिन्न नगरों के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था

3935. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य के उन नगरों के नाम क्या हैं जिनके बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था है और उन नगरों के नाम क्या हैं जहां क्रमशः वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था कर देने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : बम्बई, पूना और बम्बई-नागपुर को जोड़ कर इंटर-डायलिंग की सुविधा दे दी गई है।

महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान निम्नलिखित इंटर-डायलिंग मार्गों को चालू करने का प्रस्ताव है :

1975-76

बम्बई-नासिक

बम्बई-तुमे (मिला-जुला शहर)

बम्बई-भिवंडी

कोपरगांव रहटा

कोपर गांव-पुंताम्बा

राहटा-कोलपेवाडी

राहटा-पुताम्बा

कोलपेवाडी-पुंताम्बा

1976-77

बम्बई-कल्याण

कोल्हापुर-सांगली

Use of Electricity in Brick Kilns

3936. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether in several countries bricks are baked by electricity.

(b) if so, the number of brick kilns operated bricks so far by electricity in India ; and

(c) whether Government have any scheme for expansion thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P Maurya) : (a) Government have no information.

(b) No brick kiln is reported to be operated by electricity in India

(c) Does not arise.

भाषायी अल्पसंख्यकों पर हमले

3937. **श्री समर मुखर्जी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में भाषायी अल्प-संख्यकों पर कुल कितने हमले हुए ;

(ख) ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कारगर उपाय किये हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

कागज उद्योग द्वारा अर्जित लाभ

3938. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के कागज उद्योगों ने, विशेषतया स्टार मिल्स ने, कुछ किस्मों के कागज का कृत्रिम अभाव पैदा करके अत्यधिक लाभ कमाये हैं ;

(ख) क्या अधिकांश भण्डार ऊंची दरों पर चोर बाजारी में बेचा गया है ;

(ग) क्या प्रमुख कागज उद्योग के एक मात्र विक्रेता एजेन्टों ने भी अत्यधिक लाभ कमाया है ; और

(घ) क्या मामले की सत्यता जानने के लिये सरकार कागज उद्योग तथा उनके विक्रेता एजेन्टों की आस्तियों की जांच करायेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) : कोयला, बिजली, कच्चे माल/रसायन की कमी तथा श्रमिक अशान्ति के कारण 1973 मे काग़ज के उत्पादन में मंदी का रूप था। सामान्य किस्म के कागज की कमी इस कारण और अधिक बढ़ गई कि उत्पादन ढ़ांचे में परिवर्तन कर दिया था जिसका परिणाम यह हुआ कि छपाई और लिखाई में कार्य, आने वाले कल्चरल कागज के उत्पादन में गिरावट आ गई। विभिन्न प्रकार के कागजों के मूल्य भी

बढ़ गए हैं। जान पड़ता है कि अधिकतम कागज मिलों ने पिछले एक दो वर्षों में पर्याप्त लाभ कमाया है। वर्ष 1973 के उत्तरार्ध और 1974 के प्रारम्भ में कागज उद्योग/व्यापार (जिसमें विक्रेता अभिकर्ता शामिल हैं) पर धन सम्बन्धी (ऑनमनी) रिपोटें दी गई थीं। फिर भी, कुल मिलाकर, कागज निर्माताओं द्वारा कागज की कीमतें बढ़ा देने के पश्चात इस प्रकार के व्यवहार सम्बन्धी कोई रिपोर्ट नहीं है। इस असंतुलन को ठीक करने के लिये सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन कागज (उत्पादन नियंत्रण) आदेश, 1974 जारी किया था जिससे बड़ी कागज मिलों के उत्पादन ढांचे का विनियमन किया जा सके और छपाई के सफेद कागज की उपलब्धि में वृद्धि करने का सुनिश्चय किया जा सके। शैक्षिक क्षेत्र के लिए छपाई का सफेद कागज उपलब्ध कराने और सरकार की आवश्यकता 2750 रु० प्रति मी० टन को नियत दर पर पूरी करने के लिये कागज उद्योग को सहमत कर लिया गया है।

वितरण की वर्तमान प्रणाली की जांच की जा रही है।

पोखरन में परीक्षण स्थल की खोज

3939. **श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने अभी पोखरन में परीक्षण स्थल की खोज न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में छत्तीस गढ़ में हरिजन लड़की का फुसलाना तथा नीलाम किया जाना

3940. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री शक्ति कुमार सरकार
श्री जी० वाई० कृष्णन
श्री विजय पाल सिंह
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि महिलाओं का अवैध पण्न करने वालों ने एक सोलह वर्षीय सुन्दर हरिजन लड़की को फुसलाया था तथा तत्पश्चात् नीलाम करके मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के एक ठाकुर को बेच दिया था ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान तथा कर्नाटक में हरिजनों पर किये जा रहे क्रूर अत्याचारों की ओर भी दिलाया गया है ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

(घ) राज्य सरकारें ऐसे मामलों में कानून के अन्तर्गत उपयुक्त निरोधात्मक तथा दंडात्मक कार्यवाही भी करती हैं । केन्द्रीय सरकार समय समय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों पर किये गये अपराध के मामलों में कुशल जांच तथा मुकदमा चलाने की आवश्यकता पर राज्य सरकारों पर जोर डालती रही है । 1974–75 में हुई क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में गृह मंत्री ने इस समस्या की ओर मुख्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया था तथा अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों पर अपराधों की शिकायतों की शीघ्र जांच के लिये राज्य और जिला स्तरों पर विशेष प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर बल दिया था । अनुसूचित जातियों/जनजातियों की शिकायतों पर विचार करने अथवा सरकारी सेवाओं आदि में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की नौकरी के संबंध में स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिये आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू तथा पश्चिम बंगाल में सीधे संबंधित मुख्य मंत्रियों के अधीन विशेष एकक समितियां स्थापित की गई हैं । उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातीयों के सदस्यों पर किये गये अपराधों के मामलों की शिकायतों की शीघ्र जांच करने तथा कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिये पुलिस उप-महानिरीक्षक के चार्ज में एक विशेष एकक स्थापित किया गया है । गुजरात में, हरिजनों तथा अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की गंभीर शिकायतों की जांच करने के लिये राजकोट और बड़ौदा में पुलिस अधिकारियों के चार्ज में विशेष एकक स्थापित किये गये हैं । इस के अतिरिक्त पुलिस सहायक महानिरीक्षक के स्तर के एक अधिकारी द्वारा राज्य के पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में इस समस्या पर विशेष रूप से कार्यवाही की जाती है ।

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है । विधेयक में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के उपबंधों के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा अस्पृश्यता अपराधों के लिए अधिक कड़ा दंड देने की व्यवस्था है ।

ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा उड़ीसा के ग्रामों में बिजली लगाया जाना

3941. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में ग्राम्य विद्युतीकरण निगम का कार्य अब तक बहुत असंतोषजनक रहा है; और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य में अब तक कितने ग्रामों में बिजली लगाई गई है और अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिशतता की औसत क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड एक वित्त-पोषक संस्था है और यह राज्य विजली बोर्डों द्वारा प्रायोजित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ऋण सहायता देता है। निगम द्वारा स्वीकृत स्कीम बोर्डों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

निगम ने अब तक उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की 61 स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनके लिए 24.66 करोड़ रुपये की ऋण सहायता अपेक्षित है। इन स्कीमों के पूर्ण होने पर 39,922 पम्पसेट ऊर्जित किए जा सकेंगे तथा 5,348 गांवों में 6,852 लघु उद्योगों को विजली दी जा सकेगी निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों को 5 बर्षों तक की अवधि में पूर्ण करने के लिये चरणबद्ध किया जाता है।

(ख) उड़ीसा राज्य में 46,466 गांव हैं। 9,644 गांवों का 30-11-1974 तक विद्युतीकरण किया जा चुका था। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकरण किए गए 7,645 गांव शामिल हैं। उड़ीसा सहित, विभिन्न राज्यों में विद्युती कृत गांवों की प्रतिशतता दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

31-1-1975 को देश के विभन्नि राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की प्रतिशतता को दिखाने वाला विवरण

क्रम स०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	31-1-1975 को विद्युतीकृत गांवों की संख्या	31-1-1975 को कुल गांवों से विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	27,084	10,341	38.2
2	असम	20,565 (21,995) (*)	1,146(*) (क)	5.2(*)
3	बिहार	67,665	9,838(ग)	14.5
4	गुजरात	18,584 (18,275) (*)	5,903(*)	32.4(*)
5	हरियाणा	6,669	6,669	100.0
6	हिमाचल प्रदेश	13,060 (16,916) (*)	4,682(*) (ग)	27.6(*)
7	जम्मू व कश्मीर	6,559 (6,503) (*)	1,581(*) (ख)	24.3(*)

1	2	3	4	5
8	कर्नाटक	26,377 (26,826)(*)	13,550 (*)	50.5(*)
9	केरल	1,573	1,389	88.5
10	मध्य प्रदेश	70,414	11,005 (च)	15.7
11	महाराष्ट्र	35,851	18,443	51.4
12	मणिपुर	1,866 (1,949)(*)	213 (*)	10.9(*)
13	मेघालय	4,407	137 (क)	3.1
14	नागालैन्ड	814 (960)(*)	155 (*)	16.2(*)
15	उड़ीसा	46,466	9,644 (घ)	20.8
16	पंजाब	11,947 (12,188)(*)	7,310(*)(च)	60.0(*)
17	राजस्थान	32,241 (33,305)(*)	5,914(*)(च)	17.7(*)
18	तमिलनाडु	14,124	13,822 (च)	97.8
19	त्रिपुरा	4,932	111 (च)	2.2
20	उत्तर प्रदेश	1,12,624	30,434	27.0
21	पश्चिम बंगाल	38,454	9,341	24.3
	कुल (राज्य)	5,62,276	1,61,628	28.7
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	4,602	1,117	24.3
	कुल (अखिल भारत)	5,66,878	1,62,745	28.7

आंकड़े अनन्तिम हैं।

(क) 31-3-1974 को स्थिति

(ख) 30-9-1974 को स्थिति

(ग) 31-10-1974 को स्थिति

(घ) 30-11-1974 को स्थिति

(च) 31-12-1974 को स्थिति

Realisation of Loans advanced to Film Producers by F.F.C.

3942. **Shri M.C. Daga** : Will the **Minister of Information Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether many of the film producers, who have been given loans by Film Finance Corporation, have not been able to repay their loans; if so, the names thereof, the amount of the loans to be repaid by each of them and the action being taken by Film Finance Corporation to realise the same; and

(b) whether the Film Finance Corporation has written off an amount of Rs. 12 lakhs and if so, when and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b) : A statement showing the position as on 31st December, 1974 is attached.

[Placed in library. Sec. No. L.T. 9235/75]

विद्युत संसाधनों के विकास के लिये केरल द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

3943. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विद्युत संसाधनों के विकास के लिये केरल सरकार की ओर से हाल में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) केरल सरकार ने इदिक्की परियोजना को समय पर पूर्ण करने के लिए दो करोड़ रुपये की न्यूनतम सहायता देने क लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था । ऊर्जा मन्त्रालय ने जीवन बीमा निगम से सिफारिश की है कि अतिरिक्त ऋण सहायता देने पर विचार किया जाए और राज्य सरकार को इस संस्था से अनुरोध करने की सलाह दी है ।

बिहार में विद्युत परियोजनाओं को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना

3944. **श्री प्रबोध चन्द्र श्री हरी सिंह** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार राज्य में दो विद्युत परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में लेने का है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) : बिहार सरकार ने, राज्य में सीमित संसाधन उपलब्ध होने के कारण, तेनुघाट ताप-विद्युत केन्द्र और कोइलकारो जल-विद्युत परियोजना को केन्द्रीय सैक्टर में लेने का केन्द्र से अनुरोध किया है । केन्द्र द्वारा इन परियोजनाओं को ले लिए जाने के प्रश्न की राज्य सरकार की सलाह से जांच की जा रही है ।

टेलीफोनों से चढ़ा-बढ़ा कर बनाये गये बिल

3945. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कभी कभी उपभोक्ताओं को टेलीफोन के पुराने बिल यहां तक कि चार वर्ष पुराने बिल और कभी-कभी बढ़ा-चढ़ा कर बिल भेजे जाते हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या जनता को परेशानी से बचाने के लिये सरकार का विचार एक वर्ष के बाद बकाया बिलों की फाइल को बन्द करने का है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बकाया बिलों की वसूली करनी ही पड़ेगी, चाहे वे एक साल या इससे ज्यादा समय से बकाया पड़े हों। दी गई सेवाओं के लिए बिलों की वसूली करने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि किसी को परेशान किया जा रहा है।

राज्य के पांचवीं योजना परिव्यय में विद्युत के संबंध में अधिक आबंटन करने के लिए बिहार के 'विद्युत प्लान' प्रोजेक्ट समिति से ज्ञापन

3946. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य के लिये एक 'विद्युत प्लान' प्रोजेक्ट समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां तो समिति के कृत्य क्या हैं तथा उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

(ग) क्या समिति ने राज्य के पांजवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय में विद्युत के संबंध में अधिक आंवटन करने के बारे में एक दूसरा ज्ञापन दिया है ;

(घ) क्या समिति की ओर से एक शिष्ट मंडल फरवरी, 1975 में उनसे मिला था ; और

(ङ) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है तथा शिष्ट मंडल के साथ क्या बातचीत हुई और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) : समिति का मुख्य कार्य बिहार राज्य बिजली बोर्ड और राज्य सरकार को विद्युत संबंधी योजना बनाने और विकास के मामलों में सलाह देना है। समिति ने दो ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं। इसमें से दूसरे ज्ञापन में केन्द्र से विद्युत परियोजनाओं के

लिये अधिक धन आवंटित करने, तेनुघाट और कोइल कारो जल-विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय सैक्टर में लेने, तथा अगली योजना में बिहार को दामोदर घाटी से विद्युत की सप्लाई निर्धारित करने के लिये अनुरोध किया गया है।

निम्नलिखित विधायक उपर्युक्त समिति के सदस्य हैं :—

1.	श्री सुनील मुखर्जी	अध्यक्ष
2.	श्री भोला प्रसाद सिंह	सदस्य
3.	श्री कमलदेव नारायण सिन्हा	सदस्य
4.	श्री मुहम्मद शकूर	सदस्य
5.	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
6.	श्री सरयू मिश्रा	सदस्य
7.	श्री शिव शरन सिंह	सदस्य
8.	श्री डा० अनिरुद्ध झा	सदस्य
9.	श्री फगुनी राम	सदस्य
10.	श्री तरणी प्रसाद सिंह	सदस्य
11.	श्री रघुनाथ झा	सदस्य
12.	श्री युवराज	सदस्य
13.	श्री राज किशोर प्रसाद सिंह	सदस्य
14.	श्री हरदेव प्रसाद	सदस्य
15.	श्री जगबंधु अधिकारी	सदस्य
16.	श्री नन्द किशोर सिंह	सदस्य
17.	श्री राजेन्द्र नाथ डावन	सदस्य
18.	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	सदस्य
19.	श्री घनश्याम महतो	सदस्य
20.	श्री एस० के० बागे	सदस्य
21.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	सदस्य
22.	श्री जय प्रकाश मिश्रा	सदस्य
23.	श्री बैरागी ऊरायों	सदस्य
24.	श्री देव दत्त साहु	सदस्य

समिति के सदस्य फरवरी, 1975 में ऊर्जा मंत्री को मिले थे, जिन्होंने उनसे यह कहा था कि मामले की छानबीन की जायेगी ।

महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश को बिजली की सप्लाई में कमी

3947. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र हरियाणा तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश में घरों और उद्योगों के लिये बिजली की सप्लाई में भारी कटौती की गई है, और

(ख) यदि हां, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिये बिजली उत्पादन समन्वय लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ;

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) महाराष्ट्र हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में घरेलू और औद्योगिक उपभोगताओं पर इस समय लागू विद्युत कटौतियां इस प्रकार हैं :—

राज्य का नाम	लागू विद्युत कटौतियां	
	घरेलू	औद्योगिक
1	2	3
1. महाराष्ट्र	25%	ऊर्जा पर 14% से 30% कटौती और मांग पर 26% से 30% कटौती
2. हरियाणा	नगरीय संभरक (फीडर) प्रातः 6 बजे से शाम के छः बजे तक काट दिये जाते हैं ।	60%
3. तमिलनाडु	200 युनिट/मास तक कोई कटौती नहीं	60%
4. पंजाब	ग्रामीण संभरकों को शाम के छः बजे से 11 बजे तक और प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक सप्लाई की जाती है ।	10% से 50%
5. उत्तर प्रदेश	सभी नगरों के लिये प्रतिबंधित घंटों में सप्लाई की जाती है ।	बारी-बारी से और प्रतिबंधित सप्लाई

(ख) विद्युत की कमी की समस्या पर काबू पाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) वर्तमान ताप-विद्युत केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना ।

(2) निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक चालू करना ।

(3) निकटवर्ती राज्यों/प्रणालियों से सहायता की व्यवस्था करना ।

(4) वर्गीकृत प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध ऊर्जा के युक्तियुक्त वितरण की प्रणाली लागू करना और दिखावटी कार्यों के लिये विद्युत के प्रयोग पर रोक लगाना, ताकि इस प्रकार बचाई गई ऊर्जा को कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उपयोग में लाया जा सके ।

बिहार के छोटानागपुर डिवीजन में आदिवासी ग्रामों में बिजली पहुंचाना

3948. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के छोटानागपुर डिविजन के एक भी ऐसे गांव में बिजली नहीं पहुंचाई गई जहां आदिवासी रहते हैं ;

(ख) क्या एक ब्लाक को छोड़कर जहां एक भारत-जर्मन परियोजना चल रही है, इस क्षेत्र में कृषि कार्यों के लिये बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई ; और

(ग) यदि हां, तो छोटानागपुर में आदिवासी गांवों को बिजली पहुंचाने के बारे में उपेक्षा करने के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में उच्च प्राथमिकता के आधार पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली में सीमेंट उत्पादनकर्ता संघ तथा कोयला खान प्राधिकरण द्वारा आयोजित गोष्ठी

3949. **श्री पी० गंगादेव**
श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में फरवरी, 1975 के तीसरे सप्ताह में सीमेंट उत्पादन संघ तथा कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा संयुक्त श्रम से कोई गोष्ठी आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) क्या गोष्ठी में सीमेंट कारखानों में घटिया कोयले के प्रयोग के बारे में कोई सुझाव दिये गये ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) खपत की अधुनातम प्रवृति की पृष्ठभूमि में सीमेंट उद्योग द्वारा कोयले की मात्रात्मक और गुणात्मक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी और विचारों का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था । इसमें कोयले की पूर्ति पर पुर्नविचार कोयले का संचालन, दहन-क्षमता की जरूरतों पर पुन: विचार कोयले जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई थी ।

(ग) सीमेंट कारखानों द्वारा घटिया किस्म के कोयले के उपयोग के प्रश्न पर भी विचार किया गया था और यह सुझाव दिया गया था कि निम्न ग्रेड कोयले के उपयोग की तकनीकी संभावना का अध्ययन करने हेतु एक दल का गठन किया जाये ।

बिहार में कागज मिलें

3950. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि बिहार में सरकारी क्षेत्र में कागज मिल की स्थापना की जाय क्योंकि वहां कच्ची-सामग्री विपुल मात्रा में उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु

3951. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु का समाचार मिलते ही निम्नलिखित मांग की गयी

(एक) श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु से संबंधित सभी घटनाओं की न्यायिक जांच

(दो) उनकी शव-परीक्षा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि न्यायिक जांच का आदेश श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु के लगभग एक माह पश्चात दिया गया और शव-परीक्षा की ही नहीं गयी ; और

(ग) इस मामले में देर से जांच कराने तथा शव-परीक्षा न कराने से क्या लाभ हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (ग) तक : 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर में विस्फोट के संबंध में दर्ज किया गया मामला जिसमें श्री एल० एन० मिश्र की मृत्यु हुई थी, 8 जनवरी, 1975 को बिहार सरकार के अनुरोध पर जांच पड़ताल के लिये केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपा गया था । बाद में केन्द्रीय सरकार ने 10 फरवरी, 1975 को व्यापक क्षेत्र के साथ जांच अधिनियम आयोग के अधीन एक जांच आयोग नियुक्त किया था । इस जांच आयोग की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना की एक प्रतिलिपि संलग्न है । (ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० –9246/75) । आयोग की जांच जारी है ।

Documents Seized from Bases of Underground Nagas

3952. Shri Phool Chand Verma : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether during the operation launched by security forces to wipe out rebel Nagas in Nagaland, some very important documents have been seized from the bases of underground Nagas and in one of these documents China has committed air force training to them ; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) Some documents have been seized by the Security Forces during their operations against the underground Nagas. No document relating to China's offer for Air Force training to underground Nagas has come to Government's notice.

(b) Does not arise.

26 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी वाली कम्पनियों को आयातित कच्चे माल का विविधिकरण

3953. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966—70 के बीच लागू विविधिकरण नीति के अन्तर्गत, विदेशी कम्पनियों सहित सब कम्पनियों को नई वस्तुओं का निर्माण करके अथवा उनके द्वारा पहले से बनाई जा रही वस्तुओं की उत्पादन लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से 25 प्रतिशत तक बढ़ा कर अपने उत्पादन के विविधिकरण की अनुमति थी;

(ख) क्या उक्त अवधि में सब कम्पनियों को कच्चे माल के अयात की अनुमति भी दी गई थी;

(ग) क्या वर्ष 1970 में आयातित कच्चे माल की अनुमति की छूट वापिस ले ली गई थी और विदेशी कम्पनियों को विविधिकरण से वंचित कर दिया गया था;

(घ) छूट, अर्थात् पंजीकरण और विविधिकरण दोनों के अन्तर्गत आने वाले सब क्रिया-कलापों के लिये भारतीय मध्यम क्षेत्र के लिये 5 लाख रुपये तक सुविधाएँ सीमित करने का क्या औचित्य है; और

(ङ) क्या उक्त प्रतिबन्ध के कारण मध्यम क्षेत्र पूरी क्षमता का उपयोग करने से वंचित नहीं रह गये हैं और क्या 26 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी वाली कम्पनियों को आयातित कच्चे माल के सम्बन्ध में विविधिकरण के मामले में खुली छूट्टी देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ङ) अक्टूबर, 1966 में की गई सरकार की घोषणा के अनुसार औद्योगिक उपक्रमों को कुछ शर्तों के आधार पर अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 25 प्रतिशत तक के युक्त विविधिकरण विस्तार की अनुमति दी गई थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा व्यय नहीं की जायेगी। बाद में दिसम्बर, 1967 में प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के विविधिकरण के मामलों में इस शर्त में ढील दे दी गई थी। जून, 1969 में सरकार ने इस ढील पर पुनर्विचार किया तथा यह निश्चय किया है कि प्रतिबन्धित सूची में सम्मिलित की गई वस्तुओं के मामले में आयातित और दुर्लभ देशी कच्चे माल के उपयोग द्वारा मुक्त विविधिकरण की अनुमति नहीं दी जायेगी जुलाई, 1970 में जारी किए गए मुक्त विविधिकरण सम्बन्धी संशोधित आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि पूंजीगत वस्तुओं कच्चे माल या उपकरणों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा व्यय नहीं की जानी चाहिए। 1970 में घोषित नीति के अनुसार विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियां और बड़े औद्योगिक गृहों को मुक्त विविधिकरण के लिये अपात्र घोषित कर दिया गया था।

विविधिकरण की विद्यमान नीति का नियमन अधिसूचना सं० 98 (ई) आई० डी० आर० ए० 29 बी 73–1 दिनांक 16–2–73 (जिसकी प्रति लोक सभा सचिवालय पुस्तकालय में उपलब्ध है) द्वारा किया जाता है इस नीति का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के गहन और सार्थक अभ्युपायों द्वारा लघु और मध्यम उद्यमियों को बढ़ाना और उनका संवर्धन करना है। इस नीति के संदर्भ में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने अथवा नई वस्तु का उत्पादन करने अथवा पर्याप्त विस्तार करने के लिये यदि अचल आस्तियों जैसे भूमि भवन, संयंत्र और मशीनों पर आने वाला व्यय 1 करोड़ रुपये से अधिक न होने की स्थिति में तथा कुछ अन्य शर्तों के पूरी होने की स्थिति में औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। पूरी की जाने वाली शर्तों में से एक शर्त यह है कि प्रस्तावित विनियोजन में निम्नलिखित सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा व्यय न होगी।

1. कच्चे माल के आयात के लिये अल्यूमीनियम और इस्पात को छोड़कर जो वर्ष में उत्पादन करने के लिये इस्तेमाल किया गया हो कारखाने से निकलते समय के मूल्य के वार्षिक उत्पादन का 5 प्रतिशत अथवा 5 लाख जो भी कम हो।

2. उत्पादन शुरू होने के तीन वर्ष बाद के किसी भी वर्ष में उत्पादन कार्य के लिये आवश्यक अन्तर्वस्तुओं के आयात के लिए वार्षिक उत्पादन के कारखाने से निकलते समय के मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख जो भी कम हो। विदेशी मुद्रा की विकट स्थिति को देखते हुये उक्त सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा व्यय वाली योजनाओं की जांच करना आवश्यक है ताकि भुगतान की राशि आयात से होने वाली बचत

तथा पूंजीगत वस्तुओं कच्चे माल और उपकरणों के आयात पर आने वाले व्यय पर इसके वास्तविक प्रभाव का सुनिश्चय किया जा सके। फिलहाल इस नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के दूसरे यूनिट का चालू किया जाना

3954. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 में चालू किये जाने वाला राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का दूसरा यूनिट अभी तक तैयार नहीं हुआ है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना के चालू किये जाने में विलम्ब के कारणों में से एक कारण विदेशी और भारतीय, दोनों ही सप्लायरों द्वारा आवश्यक उपकरण के दिये जाने में सामान्य विलम्ब है ;

(ग) यदि हां, तो वे भारतीय फर्में कौन सी है जो निर्धारित समय पर उपकरण सप्लाई नहीं कर सकी ;

(घ) परियोजना की लागत में कहां तक वृद्धि हुई है ; और

(ङ) यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) तथा (ख) जी, हां।

(ग), (घ) तथा (ङ) सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों की ऐसी कई फर्में हैं जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपकरण सप्लाई नहीं कर सकी हैं। ऐसा होने का मुख्य कारण, इस काम में बड़े पैमाने पर किये जाने वाला विकास-कार्य तथा निर्माण के विभिन्न चरणों में उत्पन्न हुई आकस्मिक तकनीकी समस्यायें थीं। जिन मुख्य उपकरणों के समय पर न मिल सकने के कारण राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के दूसरे यूनिट के निर्माणकार्य को पूरा करने में विलम्ब हुआ है, उनके सप्लायरों के नाम निम्नलिखित हैं :—

फर्म का नाम	उपकरण की मद
1. मैसर्स लारसन एण्ड ट्यूब्रो	कैलेंड्रिया
2. मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	एण्ड शील्ड्स
3. मैसर्स एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी	शील्ड टैंक
4. मैसर्स ज्योति लिमिटेड	सर्कुलेटिंग एण्ड प्रोसेस वाटर पम्पस

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना II पर आने वाली लागत के बारे में संशोधित अनुमान तैयार किया जा रहा है तथा आशा है कि उसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यदि भारी पानी उपलब्ध हो सका तो इस यूनिट के सन 1976 में क्रांतिकता प्राप्त कर लेने की आशा है। क्रांतिकता प्राप्त करने के कुछ महीने बाद ही इस यूनिट के पूरी तरह से चालू हो जाने की सम्भावना है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन से सेवा निवृत्ति व्यक्तियों की नियुक्ति

3955. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री एम० वी० कृष्णप्पा
श्री एस० एन मिश्र
: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि कुछ गैर तकनीकी कर्मचारियों और बिना वैज्ञानिक अर्हता वाले व्यक्तियों को अन्य विभागों से 58 वर्ष की आयु में सेवा निवृत हो जाने के बाद हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन में नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जब से उक्त निगम की स्थापना हुई है, तब से नियुक्त ऐसे व्यक्ति कितने और कौन-कौन है ?

(ग) क्या इन सेवा निवृत व्यक्तियों की सेवा की अवधि 61 वर्ष के बाद भी अनुचित रुप से बढ़ाई जा रही है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य):

(क) जी, हां ।

(ख) एक सूची संलग्न है ।

(ग) हिन्दुस्तान कागज निगम में 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस समय सेवा नियोजित नहीं है ।

(घ) निगम के गैर तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती को शसित करने वाले सिद्धान्तों और नीतियों का शीघ्र ही पुनरावलोकन करने का विचार है।

विवरण

निगम के बनने से लेकर हिन्दुस्तान कागज निगम में सरकारी विभागों से सेवा निवृत्त होने के पश्चात नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सूची ।

1. श्री के० पी० विश्वनाथन नायर
2. श्री बी० पी० बलवानी
3. श्री एस० एस० शर्मा

4. श्री बी० एन० पाठक
5. श्री एम० सी० चटर्जी
6. श्री वी० एन० सूद
7. श्री बी० बी० दास
8. श्री एस० के० मित्रा
9, श्री एस० के० राय चौधरी

(6–9) : इस समय हिन्दुस्तान कागज निगम में सेवा नियोजित नहीं है ।

केरल में अत्तापडी और वायनाड का विकास

3956. **श्री सी० एम० मोहम्मद कोया :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पश्चिमी घाट की तीव्र विकास योजनाओं के अन्तर्गत अत्तापडी और वायनाड के विकास की योजनाएं प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना पर क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अत्तापडी के विकास के लिए राज्य सरकार ने दो स्कीमें नामत: "दुग्ध उद्योग केन्द्र की स्थापना" और "सहकारी फार्म की स्थापना", प्रस्तावित की थीं । "दुग्ध उद्योग केन्द्र की स्थापना" नामक स्कीम को स्वीकृति दे दी गई है । अत्तापड़ी में "सहकारी फार्म की स्थापना" नामक स्कीम को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी गई है। इसकी अंतिम रूप से स्वीकृति उच्चस्तरीय समिति द्वारा प्रदान की जाएगी ।

राज्य सरकार ने वायनाड में एक सहकारी फार्म स्थापित करने की स्कीम का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

1971 की जनगणना में एकत्र किये गए भाषा संबंधी आंकड़े

3957. **श्री रेणुपद दास :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1975 के 'स्टेटसमैन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि 1971 की जनगणना में एकत्र किये गये भाषा संबंधी वे आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं जो मातृ भाषा के रूप में हिन्दी वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी होना बताते हैं ।

(ख) क्या इस संख्या में अब तक लगभग 28 प्रतिशत तक की कमी हो गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सही आंकड़े क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) 1971 की जनगणना के अस्थाई आंकड़ों के अनुसार जो जनगणना शताब्दी निवन्ध सं० 10 में प्रकाशित किए गये हैं हिन्दी को मातृ भाषा के रूप में बोलने वालों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 28.06 है जबकि 1961 में 28.02 था।

दिल्ली टेलीफोन क्षेत्र (डिस्ट्रिक्ट) के कर्मचारी

3958. **श्री सी० जनार्दनन्** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे पदों पर नियुक्त किये जाने वाले इंजीनियरिंग स्नातकों को छह अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं जिन के पदों के लिये न्यूनतम अर्हता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होती है और जिन्हें 1 दिसम्बर, 1973 से पूर्व नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या दिल्ली टेलीफोन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को यह लाभ अभी तक नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) तारीख 1-1-73 से जो संशोधित वेतनमान लागू हैं उनमें ऐसे मामलों में कोई अग्रिम वेतन वृद्धि देने की व्यवस्था नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम तथा मेघालय की विद्युत-प्रणालियों का समन्वित कार्य

3959. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और मेघालय सरकार ने दोनों राज्यों की विद्युत प्रणालियों को समन्वित रूप से चलाने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) असम और मेघालय राज्यों की विद्धुत प्रणालियाँ, जिन्हें एक प्रणाली के रूप में विकसित किया गया था, एकीकृत ढंग से कार्य कर रही है ।

(ख) विभिन्न राज्यों में विद्युत प्रणालियों का एकीकृत ढंग से प्रचालन करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि क्षेत्रीय ग्रिड़ों का निर्माण किया जा सके और अन्त में एक 'राष्ट्रीय ग्रिड़' स्थापित हो सके ।

उद्योगों को कोयले की सप्लाई

3960. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खपत करने वाले उद्योगों को कोयले की सप्लाई की नई पद्धति को लागू करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता ।

दिल्ली में पहाड़गंज के पुलिस अधिकारियों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों पर मुकद्दमा चलाया जाना

3961. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़गंज (दिल्ली) के पुलिस अधिकारियों ने हत्या के आरोप में निर्दोष व्यक्तियों पर मुकद्दमा चलाया था जबकि वास्तविक अपराधी नहीं पकड़े गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस गंभीर लापरवाही के लिये उन पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) 12–11–1974 को अपराहन लगभग 5.45 बजे देशबन्धु गुप्ता रोड पर एक व्यक्ति रमाकान्त को छुरा घोंप कर हत्या कर दी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 1051 दिनांक 12–11–74 की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अन्तर्गत पहाड़गंज थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। दिनांक 19–11–74 को दो व्यक्ति मोहम्मद शफी तथा मोहम्मद इद्रीश ने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 1084 दिनांक 19–11–74 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/34 के अधीन एक अन्य मामले में गिरफ्तार किये गये थे, पहाड़गंज थाने में अपने बयान में कहा कि उन्होंने रमाकान्त की हत्या की थी। मामले का चालान किया गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अपराध शाखा के अनुरोध पर सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई रूकवा दी गई है। यह इसलिये किया गया क्योंकि इसी दौरान 15–1–75 को एक व्यक्ति धर्मबीर उर्फ रोशन लाल ने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 45 दिनांक 15–1–75 को शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के अधीन एक मामले में गिरफ्तार किया गया था सराय रोहिला थाने में अपने बयान में बताया कि देशबन्धु गुप्ता रोड बस स्टन्ड पर उसने एक व्यक्ति को छुरा घोंपा था और उसने घटना स्थल को भी बताया। उसने आगे बताया कि इस अपराध को करने में उसकी सहायता बलवान तथा जैसा ने की थी। आगे जांच चल रही है और बलवान तथा जैसा अन्य दो अपराधियों को ढूंढने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) अपराध शाखा दिल्ली द्वारा आगे की जांच पूरी होने तक दिनांक 17–1–75 को पहाड़ गंज के एस० एच० ओ० को निलम्बित कर दिया गया था।

Production in Heavy Industry

Z962. **Shri Mulki Raj Saini**
Shri Gajadhar Majhi : Will the **Minister of Industry and Civil Suppl** biese pleased to state :

(a) the industrywise percentage of increase in production in the Heavy industries of the public sector in 1973-74 ;

(b) the industrywise percentage of increase in production in the said type of industries in the private sector ;

(c) the names of the industries where production decreased and the percentage of deorease ; and

(d) the schemes drawn by Government to increase the production in the industries where it has gone down ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.C. George) : (a) A statement is annexed. It will be seen that the incease in production in public sector in 1973-74 was 46% over the previous year as against general increase of 0·7% in industrial production during the same period.

(b) A statement showing the percentage of increase in production in the heavy industries in the private sector is attached.

[Placed in liberary. See No. L. T. 9236/75]

(c) The information is given in the attached statements.

[Placed in liberary. See No. L.T. 9236/75]

(d) Government have liberalized permission to the industries in the field of industrial machinery, machine tools and electrical transmission and distribution machinery to diversify their production in the same technological profile so as to make fuller use of their unutilised capacity. Towards the same objective permission is also being given to them to import Rs. 5 lakhs worth of design drawings and documentation in a year. Assistance is also being given to industries in procuring raw material and where possible in coordinating with the user industries to secure additional orders for them. Effort is also being made to improve power supply, **inter alia,** to the heavy industries sector.

पांचवीं योजना में विजयवाडा ताप बिजली घर का चालू किया जाना

3963. **डा० के० एल० राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में विजयवाड़ा ताप बिजलीघर चालू किया जायेगा :

(ख) इसके लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता है और अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है ; और

(ग) वर्ष 1975–76 के लिये उक्त परियोजना के लिये कुल कितनी राशि दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विजयवाड़ा ताप-विद्युत केन्द्र में 200–200 मेगावाट के दो यूनिटों की प्रतिष्ठापना परिकल्पित है । पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में, योजनावधि के दौरान 200 मैगावाट के एक यूनिट से लाभ प्राप्त होने की परिकल्पना की गई है ।

(ख) और (ग) परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 103.62 करोड़ रुपये है । मार्च, 1974 के अन्त तक 2.30 करोड़ रुपये व्यय हुए थे । मार्च, 1975 तक का प्रत्याशित व्यय 4.79 करोड़ रूपये है । विद्युत से संबंधित कार्यकारी दल ने भी 1975–76 के लिये 1.50 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की है । कार्यकारी दल ने 2.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की भी सिफारिश की है, जो संसाधनों की उपलब्धता पर तिर्भर करेगी ।

वेल्लूर, केरल में अखबारी कागज परियोजना

3964. **श्री ए० के० गोपालन**
श्री वयालार रवि } : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के कोट्टायम जिले में वेल्लूर अखबारी कागज संयंत्र परियोजना के नक्शे संबंधी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

(ग) उक्त परियोजना में कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(घ) पश्चिम जर्मनी और भारत सरकार के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) निगम द्वारा तैयार किये गये नक्शों को परामर्श दाताओं जिनके कि शीघ्र ही नियुक्त किए जाने की सम्भावना है, के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

(ग) कार्यान्वियन की वर्तमान समय सूची के अनुसार परियोजना के वर्ष 1978 में कार्यान्वित होने की संभावना है ।

(घ) परियोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं का आंशिक रूप से के एक डब्ल्यू की ऋण व्यवस्था के अधीन पूरा करने का विचार है परन्तु अभी इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । जर्मन गणराज्य सरकार एवं भारत सरकार के मध्य इस सम्बन्ध में कोई समझौता नही किया गया है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कपड़े के खुदरा डिपो

3965. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत कपड़ा बेचने के लिये राज्यवार कितनी खुदरा एजेंसियां स्थापित की गई हैं अथवा करने का विचार है ; और

(ख) यह डीलरशिप देने का मानदण्ड क्या है तथा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के साथ अधिमानात्मक वर्ताव करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों की पहले से ही 252 खुदरा दुकानें थीं जिन पर न मिलों द्वारा उत्पादिता नियन्त्रण और अन्य प्रकार के कपड़े बेचे जाते हैं इसके अलावा इन मिलों द्वारा उत्पादित कपड़ों को बेचने के लिये निगम अनेक दुकानें खोलने की योजना बना रहा है । इस प्रकार की तीन दुकानें दिल्ली में खोली जा चुकी हैं । खुदरा दुकानों का राज्यवार ब्यौरा देनेवाला एक विवरण संलग्न है :

(ख) अधिग्रहण की गई कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व कि बिक्री कार्य का संचालन अलग-अलग मिलों/अधिकृत नियन्त्रकों द्वारा किया जाता था । बिक्री की शर्तें और उपबन्ध आदि इन प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित प्रणाली को ध्यान में रख कर निश्चित किये जाते थे । ऐसे विक्रय 'एजेंन्टों'/वितरकों की नियुक्ति आमतौर पर कपड़े के कारोबार में उनके अनुभव और वित्तीय स्थिति के आधार पर की जाती थी । राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इन मिलों के उत्पादों की विपणन व्यवस्था हाल ही में स्थापित किए गए नौ सहायक निगमों के माध्यम से की जाती है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	खुदरा दुकानों की संख्या
1	गुजरात	15
2	आन्ध्र प्रदेश	3
3	महाराष्ट्र	109
4	उत्तर प्रदेश	17
5	मध्य प्रदेश	17
6	राजस्थान	6
7	दिल्ली	13
8	पश्चिम बंगाल	28
9	मैसूर	31
10	तामिलनाडु	15
11	केरल	1
	योग	255

दिल्ली-कलकत्ता ट्रंक टेलीफोन सेवा

3966. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में सरकार के ध्यान में दिल्ली-कलकत्ता और कलकत्ता-दिल्ली की ट्रंक टेलीफोन लाइन की मांग सेवा के बारे में अनेक अनियमितताएं लाई गई हैं ; और

(ख) दिल्ली-कलकत्ता, कलकत्ता-बम्बई और दिल्ली-गोहाटी के बीच सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की व्यवस्था में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली-कलकत्ता, कलकत्ता-बम्बई और दिल्ली गोहाटी के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा के क्रमशः वर्ष 1976–77, 1975–76 और छठी योजना अवधि के शुरु में चालू हो जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड-चार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु गैर-सरकारी समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों में भेजने की योजना

3967. **श्री टूना उरांव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड चार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए गैर-सरकारी समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों में भेजने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्दमान के भूतपूर्व उप-महा-निरीक्षक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3968. **श्री रोबिन सेन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बर्दमान रेंज, पश्चिम बंगाल के उप-महा-निरीक्षक पुलिस के विरुद्ध अपना जांच **प्रतिवेदन** प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) जैसा 4 दिसम्बर, 1974 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3165 के उत्तर में वताया गया था, पश्चिम बंगाल सरकार जिन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पर उपयुक्त कार्यवाही करनी है, के अनुरोध पर जांच पड़ताल की गई थी। तदनुसार रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई है।

Separate Cadre for C.B.I.

3969. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Central Bureau of Investigation has no separate cadre ;

(b) whether persons belonging to Police Services of various States are appointed in this Bureau;

(c) if so, whether the persons coming from State Police Services possess the requisite qualities necessary for a C.B.I. officer ; and

(d) if not, whether Government propose to form an independent Central Cadre for the CBI ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel & A.R. and Admimistrative reforms and Parlimentary Affairs (Shri Om Mehta) : (a) to (b) Appointments to various posts in the Central Bureau of Investigation are made by direct recruitment, promotion or transfer on deputation according to the percentages prescribed in the Recruitment Rules for the various categories of posts. Direct recruitment at present is made only to the grades of Constables, Sub-Inspectors and Deputy Superintendents. Suitable officers from the state Police, who have the requisite experience, are taken on deputation in the CBI through selection by a selection Board; and they also are imparted necessary training in the special requirements of the work of the Bureau. The deputationists who do not come up to expectation in the CBI are reverted to their parent cadres. It is thus ensured that the officers taken on deputation possess the requisite qualities. In view of the methods of recruitment referred to above, which include direct recruitment at certain levels, it is not considered necessary to form an independent Central cadre as such for the CBI.

Publicity about Appearance of Netaji Subhas Chandra Bose in Kanpur

3970. **Shri Nageshwar Dwivedi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the publicity made about the appearrance of Netaji Subhas Chandra Bose in Kanpur ;

(b) if so, on whose behalf this publicity was made and the extent to which Government believed in such publicity and the arrangements made for making the common man aware of the reality ;

(c) whether Jai Gurudev and a Member of Parliament had also a hand in making such publicity ;

(d) whether because of this rumour lakhs of people, who came to Kanpur on 23rd January, 1975 had to face inconvenience and frustration; and

(e) the names of the persons who were found responsible for spreading such a rumour and the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) to (e) Facts are awaited from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the House, when received.

अलवर (राजस्थान) में स्कूटर बनाने का कारखाना

3081. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलवर (राजस्थान) में स्कूटर बनाने का कारखाना स्थापित करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है,

(ख) परियोजना के मसौदे को तैयार करते समय इसकी मूल लागत कितनी थी तथा चालू होने का निर्धारित समय क्या था,

(ग) बाद में परियोजना के कितने पुनर्निर्धारण हुए और लागत तथा समय के मामले में पुनरीक्षित लक्ष्य क्या हैं ; और

(घ) परियोजना में गतिरोध के कारणों का ब्यौरा क्या है और कारखाना चालू होने के सम्बंध में नवीनतम स्थिति क्या है, प्रथम तीन वर्षों के लिए उत्पादन लक्ष्य क्या है तथा देश में बनाये जा रहे अन्य स्कूटरों की तुलना में इस कारखाने के एक स्कूटर का मूल्य क्या होगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राजस्थान में स्कूटरों का निर्माण करने के लिए परियोजना कार्यान्वित करने हेतु मै० अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड नामक एक नई कम्पनी निगमित की गई है। कारखाने की इमारत तैयार हो गई है और बहुत से उपकरण मिल गये हैं और लगा दिये गये हैं। 1975 के अंत तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है।

(ख) गियर्स प्लांट को छोड़कर मूल परियोजना लागत का अनुमान 190 लाख रुपये लगाया गया था तथा परियोजना के जुलाई 1970 तक पूरी होने की आशा थी।

(ग) संशोधित परियोजना लागत का अनुमान 282 लाख रुपये लगाया गया है इसमें गियर प्लांट की 31 लाख रुपये की लागत शामिल है और परीक्षण उत्पादन अब 1975 के मध्य तक तथा वाणिज्यिक उत्पादन 1975 के अंत तक होने की आशा है।

(घ) परियोजना के पुनर्निर्धारण के कई कारण हैं। सड़क पर चलने योग्य परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने हेतु अग्रयरूप के तैयार होने में विलम्ब तथा परियोजना के लिए पूंजीगत माल तथा वित्त की व्यवस्था में विलम्ब प्रमुख कारणों में से थे। इस समय, कारखाने की इमारत पूरी हो गई है। बहुत से उपकरण मिल गये हैं औंर लगा दिये गये हैं। आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती की गई है और वे काम कर रहे हैं। संयंत्र परीक्षण उत्पादन के लिए तैयार है। ऐसी आशा है कि तैयार उत्पादन प्रथम वर्ष में 6,000 स्कूटरों का होगा जो दूसरे और तीसरे वर्ष में बढ़कर क्रमश: 10,000 और 17,000 हो जाएगा। उत्पादन तथा अन्य करों को छोड़कर प्रति स्कूटर कारखाने से निकलते समय का मूल्य 3,315 रुपये होगा। देश में ही इसी तरह के बनाए गये दूसरे माडलों के मूल्यों की तुलना में इसका मूल्य ठीक है।

बेयरिंगों का उत्पादन

3972. **श्री निम्बालकर : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेयरिंग उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और वास्तविक उत्पादन कितना है ;

(ख) देश में कितने भिन्न-भिन्न प्रकारों और आकारों के बेयरिंग बनते हैं ; और

(ग) विदेशी सहयोग से कितने कारखाने चल रहे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) संगठित क्षेत्र में बाल और रोलर बियरिंगों की वर्तमान वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 310.54 लाख नग है और 1974 में इन बियरगों का वास्तविक उत्पादन 245.72 लाख नग रहा।

(ख) करीब छः सौ किस्मों और आकार के।

(ग) सात ।

प्रेस परिषद को समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के खिलाफ मिली शिकायतें

3973. **श्री के० लकप्पा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) गत एक वर्ष में प्रेस परिषद को समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के खिलाफ कितनी शि कायतें मिली हैं । ;

(ख) ये शिकायतें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) इसी अवधि में प्रेस परिषद ने कितनी शिकायतों पर निर्णय दिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) वर्ष 1974 के दौरान परिषद को 56 शिकायतें प्राप्त हुई ।

(ख) शिकायतें सम्प्रदायिक लेखों, अश्लीलता और पत्रकारिता संबंधी आचार का उल्लंघन किए जाने के बारे में थीं ।

(ग) पन्द्रह ।

पुनर्गठन तथा पुनः प्रवर्तन (रि-आर्गेनाइजेशन, एण्ड रि-इनफोर्समेंट) स्टेज पर ग्रेड-IV में अस्थायी सहायकों की नियुक्ति

3974. **श्री पीलू मोदी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्गठन तथा पुनःप्रवर्तन) योजना में पुनर्गठित स्टेज तथा पुनः प्रवर्तन स्टेज पर ग्रेड-IV में नियुक्तियों की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रेड IV के गठन से पूर्व विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में काम कर रहे सभी अस्थायी सहायकों की इस ग्रेड के पुनर्गठन स्टेज पर नियुक्त किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्गठन तथा पुनः प्रवर्तन) योजना और इस विषय में जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों में ऐसी प्रणाली निर्धारित की गई थी जिसमें पुनर्गठन से पूर्व 1–11–1951 से विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में कार्य कर रहे अस्थायी सहायकों को उस सेवा के ग्रेड IV में खपाया जाना था। अपेक्षित शर्तों को पूरा करने वाले सभी अस्थायी सहायकों को या तो सेवा के प्रारम्भिक गठन की स्टेज पर अथवा अनुरक्षण (मेन्टेनेन्स) की स्टेजों पर, प्रत्येक अवसर पर उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की संख्या को देखते हुए उक्त ग्रेड में समुचित रूप से खपाया गया था।

गुजरात सर्किल में डाकघर खोलना

3975. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार सर्किल, गुजरात ने वर्ष 1974 और जनवरी-फरवरी, 1975 में गुजरात के विभिन्न भागों में वर्तमान डाकघरों का विस्तार किया है अथवा नये डाकघर खोले हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार और जनता द्वारा यह प्रगति पर्याप्त समझी गई है और पाई गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में आगे प्रगति करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां। (ख) इस अवधि के दौरान 52 शाखा डाकघर खोले गये, 11 शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप डाकघर बनाया गया और एक उप-डाकघर को मुख्य डाकघर में बदल दिया गया।

(ग) और (घ) उपलब्ध साधनों और निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं कि जहां कहीं जरूरी हो, इन सुविधाओं में सुधार किया जाय और इनका विस्तार किया जाये।

उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये रोजगार

3976. **श्री गजाधर माझी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने संबंधी कोई योजना हाल में योजना आयोग ने मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ? और इस योजना को कब तक कार्य रूप दिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा के लिए रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम 1974—75 के अन्तर्गत अब तक 51.97 लाख रूपये के परिव्यय की स्कीमें स्वीकार की जा चुकी हैं। इन स्कीमों के लिए अक्तूबर 1974 में स्वीकृति प्रदान की गई थी । इन स्कीमों से संबंधित मुख्य बातें निम्न प्रकार है :—

स्कीम का नाम	स्वीकृत परिव्यय	रोजगार क्षमता
	(लाख रुपये)	(संख्या)
1. स्व-नियोजन के लिए मूल पूंजी	30.00	300†
2. बेरोजगार चिकित्सा स्नातकों को स्व-नियोजन के लिए वित्तीय सहायता	8.00	200
3. टैक्सी और राज्य परिवहन व्यवस्था में स्व-नियोजन	7.67	190
4. 10 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना	1.64	30
5. स्व-नियोजनार्थ प्रशिक्षण	1.68	400
6. आकस्मिक व्यय (संगठनात्मक खर्चा आदि के लिए)	2.98	—
जोड़	51.97	1120†

†इसके अतिरिक्त 3200 व्यक्तियों को परोक्ष रूप से रोजगार असवर उपलब्ध होंगे ।

समुद्रपारीय दूर संचार सम्पर्क

†3977. **श्री राज देव सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर के ऊपर स्थित किये जाने वाले चार उपग्रह 'इण्टलसेट' ले जाने वाला एटलस सैन्टर राकेट फे लहो जाने से भारत तथा विशव के साथ बीच दूर संचार सम्पर्क प्रभावित नहीं होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में फिर से प्रयास किये जायेंगे ताकि भारत जैसे विकास शील देश हिन्द महासागर के ऊपर एक उपग्रह पर ही निर्भर न रहें ; और

(ग) क्या विश्व के संचार मानचित्र (केबिल मैप) में लुप्त सम्पर्कसूत्रों को जोड़ने के लिये भारत ने प्रमुख भूमिका निभाई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) (क) और (ख) : हाल ही में छोड़े गए इण्टलसेट—चार उपग्रह के नाकाम होने से भारत और शेष विश्व के बीच विदेश दूरसंचार सेवा के दूरसंचार सम्पर्कों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । हिन्द महासागर क्षेत्र पर जो प्रचालनीय उपग्रह मौजूद है वह इण्टलसट—चार की तरह का ही है । इस क्षेत्र पर इस समय इण्टलसेट—तीन किस्म का एक अतिरिक्त

उपग्रह है, जिसकी क्षमता इण्टलसैण्ट–चार किस्म के उपग्रह से कम है । यदि प्रयोग में आ रहा उपग्रह बेकाम हो जाता है तो आपातकालीन स्थिति में इसका प्रयोग होगा । उपग्रह जिसके छोड़ने में कामयाबी नहीं मिली, इसी अतिरिक्त उपग्रह को बदलने के लिए था। इस क्षेत्र पर पर्याप्तिक्षमता के प्रचालनीय और अतिरिक्त उपग्रह सुलभ करने के प्रयास जारी रहेंगे।

(ग) समुद्री टेलीफोन केबल से भारत का सम्पर्क इस समय विश्व के किसी देश से नहीं है। भारत और मलेशिया के प्रायद्वीप के बीच चौड़ी पट्टी समुद्री टेलीफोन केवल सम्पर्क की एक योजना पर सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है । इसे हिन्द महासागर राष्ट्रमण्डल केबल प्रायोजना के रूप से जाना जाता है । इस योजना पर विचार करने के लिए मई, 1974 में भारत सरकार ने इच्छुक राष्ट्रमण्लीय देशों का एक सम्मेलन बम्बई में बुलाया था। इस प्रायोजना को परीक्षात्मक रूप से विदेश संचार सेवा की पचंवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है । यदि इस प्रयोजना पर अमल हुआ तो, इस कार्य का प्रमुख भाग छटी योजना अवधि क दौरान पूरा होने की आशा है ।

विदेशी कम्पनियों की परिभाषा

3978. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास तथा विनयमन) अधिनियम के अन्तगर्त कम्पनियों को 'विदेशी कम्पनियां' माना जाता है जिनके पास 50 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी है ;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत उन कम्पनियों को "विदेशी कम्पनियां" माना जाता है कि जिनके पास 40 प्रतिशत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भेदभाव करने के क्या कारण हैं जहां तक कि ये इक्विटी के आधार पर विदेशी फर्मों के साथ अलग-अलग वर्ताव करते हैं ; और

(घ) क्या इस त्रुटी को दूर करने तथा 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक विदेशी इक्विटी वाली कम्पनी को सब प्रयोजनों के लिए विदेशी कम्पनी मानने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव इरादा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) विदेशी कम्पनी की उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1961, में इस प्रकार परिभाषा नहीं की गई है । किन्तु अधिनियम की धारा 29 (ख) के अधीन लाइसेंसीकरण के उपबन्धों से छूट देने संबंधी अधिसूचना 16 फरवरी, 1973 को जारी की गई थी । यह छूट विदेशी कम्पनियों के स्वामित्व वाले उपक्रमों, उनकी शाखाओं या सहायक कम्पनियों अथवा उन कंपनियों जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक चुकता इक्विटी अंश प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी कंपनियों, उनकी शाखाओं अथवा सहायक कंपनियों या विदेशी राष्ट्रिकों या अन्यत्र वाली भारतीयों के स्वामित्व में है पर लागू नहीं होगी ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 में रिर्जव बैंक की सामान्य या विशिष्ट अनुमति लेने हेतु निम्नलिखित के लिए प्रावधान है :

(क) विदेशी कंपंनियों द्वारा नई शाखाएं, कार्यलय अथवा व्यापार के अन्य केन्द्र खोलने के लिए ।

(ख) व्यापार वाण्ज्यि अथवा औद्योगिक किस्म की विद्यमान अथवा नया कार्यकलाप शुरू करने के लिए ।

(ग) भारत में किसी प्रकार का व्यापार वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक कार्य चला रहे उपक्रम का पूर्ण रूपेण अथवा आंशिक रूप में अधिग्रहण करने के लिए; और

(घ) भारतीय कंपनियों का शेयर खरीदने के लिए भारत में कार्य कर रही सभी अन्यत्र-वासी तथा विदेशी कंपंनियों की शाखाओं तथा 40 प्रतिशत से अधिक अन्यतवासी अंश धारिता वाली भारतीय कंपनियों के लिए भारत में व्यापार वाणिज्य अथवा औद्योगिक कार्य संचालन के लिए शाखा स्थापित करने के कार्यालिय अथवा व्यापार का अन्य केन्द्र खोलने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने हेतु रिर्जव बैंक आफ इण्डिया को आवेदन करना होता है। धारा 29 को लागू करने सम्बर्धा मार्गदर्शी सिद्वांत तैयार कर लिए गए हैं । तथा उन्हें सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है ।

फिलहाल विद्यमान नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक निवेश के लिए विचाराधीन आशय पत्र

3981. **श्री कुमार माझी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में औद्योगिक निवेश के लिए बहुत से आशय पत्र विचाराधीन पड़े है, और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) पश्चिम बंगाल से 31–12–1974 तक प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों में से, 95 आवेदन अनिर्णित पड़े हैं ।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर निर्णय करते समय विभिन्न बातों पर जैसे आवस्थापना, सुविधायें, कच्चे माल और जानकारी की उपलब्धी, मांग, अधिष्ठापित क्षमता आदि को ध्यान में रखा जाता है। अनिर्णीति पड़े आवेदनों का यथाशीघ्र निपटान करने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है ।

तलवाड़ा टाउनशिप में रिहायशी भूखण्डों की नीलामी

3982. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जून, 1971 को एक केन्द्रीय कालोनी, तलवाड़ा टाउनशिप, में हुई रिहायशी भूखंडो की निलामी को ब्यास बांध के मुख्य इंजीनियर ने केवल इस कारण नामंजूर कर दिया था क्योंकि बोली देने वाले व्यक्तियों में मध्य वर्ग के तीन कर्मचारी शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को भारी हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उपमन्त्री प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : (क) और (ख) तलवाड़ा बस्ती में 22 जून, 1971 को 113 दुकान एंव रिहायशी प्लाटों की निलामी लगाई गई थी, जब बोलियां केवल 36 प्लाटों के लिए प्राप्त हुई थी, परियोजना कर्मचारियों द्वारा बोलियों को स्वीकृति नहीं दी गई थी क्योंकि बोली लगाने वालों ने परस्पर सांढ गांठ कर ली थी और प्रस्तुत की गई बोलियां निकटवर्ती बस्तियों में ऐसे ही प्लाटों की कीमत के अनुकूल नहीं थी। इसके अतिरिक्त, बोली लगाने वालों में कुछ सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलिति थे, जिनकी इस बोली में भाग लेने की पात्रता की जांच भी की जानी थी।

इसके पश्चात्, व्यापक रूप से विज्ञापन देने के बाद प्लाटों की दोबारा निलामी की गई, परंतु किसी भी बोली लगाने वाले ने प्रस्तुत की गई शर्तों पर बोली नहीं लगाई।

क्रासबार कामन कंट्रोल इक्विपमेंट

3983. **श्री रामकठंवर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार विभाग को क्रासबार कामन कंट्रोल इक्विपमेंट निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस इक्विपमैंट को प्राप्त करने की निर्धारित तिथि क्या थी और देश में उत्पादन होने के बाद इसकी पहली खप किस तारीख को पहुंची थी।

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) सन् 1965 में पाकिस्तान ने जिस उपस्कप पर कब्जा कर लिया था उसको छोड़कर मुख्य आर्डर पर उपस्कर की अधिकांश सप्लाई नियत समय के अनुसार हुई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलिफौन कालों की आवधिकता (पीरिआेडिसिटी)

3984. **श्री राज सिंह देव** : क्या **सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० टी० एम० कामन कंट्रोल क्रास बार पद्धति द्वारा निपटाई जाने वाली टेलीफोन कालों की आवधिकता के बारे में कोई जांच नहीं की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो डाक और तार विभाग/इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज बंगलौर ने टेलिफोन कालों की आवश्यक्ता के बारे में बी० टी० एम० से कोई पूछताछ नहीं की थी ; और

(ग) क्या विभाग को प्रस्तुत किये गये बी० टी० एम० के कागज-पत्रों में भी टेलीफोन कालों की आवधिकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) डाक-तार विभाग में पहली बार क्रास बार सामान्य नियंत्रण उपस्कर अपनाया था । एक्सचेंज चालू होने से पहले उस समय मुख्य रूप से सामान्य नियंत्रण प्रणालियों के क्षेत्र में अनुभव की कमी और टेलिफोन कनेक्शनों की मांग को पूरा न करने के कारण यातायात में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई थी, जिसकी वजह से यह मालूम नहीं था कि क्रास बार एक्सचेंजों के कार्यकरण पर कालों की आविधकता का ऐसा खतरनाक प्रभाव पड़ता है ।

(ग) मैसर्स बी० टी० एम० ने सामान्य नियंत्रण उपस्कर की मात्रा के परिकलन दिए थे । जो कालों की आधिक्यता और कुल यातायात संबंधी विभाग के आंकड़ों पर आधारित थे जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है ये आंकड़े उस समय तक प्रयुक्त स्टेप-बाई-स्टेप प्रणाली से विभाग के अनुभव के आधार पर निकाले गए थे ।

बेल टेलिफोन के साथ हुए समझौते में दण्ड सम्बन्धी शर्त

3985. **श्री सी० एम० सिन्हा**
श्री भागीरथ भंवर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० टी० टी० की सहायक कम्पनी बेल टेलीफोन (बेल्जियम) के साथ हुए समझौते में दण्ड संबंधी शर्त को शामिल नहीं किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते में दण्ड संबंधी खण्ड को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) : बेल टेलिफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के साथ हुए समझौते में दण्ड सम्बन्धी खंड नहीं रखा गया था । आम तौर पर विदेशी सहयोग-कर्ता के साथ होने वाले समझौतों में ऐसा खण्ड नही जोड़ते थे, क्योंकि सहयोगकर्ता को इस तरह के खण्ड के लिए राजी कराना कठिन होता था । सरकार ने सहयोग समझौतों में हित रक्षण की आवश्यक व्यवस्था के लिए 1973 में आदेश जारी कर दिये हैं जिससे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संकल्पित उत्पादन लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए, सहयोगकर्ता का कुछ न कुछ, दाव पर रहे । भावी सहयोग-समझौता करते समय यह ध्यान में रखा जाएगा ।

बेल टेलिफोन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बैल्जियम से आयात

3986. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल टेलिफोन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बेल्जियम से समझौते के 36 महीनों के बाद भी आयात जारी रहा था ;

(ख) यदि हां, तो पिछला आयात कब हुआ था ; और

(ग) 36 महिनों के बाद, वर्षवार, किस तारीख को किस वर्ष और कुल कितनी राशि का आयात किया गया था ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है जिसे शीघ्र ही लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

Amount Allocated by Central Government for Development and Progress of Ladakh

3987. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the amount allocated by the Central Government during this year for development and progress of Ladakh ;

(b) the particulars of the items on which this amount is to be spent ; and

(c) the arrangements made to ensure that this amount is spent only on items for which it has been earmerked for Ladakh region ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) For the year 1974-75 the Planning Commission have agreed to an outlay of Rs. 200 lakhs for the Development of Ladakh within the overall plans of Jammu & Kashmir.

(b) A statement is enclosed.

(c) The outlay for Ladakh is earmearked.

Statement

LADAKH

Sectors	Approved outlay 1974-75 (Rs. lakhs)
Agriculture & allied sector	51·31
Irrigation & Flood Control	2·50
Power	58·99
Industries and Minerals	5·69
Transport & Communicotions	49·00
Social Services	28·00
Miscellaneous	4·51
Total	200·00

राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद के देश की आर्थिक स्थिति के बारे में विचार

3988. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् ने यह विचार व्यक्त किया है कि 1975-76 की आर्थिक संभावनायें अधिक स्फूर्तिकारक हैं जिसमें आयोजना को पुन: प्रारम्भ करने के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहें हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् की त्रैमासिक पत्रिका के विशेष अंक (फरवरी, 1975) में प्रकाशित एक लेख में श्री एस० भूतलिंगम् ने बताया है कि "1975 की संभावनायें आज से छः महीने पहिले की स्थिति से कुछ अधिक स्फूर्तिकारक हैं" और आगे उन्होंने यह बताया है कि "कुल मिलाकर अब योजना कार्य को पुनः प्रारम्भ करने के अधिक अनुकूल परिस्थितियां हैं"।

(ख) और (ग) : आर्थिक दशा में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, विशेषतः अक्तूबर 1974 के बाद से। योजना कार्य का पुनः प्रारम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आयोजन प्रक्रिया को त्यागा नहीं गया है।

वार्षिक योजना 1975-76 को अंतिम रुप दिया जा रहा है और योजना दस्तावेज, जिस में यह बताया जाएगा कि 1975-76 में क्या कार्य किए जाने हैं, को वर्तमान सत्र में ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जैसा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में, जो उन्होंने 28 फरवरी, 1975 को दिया था, बताया था कि 1975-76 की वार्षिक योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में 5960 करोड़ रुपये का परिव्यय होने की आशा है जब कि 1974-75 का परिव्यय 4844 करोड़ रुपये है। वार्षिक योजना 1975-76 में खाद्यान्न, उर्वरक और ऊर्जा जैसे अनिवार्य क्षेत्रों पर पर्याप्त बल दिया गया है।

पश्चिमी बंगाल में चांदपुर और दुर्गापुर स्थित विद्युत एककों में हुए विफोस्टों की जांच

3989. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विस्फोट के कारण पश्चिम बंगाल में चांदपुरा और दुर्गापुर स्थित विद्युत एककों को बंद कर दिया गया है ;

(ख) इस बारे में की गई जांच के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) निष्कर्षों की कब तक सार्वजनिक घोषणा कर दी जायेगी।

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुरा अथवा दुर्गापर विद्युत केन्द्रों में कोई विस्फोट नहीं हुआ था। बहरहाल, दुर्गापुर प्रोजेक्टस लि०, जो परिश्चम बंगाल सरकार का एक उपक्रम है, के एक विद्युत युनिट के सहायक ट्रांसफारमर में आग लग गई थी। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को विभागीय जांच-पड़ताल के परिणामों की सूचना दिए जाने की प्रत्याशा है।

पुरी डाक डिवीजन में शाखा डाकघरों का खोला जाना

3990 **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उड़ीसा सर्किल के पुरी डाक डिवीजन में गावों में कितने शाखा डाकघर खोले गए ;

(ख) ये शाखा डाक-घर कहां-कहां खोले गए ; और

(ग) इस डिवीजन में किन स्थानों के लिए नए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु आये हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा : (क) सत्रह ।

(ख) नामों का उल्लेख अनुबंध I में कर दिया गया है ।

(ग) 82 प्रस्ताव आए हैं जिनका ब्यौरा अनुबंध II में दे दिया गया है ।

विवरण

वर्ष 1972–75 के दौरान पुरी डिवीजन मे खोले गए डाकघरों के नाम

अनुबन्ध–I

1. चक्रधर प्रसाद
2. निधिपुर
3. गोवर्धनप्रसाद
4. गराचांदपुर
5. रामेशवर
6. कलपदार
7. घुगुड़ोपाडा
8. कल्याणपुर
9. तुमंडी
10. तुलसीपुर
11. सोरावा
12. पैक तिगिरिया
13. पंचूगांव
14. सामपुर
15. विश्वनाथपुर
16. दोपीदेवली
17. रकामा

वर्ष 1972–75 के दौरान पुरी डिवीजन में डाक-घर खोलने के लिए प्राप्त प्रस्ताव

अनुबन्ध––II

1. समंतरापुर
2. पुरी लाइट डाक-घर
3. खांडीघर
4. जौनर्ला पोखरी
5. सीधा महावीर

75-M/J(N)2LSSNo.—7

अनुबन्ध II--जारी

6. मणिपुर
7. बुधीपटना
8. अथाटंग
9. अंसवारा
10. ओस्कना
11. थानापुर
12. दुर्गापुर
13. रैंद बाजार
14. विस्वालपाडा
15. जामादेईपुर
16. तालतुम्ब
17. जामू साही
18. लुमिसरा
19. धनासालिया
20. बुगुडा
21. सकोरवा
22. खालामादा
23. बोडासा
24. दुरूदुरा
25. चरिलियाबल्ली
26. कालूरकुम्पा
27. खामारसाही
28. टेंडावाडी
29. सारीगंडा
30. दमादरपुर
31. चम्पागढ़
32. कल्पना स्केवयर का सेंट्रल प्लेस
33. इंडस्ट्रियल एस्टेट, भुवनेशवर

अनुबन्ध–II –जारी

34. लकमिसांगर
35. जागापाडा
36. अम्बापाडा
37. मच्छी पाडा
38. संजापाडा
39. चडाया पल्ली
40. बलिसाही
41. नुआपाडा
42. गम्भारीडीहो
43. सभांडा
44. गोदरईयल
45. डी० ए० जी० आफिस
46. संधयाताल
47. दोबंधा
48. पाथरपाडा
49. वासुदेवबल्लभ
50. जरोपूत
51. हरिहरपुर
52. पोदाडोही
53. छमुदियापल्ली
54. जलभर
55. खनाती
56. अनासरा
57. मालीशाही
58. बदमुकिला
59. नासिकेशवर
60. करदापाडा
61. खटिया
62. कूंजबिहारीपुर

अनुबन्ध—II—समाप्त

63. लाडुकेशवर
64. पटना
65. टिकिरापाडा
66. बैतियात टस्पल
67. फ़कीरपड़ा
68. नयापल्ली
69. दिलागडिया
70. गडाबडापुट
71. बंसतपुर
72. निरंजनपुर
73. जयमंगलपुर
74. पी० एण्ड टी० कालोनी भुवनेश्वर
75. गोपीनाथपुर
76. जामूसाही
77. पालासुनी
78. कालारहंग
79. हेड्स ग्राफ डिपार्टमेंट बिल्डिंग
80. फारेस्ट पार्क एरिया
81. राजाबाजार जाटनी
82. ब्रजमोहनपुर

अन्डमान ग्रौर निकोबार द्वीपसमूह में कृषि विभाग क श्रमिकों द्वारा हड़ताल

3991. **श्री नूरूल हुडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कृषि विभाग के श्रमिकों द्वारा 25 जनवरी, 1975 को की गई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की ग्रोर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ? ग्रौर

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : अंडमान व निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग के 317 श्रमिकों में से 197 ने अंडमान सरकार कृषक कर्मचारी संघ द्वारा रखी गई मांगों को तुरन्त तय करने पर बल देने के लिए 25 जनवरी, 1975 को सांकेतिक हड़ताल की थी। अंडमान व निकोबार प्रशासन ने 16-1-75 को इन मांगों के बारे में स्थिती स्पष्ट करते हुए श्रमिकों से ऐसा न करने के लिए आग्रह करने का प्रयत्न किया था।

शिक्षण-सम्बन्धी टेलीविजन प्रयोग उपग्रह

3992. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :** क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षण-संबंधी टेलीवीजन प्रयोग उपग्रह (साइट) कार्यक्रम को दीर्घावधि तक चालू रखने का पट्टा दिया जा रहा है ; और सरकार अमेरिका के 'फेयर चाइल्ड कार्पोरेशन' से दो और उपग्रह खरीदने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अहमदाबाद छावनी में नए टेलीफोन एक्सचेंज

3993. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के अहमदाबाद छावनी क्षेत्र में हाल में एक नया टेलिफोन एक्सचेंज खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार वर्ष 1975 में अहमदाबाद में प्रयोक्ताओं को और अधिक टेलीफोन सुविधाओं को देने के बारे में सक्रियता से विचार कर रही है और इसे कार्य रूप दे रही है ;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार और कब, और

(ङ) क्या अहमदाबाद में टेलिफोन संबंधी सुविधाओं को और अधिक सुधारा जा रहा है और केवल इसका विस्तार ही नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो किस प्रकार से ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं । किन्तु 16-2-1975 को मौजूदा एक्सचेंज की क्षमता 600 लाइनें बढ़ा कर 1,800 लाइनों से 2400 लाईनें कर दी गई हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) कलैंडर वर्ष 1975 के दौरान अहमदाबाद में कुल 1,700 अतिरिक्त एक्सचेंज लाइनें जोड़ने का प्रस्ताव है । इनमें से 1,000 लाइनें नवरंगपुरा में, 100 लाइनें साबरमती में, 200 लाइनें बसना में, 200 लाइनें बातबा में और 200 लाइनें ओधव में जोड़ी जाएंगी ।

(ङ) रख रखाव संबंधी निर्धारित नित्यचर्या के इलावा, एक स्थानीय पर्यवेक्षण दल लगातार टेलीफोन सेवा मोनिटर करता है और उसके नमूने एकत्र करता है । बाद में, जहां कहीं जरूरत होती है, उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है । टेलिफोन आपरेटरों और मानीटरों के लिए ट्रंक एक्सचेंज, टेस्ट डेस्कों और विशेष सेवाओं में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं ।

अहमदाबाद के उपभोक्ता, 29 मार्च, 1975 तक उत्तरोत्तर एक प्रायोगिक आधार पर बम्बई (बम्बई, पूना, सुरत, नागपुर, अहमदाबाद), मद्रास (मद्रास, बंगलौर, कोयम्बटुर और मदूरै) और दिल्ली (दिल्ली, आगरा, चण्डीगढ़, जयपूर और जालन्धर) के ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेन्जों से जुड़े सभी स्टेशनों के लिये उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा पाने लगेंगे । यह सेवा रोजाना रियायती शुल्क दर अवधियों के दौरान और रविवार तथा राष्ट्रीय छुट्टियों में सुलभ रहेगी ।

मोदी बन्धुओं और कांटिनेन्टल हेनोवर, पश्चिम जर्मनी के बीच विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझौता

3994. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा के समाजवादी दल के एक सदस्य ने मोदी बन्धुओं और कांटिनेन्टल आफ हेनोवर, पश्चिम जर्मनी के बीच हुए विदेशी सहयोग के समझौते से सम्बन्धित कुछ दस्तावेजों की नकलें वित्त मंत्री को भेजी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन दस्तावेजों से विदेशी फर्मों को विदेशी मुद्रा के भुगतान से सम्बन्धित कुछ अवैध लेन-देन का पता चलता है ;

(ग) क्या मंत्री महोदय ने इस बीच इन दस्तावेजों और लोक सभा के उपरोक्त सदस्य द्वारा सभा-पटल पर रखे गये गुप्त समझौते का अध्ययन कर लिया है ; और

(घ) क्या सरकार और जनता के साथ धोखा-धड़ी करने के कारण मोदी बन्धुओं के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड और पश्चिमी जर्मनी के कांटिनेन्टल गम्मोवर्के के बीच सहयोग के एक करार से सम्बन्धित अभिप्राय वाले कुछ दस्तावेजों की प्रतियां एक संसद सदस्य से प्राप्त हुई थीं, जिसमें प्रत्यक्षतः विदेशी मुद्रा का अनधिकृत करोबार अन्तग्रस्त है ।

(ग) और (घ) जैसा कि लोक सभा की 4 दिसम्बर, 1974 की कार्यवाहियों से पता चलता है कि लोक सभा के पटल पर कोई 'गुप्त करार' नहीं रखा गया था। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रवर्त्तन निदेशालय की आवश्यक कार्रवाई के लिये भेज दिया गया है जिसे इससे पहले भी इस मामले के बारे में कुछ सूचना मिल चुकी थी । प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है ।

Setting up of Commission to Conduct Survey of Economic Condition in U.P.

3995. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Planning** be pleased to State :

(a) whether any Commission was set up to conduct survey of the economic condition in Eastern Uttar Pradesh ;

(b) whether the report submitted by the Commission after its study has been implemented;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the future policy of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No Commission was set up. However, a Joint Study Team with Adviser, Programme Administration, Planning Commission as Chairman was set up in 1962.

(b), (c) & (d) : The Team submitted its Report in 1964 pertaining to Ghazipur, Jaunpur, Deoria and Azamgarh districts of Eastern Uttar Pradesh. In pursuance of Team's recommendations, special provision of Rs. 4 crores was made during 1964-65 to supplement the efforts of the State Government. It was expected that in subsequent years the State Government would make adequate provision for the development of eastern districts within the normal State Plan. The development of backward regions is mainly the responsibility of the State Government. The State Government, while formulating their development programme keeps in view the special problems of the Eastern districts of Uttar Pradesh and allocate adequate outlays from the State Plans.

शनि उपग्रह के मलबे का हिन्द महासार में गिरना

3996. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान 12 जनवरी, 1975 के एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में 'सेटर्न डेबरिस फाल्स इन्टु इंडियन ओशियन' (शनि उपग्रह के मलबे का हिन्द महासागर में गिरना) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) इस बात का पता नहीं चला है कि मलबा किस निश्चित स्थान पर गिरा है । अन्तरिक्ष पिंडों द्वारा होने वाली हानि के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिक्ष पिंडों द्वारा भूमि की सतह पर हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिये, प्रक्षेपणा करने वाला राज्य पक्ष ही पूर्णतया जिम्मेदार होगा । जब कभी दो या अधिक राज्य, संयुक्त रूप से किसी अन्तरिक्ष पिंड को प्रक्षेपित करते हैं, तो इस प्रकार हुई किसी भी प्रकार की हानि के लिये संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग जिम्मेदार होंगे ।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड

3997. **श्री झारखंडे राय :** क्या उ ोग और नागरिक पूर्ति मंत्री इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के बारे में 1 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1421 और 1478 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को इंडियन आक्सीजन लिमिटेड से 1 जनवरी, 1974 क छः महीनों के भीतर जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत, कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आवेदन-पत्र का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस आवेदन पत्र और इसके अनुमोदन का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मेसर्स इण्डियन आक्सीजन लि० से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्राप्त दो आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ।

Development of new mines in Singrauli area of Madhya Pradesh

3998. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the most important project under Soviet collaboration in the field of coal is the development of Singrauli area of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the number of new mines proposed to be developed by Government and the amount of expenditure to be incurred on the development of each mine and the time by which the work thereon is proposed to be completed; and

(c) the quantity of coal in lakhs of tons likely to be extracted annually from the said mines ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheswar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c): The Central Mine Planning and Design Institute of the Coal Mines Authority Ltd., in collaboration with the Soviet Experts, have prepared a Feasibility Report for the exploitation of the Singrauli Coalfied, which envisages production of 45 million tonnes by 1990-91; this report is under consideration. The detailed project reports indicating the amount of expenditure and production capacity of each mine are yet to be prepared in collaboration with the Soviet Experts.

लाइसेंसिंग समिति द्वारा प्रस्तावों को अस्वीकार किया जाना

4000. **श्री भालजी भाई राव जी भाई परमार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंसिंग सिमित द्वारा भारतीय कम्पनियों तथा नये उपक्रमों के प्रस्तावों की क्षमता के अभाव, लक्ष्यों की पूर्ति आदि भ्रामक आधारों पर अस्वीकार किया जाता है ;

(ख) लाइसैंसिंग समिति द्वारा किसी कम्पनी की क्षमता का पता लगाने के संबंध में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ग) 1-11-1973 को एस० आई० ए० की स्थापना के पश्चात लाइसैंसिंग समिति द्वारा क्षमता के आधार पर कितने प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया ; नये उपक्रमों के नाम, वर्तमान एकक तथा जिन मदों के लिये आवेदन दिये गये हैं उनका ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक प्रस्ताव को अस्वीकार करने के क्या-क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ऐसे सभी मामलों पर फिर से विचार करने के लिए सहमत होगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों पर औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 और सरकार द्वारा समय समय पर घोषित लाइसेंस नीति के अनुसार विचार किया जाता है। प्रस्तावों की जांच करते समय, स्वीकृत एवं अधिष्ठापित क्षमता, बनाई जाने वाली वस्तुओं की मांग कच्चे माल की उपलब्धि, विदेशी मुद्रा का अर्जन अथवा बाहर भेजना, प्रौद्योगिककी का स्वरूप और निवेश के स्तर आदि का ध्यान रखा जाता है। परियोजना का क्रियान्वयन करने वाले आवेदक की सक्षमता भी विशेष रूप से जटिल प्रकार की कठिन प्रौद्योगिकी वाली अथवा अधिक विनेश वाली योजनाओं के क्षेत्र में एक सम्बन्धित कारण है।

(ख) लाइसेंस समिति आवेदनों पर आवेदकों द्वारा दिये गये विवरणों और गुणावगुण के आधार पर प्रशासनिक, तकनीकी अथवा अन्य प्राधिकरणों के विचारों के संदर्भ में विचार करती है।

(ग) केवल आवेदक में सक्षमता की कमी होने के आधार पर रद्द किये गये आवेदनों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) ऐसे सभी मामलों में, जिनको लाइसेंस समिति प्रत्यक्षत: रद्द करने की सिफारिश करती है, आवेदक को अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाता है और सरकार उस पर अन्तिम आदेश देने से पूर्व विचार करती है।

गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में एककों की स्थापना

4001. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों में अथवा नये उद्यमकर्ताओं और तकनीकी जनाकारों द्वारा गुजरात राज्य में नये एकक स्थापित करने के बारे में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये ;

(ख) कम्पनी का नाम क्या है, किस वस्तु के निर्माण के लिये आवेदन पत्र दिये या लाइसेंसिंग कमेटी की सिफारिशें क्या और पूर्ण/आंशिक तौर पर, जैसा भी हो अस्वीकृत करने के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास और अधिक उत्पादन के हित में कुछ आधारों पर अस्वीकृत किये ऐसे मामलों पर पुन: विचार करने पर सहमत होगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) पिछड़े क्षेत्रों में नए एकक स्थापित करने अथवा नए उद्यमियों और तकनीकविदों द्वारा दिए गए आवेदन पत्रों के बारे में गत तीन वर्ष के अलग से आंकड़े नहीं रखे गए हैं। फिर भी, गुजरात राज्य में नए उपक्रमों की स्थापना करने के लिए 1972-74 के दौरान कुल मिलाकर 461 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) 1972-74 की अवधि में गुजरात में नए उपक्रमों की स्थापना हेतु कुल मिलाकर 144 आशयपत्र और 64 औद्योगिक लाइसेंस जारी कि गए थे। गुजरात में नए उपक्रम लगाने के 1974 में प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों में से 77 आवेदन पत्र रद्द कर दिए गए थे। रद्द किए गए आवेदन पत्रों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अधिकांश मामले स्वीकृत कर दी गयी पर्याप्त क्षमता के कारण और कच्चे माल की बाधाओं के आधार पर रद्द कर दिए गए हैं।

(ग) रद्द किए गए सभी मामलों में सरकार द्वारा उद्यमियों को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है और यदि कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो तो, अन्तिम आदेश देने के पूर्व विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से विधिवत् विचार कर लिया जाता है।

औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय द्वारा प्रस्तावों का रद्द किया जाना

4002. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (सेक्रेटेरिएट फार अप्रुवल्स) आवेदित मदों और क्षमताओं के बारे में पूर्ण ब्यौरा लाइसैंसिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है ;

(ख) क्या उक्त सचिवालय द्वारा कुछ मामले इस कारण रद्द कर दिये गये थे कि आवेदित मदों को न तो कार्यवाही सारांश में सम्मिलित किया गया और न उन्हें स्वीकृति दी गई और जब कोई नया उद्यमी अभ्यावेदन देता है, तो उसे नया आवेदन देने या अभ्यावेदन करने के लिये कहा जाता है ;

(ग) यदि हां, तो बिना पूर्ण संलग्नों के और सभी आवेदित पदों पर विचार किये बिना ही आवेदनों का निपटान करने का औचित्य क्या है ;

(घ) क्या आवेदनों को निर्धारित समय में निपटाने मात्र के लिये जांच प्रक्रिया को त्याग दिया जाता है ; और

(ङ) 1 नवम्बर 1973 के बाद जिन मामलों में ऐसी विसंगति मिली उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) लाइसेंसिंग कमेटी के विचारार्थ औद्योगिक स्वीकृतियों के सचिवालय द्वारा तैयार किये गये प्रकरण के सारांश में आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी निर्माण की वस्तुओं और क्षमताओं का पूरा पूरा ब्यौरा शामिल कर दिया जाता है ।

(ख) और (ग) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार औद्योगिक स्वीकृतियों के सचिवालय द्वारा अपूर्ण और उपयुक्त आवेदन पत्र आवेदकों को सुधार एवं पुनः प्रस्तुत करने हेतु वापिस कर दिये जाते हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र

4003. **श्री वयालार रवि** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस हेतु 1974 के अन्त तक कुल कितने आवेदन पत्र प्रात हुए थे ;

(ख) इनमें से कितने आवेदन पत्र राज्य औद्योगिक विकास निगम से तथा अन्य राजकीय संगठनों से प्रात हुए थे ; और

(ग) उन्हें लाइसेंस देने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा प्रक्रिया में गति लाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) नवम्बर, 1973 से दिसम्बर, 1974 की अवधि में नये उपक्रम स्थापित करने के लिये 6 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । इनमें से केवल 9 के आवेदनों का निपटारा अभी किया जाना है ।

(ख) नवम्बर, 1973 से दिसम्बर 1974 की अवधि में केरल सरकार के नियंत्रण में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संगठनों से नये उपक्रम स्थापित करने के लिये 9 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । इन आवेदनों में से केवल एक का निपटारा अभी किया जाना है ।

(ग) अनिर्णीत आवेदन-पत्रों की भिन्न-भिन्न स्थितियों में जांच की जा रही है और इनका निपटारा यथाशीघ्र करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र और प्रायोगिक फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर का निर्माण

4004. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के निकट कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र और प्रायोगिक फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) अद्यतन अनुमानों के अनुसार उक्त परियोजनायें कब तक लागू हो जायेंगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी जा रही है :–

परियोजना का नाम	अब तक हुई प्रगति	क्रांतिकता प्राप्त करने की अनुमानित तारीख
		(क्रांतिकता प्राप्त करने के कुछ मास बाद यूनिट के पूर्ण रूप से चालू होने की आशा)
1. मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना (पहला यूनिट)	संयंत्र के मुख्य भवन का सिविल निर्माण-कार्य लगभग पूरा होने वाला है । पाइप बनाने तथा उपकरण लगाने का काम चल रहा है। मुख्य नाभिकीय उपकरण बनाने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है ।	1977
2. मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना (दूसरा यूनिट)	रिऐक्टर तथा टरबाइन भवनों का सिविल निर्माण-कार्य तथा मुख्य उपकरणों का निर्माण-कार्य चल रहा है ।	1979
3. फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर	इस रिऐक्टर का सिविल निर्माण-कार्य चल रहा है । विभिन्न संघटकों के निर्माण करने के लिये आवश्यक विशिष्ट सामग्रियों के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं। ऐसे उपयुक्त स्वदेशी निर्माता ढूंढ लिये गये हैं जिन्हें मुख्य संघटकों के निर्माण का काम सौंपा जा सकता है ।	1979

Industrial Establishments with Soviet assistance

4005. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state : (a) the number of Industrial and other establishments which are running with Soviet assistance along with the names and the locations thereof;

(b) whether the said industrial establishments are complete in all respects and production commenced there ; and

(c) whether Government propose to start new establishments with foreign assistance in the near future ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil supplies (Shri B.P. Maurya) : (a) & (b): A list of industrial and other establishments being run with Soviet assistace is at annexure—**[Placed in Library. See No. LT-9237/75]**.

These establishments are in various stages of completion and production.

(c) Some proposals are under the consideration of Government at different stages of examination and decisions will be taken on merits in due course.

प्रथम श्रेणी के सेवा-निवृत्त अधिकारी के लिये रिटेनर बेसिस पर वकालत करने हेतु सरकार को पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता

4006. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानून की डिग्री प्राप्त प्रथम श्रेणी का कोई अधिकारी अपनी सेवा निवृत्ति के पहले दो वर्षों के दौरान रिटेनर बेसिस पर अथवा उसके बिना सरकार की पूर्वानुमति बिना ही वकालत/आयकर/विक्रयकर कानून संबंधी कार्य-कर सकता है ;

(ख) क्या जिस अधिकारी के पास ऐसी कानून की डिग्री नहीं है वह अपनी सेवानिवृत्ति के पहले दो वर्षों के दौरान सरकार की पूर्वानुमति के बिना रिटेनर बेसिस पर उपरोक्त कार्य नहीं कर सकता है ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न अर्हतायें प्राप्त इन दो प्रकार के अधिकारियों के बीच इस प्रकार का भेदभाव करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस असमानता को दूर करने तथा स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) ऐसा अधिकारी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व भारतीय राजस्व सेवा से संबंधित था अथवा किसी अन्य केन्द्रीय सेवा की श्रेणी I का सदस्य था और वह राजस्व तथा बीमा विभाग के अधीन किसी पद से सेवानिवृत्त हुआ था, उसके संबंध में बाद के पैराग्राफों में जो कुछ उल्लेख किया गया है, उनके अधीन, श्रेणी I का कोई भी सेवानिवृत्त अधिकारी, जो कानून की डिग्री रखता हो, सेवानिवृत्त के दो वर्षों के भीतर रिटेनर बेसिस पर अथवा अन्यथा भी सरकार की अनुमति लिये बिना ही कानून-आयकर/बिक्रीकर संबंधी कानूनी प्रेक्टिस करने में स्वतंत्र है, बशर्ते कि वे मामले जिनके संबंध में ऐसी प्रेक्टिस आरम्भ की जानी है, इस प्रकार के हैं कि उनसे उसके कक्षीकारों (क्लाइंट्स) को उसकी पूर्ववर्ती सरकारी पदीय स्थिति के कारणों से अनुचित लाभ मिलने की सम्भावना नहीं है और उसमें सरकार के कार्यालयों अथवा अधिकारियों के साथ सम्पर्क अन्तर्ग्रस्त नहीं होगा । इसी प्रकार श्रेणी I के अन्य सेवानिवृत्त अधिकारी भी

जो ऐसी कानूनी डिग्री प्राप्त न किये हों, अपनी सेवानिवृत्ति के 2 वर्षों के भीतर रिटेनर बेसिस पर अथवा अन्यथा भी, सरकार की अनुमति लिये बिना ही कानून/आयकर/बिक्रीकर सम्बन्धी कानूनी प्रेक्टिस करने के लिये स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि ऐसे मामलों का सम्बन्ध जिनके सम्बन्ध में प्रेक्टिस आरम्भ की जानी है, उसके सरकारी ज्ञान अथवा अनुभव से कोई सम्बन्ध नहीं है और उनमें सरकार के कार्यालयों अथवा अधिकारियों के साथ सम्पर्क नहीं रखना पड़ेगा ।

सेवानिवृत्ति से पहले कोई अधिकारी जो भारतीय राजस्व सेवा से सम्बन्धित था अथवा अन्य किसी श्रेणी I की केन्द्रीय सेवा का सदस्य था और राजस्व तथा बीमा विभाग के अधीन किसी पद से सेवा निवृत्त हुआ था, चाहे उसके पास कानून की डिग्री अथवा अन्य व्यावसायिक अर्हता हो या न हो उसे, सेवानिवृत्ति के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के क्षेत्र में सेवानिवृत्ति के दो वर्षों के भीतर आयकर, धनकर, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादशुल्क अथवा सम्पदाशुल्क से सम्बन्धित मामलों में, अथवा इस प्रकार के कर अथवा शुल्क (ड्यूटी) के उद्ग्रहण से सम्बन्धित अधिनियमन के अधीन कार्यवाहियों में निर्धारितियों (एसेसीज) के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने से सम्बन्धित मामलों में प्रेक्टिस आरम्भ करने की मनाही है । यदि वह उपर्युक्त क्षेत्राधिकार की सीमाओं के बाहर उपरोक्त मामलों में व्यवसाय आरम्भ करता है तो वह सरकार की पूर्वानुमति से ही ऐसा कर सकता है ।

इस प्रकार किसी अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के दो वर्षों के भीतर रिटेनर बेसिस पर कानून/आयकर/बिक्रीकर के सम्बन्ध में कानूनी प्रेक्टिस करने के लिये श्रेणी I के सेवानिवृत्त अधिकारी, जिसके पास कानून की डिग्री है और ऐसे अधिकारी जिसके पास कानून की डिग्री नहीं है, में कोई असमानता नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई की स्थिति

4007. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कुछ समय के लिये बिजली की सप्लाई सीमित होने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सांतलडीह-हावड़ा और सांतलडीह-दुर्गापुर-कोसला ट्रांसमिशन लाइन के पूरा होने में अधिक समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी निगम द्वारा सेवित क्षेत्र में कोई भी विद्युत कटौतियां लागू नहीं है । पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड और दामोदर घाटी निगम द्वारा सेवित क्षेत्रों में ऐसी कोई ऊर्जा कटौतियां लागू नहीं हैं, यद्यपि अगस्त 1974 से शिखर (पीक) लोड प्रतिबंध और लोड की बारी-बारी से पूर्ति करने की व्यवस्था लागू है ।

(ख) सांतलडीह-हावड़ा लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है । संतालडीह-दुर्गापुर कस्बा लाइन, संतालडीह-दुर्गापुर सेक्सन पर पहले ही कार्य पूरा हो चुका है और दुर्गापुर-कस्बा लाइन निर्माणाधीन है ।

नई वस्तुओं के अस्वीकृत आवेदन पत्रों तथा बड़े गृहों एवं विदेशी प्रमुख वाली फर्मों के विस्तार आवेदन पत्रों के बीच में समन्वय

4008. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में विशेष रूप से रसायनों के बारे में नई वस्तुओं के अस्वीकृत आवेदन पत्रों के बीच कोई समन्वय नहीं है हालांकि ये आवेदन पत्र बड़े गृहों एवं विदेशी प्रभुत्व वाली फर्मों के विस्तार आवेदन पत्रों से पहले प्राप्त हुए थे परन्तु बाद में प्राप्त होने पर भी लाइसेंसिंग समिति ने इनके बारे में अपनी सिफारिश कर दी; और

(ख) यदि हां तो इस प्रकार गलत ढंग से अस्वीकृत आवेदन पत्रों पर पुर्नविचार के लिये लाइसेंसिंग समिति क्या उपाय करना चाहती है, मध्यमस्तर के नये उपक्रमों के आवेदनों पत्रों को अस्वीकार करने तथा बड़े गृहों/विदेशी फर्मों को गत 2 वर्षों के दौरान उन्हीं वस्तुओं के लिये दी गई अनुमति के बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : फरवरी, 1973 में घोषित औद्योगिक नीति के अनुसार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये विशिष्ट महत्वपूर्ण 19 उद्योगों में बड़े औद्योगिक गृह उनकी शाखाएं और विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियों अन्य की भांति साझेदारी की पात्र हैं। यदि कंपनियों में होने वाला उत्पादन प्रमुख रूप से निर्यात करने के लिये हो तो अन्य उद्योगों सम्बन्धी उनके आवेदन पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है। वशिष्ट सूची के उद्योगों के बारे में भी जब कभी भी इस प्रकार के उद्यमी आगे आते हैं तो सरकारी नीति लघु एवं मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की है। लाइसेंसिंग कमेटी इस नीति के अनुसर तथा प्रत्येक प्रस्ताव के गुणावगुणों को देखते हुए प्रत्येक आवेदन पत्र पर विचार करती है। जहां कहीं आवश्यक होता है पहले रद्द किये गये आवेदन पत्रों का भी पुनरावलोकन कर दिया जाता है

जिन उद्यमियों के आवेदन पत्र लाइसेंसिंग कमेटी द्वारा रद्द कर दिये गये होते हैं उन्हें इस रद्द किये जाने के विरूद्ध निश्चित अवधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है और सरकार द्वारा आवेदक को अन्तिम अस्वीकृति भेजने के पूर्व ऐसे अभ्यावेदन पर विधिवत विचार कर लिया जाता है।

नये उद्यमियों और तकनीकी जानकारी प्राप्त व्यक्तियों की संस्थाओं के आवेपदन-पत्र

4009. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली नवम्बर, 1973 को एस०आई०ए० लागू होने के पश्चात नये उद्यमियों की ओर से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) इस अवधि में एस० आई० ए० के मामलों के साथ-साथ कितने अनिर्णीत आवेदन-पत्रों पर निणय किया गया ;

(ग) कितने एस० आई० ए० आवेदन पत्रों की पूर्ण रूप से जांच की गई तथा प्रशासनिक मामलों का सारांश (समरी) सम्बन्द्ध कियां गया

(घ) कितने मामलों में नय प्रस्तावों के सारांश (समरी) पूर्ण नहीं थे तथा उन्हें रद्द किया गया; और

(ङ) नये उद्यमियों के आवेदन पत्रों पर सहानुभूति से विचार करने तथा भविष्य में तकनीकी जानकारी प्राप्त व्यक्तियों के संस्थानों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) नए उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों के बार में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। फिर भी नवम्बर, 1973 से दिसम्बर, 1974 के दौरान नए उपक्रमों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस करने हतु कुल मिलाकर 2369 आवेदन मिले थ ।

(ख) नवम्बर, 1973 से दिसम्बर, 1974 की अवधि में औद्योगिक स्वीकृति सचिवायय बनने से पूर्व 3848 आवेदन पत्र विचाराधीन थे जो घटकर 248 रह गये थे। इस के अतिरिक्त औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय के सभी प्रकार के 3515 आवेदनों का उसी अवधि में निपटान कर दिया गया है ।

(ग) औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय के सभी आवदनों पर इसके लिए निर्धारित प्रणाली के अनुसार कार्यवाही की गई है। ऐसे मामलों में जिनमें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से समय पर राय प्राप्त नहीं हुई थी, इस प्रकार की राय के बिना तैयार किए गए निष्कर्षों पर लाइसेंस समिति विचार करती है परन्तु लाइसेंस समिति की बैठकों में प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रतिनिधियो एवं अन्य प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दी गई थी किन्तु समिति ने उनके द्वारा प्रकट किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें दी थीं।

(घ) प्रस्ताव के सारांश अधूरे होने के कारण कोई भी प्रस्ताव रद्द नहीं किया गया है।

(ङ) सरकार की नीति लघु और मध्यम उद्यमियों को सभी उद्योगों में सक्षमता को प्रोत्साहन देना है । एसे उद्यमियों की तुलनात्मक दृष्टि से नई क्षमता स्थापित करने में बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी । सरकारी क्षेत्र में अधिक खपत वाली वस्तुओं के उत्पादन में भाग लेने के लिए सहकारी और लघु एवं मध्यम उद्यमियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा । एक करोड़ रु० तक निवेश वाले लाइसेंस मुक्त क्षेत्र मुख्य रूप से लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए हैं । सरकार ने लघु तथा मध्यम उद्यमियों की वृद्धि को बढ़ावा देनेके लिए व्यापक और सघन विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष उपाय करने के विचार की घोषणा भी की है ।.लघु और मध्यम उद्यमियों की श्रणी में लघु अथवा मध्यम निवेश करने वाले नए उद्यमी और तकनीकी विद भी शामिल है ।

घटिया किस्म की तापसह ईंटों की सप्लाई के कारण हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को होने वाले लाभ का एक कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की पहल पर पता लगना

4010. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक द्वारा पहले किये जाने पर, जो कि पहले कोयला सर्वेक्षण प्रयोगशाला, रांची में काम करता था, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को घटिया किस्म की तापसह ईंटें सप्लाई करने के षड़यंत्र का पता उचित समय पर लगा लिया गया था, जिसके पता न लगने से हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को करोड़ों रुपए की हानि होती,

(ख) क्या इस कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक को उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई प्रकार से तंग किया गया और अन्त में उसे मध्य प्रदेश में बिलासपुर स्थानांतरित कर दिया गया था,

(ग) क्या बाद में दिए गए अभ्यावेदनों तथा हस्तक्षेपों के बावजूद उसकी पदोन्नती उचित समय पर नहीं की गई हालांकि उसे, उसकी राष्ट्र के प्रति अमूल्य सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, और

(घ) यदि हां, तो उसकी शिकायतें दूर करने के लिए और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरशन को घटिया किस्म की तापसह ईंटें देने का षड़यंत्र करने वालों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का उल्लेख भारी इंजीनियरी निगम लि० को मे० जीवन लाल एंड क० द्वारा सप्लाई की गई घटिया किस्म की ईंटों से है । चूंकि ठेकेदार द्वारा सप्लाई की गई ईंटें उस प्रयोजन के लिए बिल्कुल ठीक थीं जिसके लिए वे मंगाई गई थीं । इसलिए इन ईंटों को सप्लाई के कारण भारी इंजीनियरी निगम को किसी प्रकार की हानि होने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

(ख) संभवत: यह बता श्री बी० पी० सिन्हा, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के प्रसंग में है । रांची से बिलासपुर को उनका स्थानान्तरण सेवा की आवश्यकता को देखते हुए किया गया था ।

(ग) विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर श्री सिन्हां वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के अगले उच्च ग्रेड में निश्चित तारीख से पदोन्नत किए गये हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस जारी करना

4011. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **उद्योग और नागरिग पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितने औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस जारी किये गये ; और

(ख) ये लाइसेंस किन-किन मदों के लिय जारी किये गय ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) वर्ष 1974 में कुल 1,099 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए । 1974 में जारी किए गए उद्योगों का अनुसूचित उद्योग बार ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । (ग्रन्थालय में रखा गया । दखिए संख्या एल० टी०-9238/75)

ग्राम विद्युतिकरण निगम द्वारा पांचवीं योजना में मध्य प्रदेश में खर्च की जाने वाली राशि

4012. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम विद्युतिकरण निगम द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ;

(ख) पम्पिग सैटों को बिजली देने पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है तथा इससे कितने पम्पिग सैट चालू हो जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतिकरण निगम लिमिटेड राग्राम विद्युतिकरण स्कीमों को वित्त-पोषित करने के लिए पांचवीं योजना के प्रारूप में 400 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सहायता, संबंधित राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित स्कीमों की संख्या तथा निगम द्वारा निर्धारित मानदण्डों और मार्गदर्शनों के अनुसार निगम की स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण के लिए 272·33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस परिव्यय में मध्य प्रदेश का हिस्सा 55 करोड़ रुपये है। यह राशि भी ग्राम विद्युतिकरण निगम लिमिटेड के माध्यम से दी जा रही है।

(ख) पांचवीं योजना के दौरान, सामान्य राज्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में 38,160 पम्पसैटों को ऊर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम विद्युतिकरण निगम लिमिटेड द्वारा स्कीमों के अन्तर्गत और अधिक पंपसैट ऊर्जित किए जाएंगे। निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों में मुख्य रूप से सिंचाई पंपसटों के ऊर्जन पर बल दिया जा रहा है। बहरहाल, पंपसेटों के उर्जन पर खर्च की जान वाली धन-राशि का अलग से परिकलन करना संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सामान्य प्रतिष्ठानों से विद्युत सप्लाई की जाती है।

उड़ीसा के आदिवासियों का सामाजिक और आर्थिक विकास

4013. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि अनुसूचित आदिवासियों और शेष जनता में अन्तर बढ़ गया है क्योंकि विशेषकर उड़ीसा में बड़ी राशि का पूंजी-निवेश अभी तक शीघ्र परिणाम देने वाले विकास कार्यक्रमों में किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आदिवासियों के, जो राज्य की कुल जनसंख्या के बहुमत में हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए क्या विशेष प्रयत्न किये गय हैं; और

(ग) यदि इस उद्दश्य से कोई कन्द्रीय योजना आयोजित की गई है, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं। सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उड़ीसा में अब तक विकास कार्यक्रमों में जो मुख्य पूंजी-निवेश किया गया है उसके कारण क्या अनुसूचित आदिवासियों और जनता के बीच अन्तर बढ़ा है।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य में आदिमजाति क्षेत्रों और अनुसूचित आदिवासियों के विकास के लिये, इन क्षेत्रों के संबंध में विशेष केन्द्रीय सहायता से एक उप-योजना तैयार की जा रही है। इस उप-योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार से होंगी :

(1) इस उप-योजना में समाविष्ट क्षेत्र में वे 3 जिले, 8 तहसीलें और 5 खण्ड होंगे जिनमें आदिम जाति के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। इन क्षेत्रों के अन्तर्गत समाविष्ट कुल आदिम जाति के लोगों की संख्या लगभग 54.62 लाख यानी राज्य की कुल आदिम जाति जनसंख्या का 25.29 प्रतिशत है।

(2) उप-योजना क्षेत्रों में आदिम जाति जन समुदायों के विकास के लिए जिन बातों पर मुख्य बल दिया जायेगा वे हैं कृषि, बागवानी और पशुपालन। बागवानी स्कीमों के माध्यम से (पोंडू)' की खेती पर नियंत्रण करने का प्रस्ताव है। भूमि सीमांकन, कर्जा देने, बिचौलियों द्वारा शोषण आदि जैसे विभिन्न प्रकार से आदिम जाति के लोगों के शोषण की समस्याओं की गहन जांच की जा रही है ताकि समुचित उपचारात्मक उपाय अपनाये जा सकें। इन योजना प्रस्तावों की जांच पड़ताल कर योजना आयोग में चर्चा हो चुकी है और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि 1975-76 वार्षिक योजना विचार-विमर्शों के दौरान दिए गए कतिपय सुझावों के आधार पर उप-योजना को अन्तिम रूप दें।

वर्ष 1975 में दिल्ली में हत्याओं के मामले

4014. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी, 1975 में दिल्ली में हत्याओं के कितने मामलों की सूचना मिली ;

(ख) वर्ष 1973 और 1974 में इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या थे ; और

(ग) क्या इन सब मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जनवरी और फरवरी 1975 के महीनों में दिल्ली पुलिस को हत्या के 24 मामले सूचित किये गये थे।

(ख) 1973-74 के वर्षों में प्रत्येक वर्ष में हत्या के कुल 23 मामले सूचित किये गए थे।

(ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	सूचित किये गये मामलों की कुल संख्या	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या	जिन मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी उनकी संख्या
जनवरी व फरवरी 1975	24	35	4
जनवरी व फरवरी 1974	23	37	4
जनवरी व फरवरी 1973	23	25	9

जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फील्ड पब्लिसिटी आफीसरों के पदों की संख्या में वृद्धि

4015. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में कार्य कर रहे फील्ड पब्लिसिटी आफिसरों के नाम क्या हैं तथा उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र हैं ; और

(ख) जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश पर्वतीय राज्यों में, वहां के दुर्गम भूप्रदेशों को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जनता को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिये राज्यों से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों की संख्या अधिक नहीं है, क्या सरकार का विचार इन पदों की संख्या में वृद्धि करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सूचना संलग्न विवरणों में दी गई है । [ग्रन्थालय में रख गये दिखिये संख्या एल० टी०-9239/75]

(ख) नई यूनिटें स्थापित करते समय तरजीह ऐसे क्षेत्रों को दी जाती है जहां आकाशवाणी के प्रसारण नहीं सुने जाते ।

पांचवी योजना में नये रेडियो स्टेशन खोलना

4016. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में नयेरे डियों स्टेशन खोलने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य मे किन-किन स्थानों को नये रेडियो स्टेशन खोलने के लिये चुना गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख): जी, नहीं । साधनों को अत्यधिक अपर्याप्तता के कारण कोई पक्की योजना नहीं बनी है । तथापि चालू योजना के दौरान निम्नलिखित नए रेडियो स्टेशन, जिनकी स्थापना का काम चौथी योजना में हाथ में लिया गया था , चालू किए जायेंगे :—

दरभंगा (बिहार); बड़ौदा (गुजरात); रोहतक (हरियाणा); अम्बिकापुर, छत्तरपुर जगदलपुर, रेवा (मध्य प्रदेश); जलगांव; रत्नतागिरी; औरंगाबाद (महाराष्ट्र); मंगलोर/उदोपी (कर्नाटक); सूरतगढ़ (राजस्थान); नजीबाबाद (उत्तर प्रदेश) ।

स्वतंत्रता सेनानियों/आजद हिंद फौज के कर्मचारियों को पेंशन दिया जाना

4017. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काशमीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों से कितने-कितने स्वतंत्रता सेनानियों/भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा पेंशन दिये जाने के लिये आवेदन पत्र दिये ;

(ख) कितने सेनानियों को 28 फरवरी, 1975 तक पेंशन मंजूर की गई ;

(ग) उनमें से कितने तथा कौन-कौन से स्वतंत्रता सेनानियों / भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के आवेदन पत्र नामंजूर किये गये तथा इसके क्या कारण हैं ;

(घ) जिसके आवेदन पत्रों पर अभी निर्णय नहीं किया गया उनके नाम तथा उनकी संख्या क्या है ; और

(ङ) उनके आवेदन पत्रों पर किस तिथि तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ङ) तक : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

निम्नलिखित आधारों पर मामले अस्वीकृत किये जाते हैं :–

(1) जहां वार्षिक आय 5,000.00 रुपये से अधिक हो ।

(2) जहां काटी गई सजा छ: महीने से कम हो ।

(3) अपात्र आश्रति (स्वतंत्रता सेनानियों का पुत्र, भाई, भतीजा, विवाहित पुत्री)

(4) योजना के अधीन न आने वाली यातना के दावे ।

लम्बित पड़े मामलों पर व्यक्ति / राज्य सरकार से सूचना / सिफारिश प्राप्त होते ही विचार किया जायगा । निपटान इस बात पर निर्भर होगा कि सूचना कितनी जल्दी प्राप्त होती है । सभी व्यक्तियों के नाम देना सम्भव नहीं है क्योंकि इस में काफी समय तथा श्रम लगेगा ।

विवरण

जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों/भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या, और 28–2–75 तक उनमें से उनकी संख्या जिनमें पेंशन स्वीकृत, अस्वीकृत की गई है तथा अभी लम्बित पड़े हैं, का विवरण

क्र० सं०	राज्य	प्राप्त हुये आवेदनपत्र		स्वीकृत किये गये	
		स्वतंत्रता सेनानी	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी	स्वतंत्रता सेनानी	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी
1	जम्मू व कश्मीर	1426	300	478	267
2	हिमाचल प्रदेश	738	1388	331	1094
3	पंजाब	9035	7398	4384	4086
4	हरियाणा	2001	3038	1201	2403
	योग	13200	12124	6394	7850

विवरण—जारी

क्र० सं०	राज्य	अस्वीकृत किये गये		लम्बित पड़े	
		स्वतंत्रता सेनानी	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी	स्वतंत्रता सेनानी	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी
1	जम्मू व कश्मीर	784	14	164	19
2	हिमाचल प्रदेश	205	74	202	220
3	पंजाब	2104	934	2547	2378
4	हरियाणा	427	392	373	243
	योग	3520	1414	3286	2860

Proposal for new Adivasi Development Blocks in M.P.

4018. **Shri G.C. Dixit :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh have forwarded to the Central Government proposals regarding opening of 65 new Adivasi Development Blocks;

(b) if so, the action taken thereon; and

(c) the time by which approval will be accorded to these proposals ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) : The programme of Tribal Development Blocks which was started in the Third Five Year Plan comes to an end in its present form in the year 1974-75. The programme is being replaced by Integrated Tribal Development Projects which will cover all the tribal areas with more than 50% tribal concentration. Madhya Pradesh was allotted 10 I.T.D.Ps. during the year 1974-75. They have suggested taking up these projects in (i) Bijapur); (ii) Lakhnadon; (iii) Mandla; (iv) Pushparajgarh; (v) Jhabua; (vi) Kukshi; (vii) Deosar; (viii) Narayanpur; (ix) Jashpurnagar; and (x) Ambikapur. The State Government were advanced an outlay of Rs. 10 lakhs per project for advance action in these I.T.D.Ps. during the year 1974-75. The detailed projects are yet to be submitted by the State Government. According to the present schedule, the entire sub-plan area in Madhya Pradesh will be covered by I.T.D. Ps. by the year 1976-77.

Plan for Facilities in Adivasi development Blocks in M.P.

4019. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a plan involving an amount of Rs. 1 crore and 75 lakhs has been received from Government of Madhya Pradesh for providing drinking water, irrigation and electricity facilities in Adivasi Development Blocks in Jhabua Dhar, Sarguja, Mandla and Bastar districts;

(b) whether the plan has been considered; and

(c) if so, the time by which it will be approved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affair (Shri F.H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) The proposal was received in pursuance of the recommendations of the Committee of Ministers regarding measures for the development of irrigation, drinking water and power facilities in Tribal Areas. In the meantime a National Programme of Minimum Needs was required to be formulated by State Governments as a part of their Fifth Plan proposals which included Programmes of drinking water and rural electrification. The States were also requested to prepare Sub-Plans for areas having more than 50% tribal concentration, which will include all aspects of tribal development. Under the sub-plan, Integrated Tribal Development Projects are being prepared for which special assistance will be given to the State Governments. The limited proposals for the above districts, therefore, have not been further followed up.

गुजरात में आकाशवाणी केन्द्रों में कार्यक्रमों के लिए कलाकारों को आमंत्रण देने के बारे में शिकायतें

4020. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भुज स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में स्थायी कलाकारों के नाम दर्ज किये गये हैं और यदि हां, तो इन कलाकारों के नाम और अर्हतायें क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार को आकाशवाणी के कार्यक्रमों के लिये कलाकारों के विभिन्न वर्गों को आमन्त्रण देने के बारे में कोई शिकायतें और हैं अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; यदि हां, तो उस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट ठेके पर नियुक्त कर्मचारी हैं, इसलिये इनको स्थायी नहीं किया जा सकता । तथापि, उन स्टाफ आर्टिस्टों की एक सूची संलग्न है जो इन केन्द्रों में दीर्घकालीन ठेकों पर नियुक्त हैं । (ग्रन्थालय में रखी गई देखिए । संख्या एल० टी० 9240/75)

(ख) कुछ शिकायतें यदा-कदा प्राप्त होती हैं । उनकी गुण-दोष आधार पर जांच की जाती है और उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

राष्ट्रीय कोयला विपणन निगम की स्थापना

4021. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कोयला विपणन निगम स्थापित करने का है जो देश में केवल बिक्री संगठन के रूप में ही कार्य करेगा ;

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) व (ग) सवाल नहीं उठता ।

U.P. Haryana Boundary Dispute

4022. **Ch. Ram Prakash** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a period has been fixed within which the Central Government shall announce its decision on the Uttar Pradesh-Haryana boundary dispute, particularly on the flow of the Yamuna river; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri K. Brahmananda Reddi) : (a) & (b) In a meeting held on 17th May, 1974, with Shri Uma Shankar Dikshit, the Chief Ministers of Haryana and Uttar Pradesh had agreed that Shri Uma Shankar Dikshit should act as an arbitrator in the settlement of the boundary problem between Haryana and Uttar Pradesh and that they would accept his award. Shri Uma Shankar Dikshit has now given his award, a copy of which has been sent to the Chief Ministers of the two States. It is intended to undertake legislation under article 3 of the Constitution to give effect to the award as soon as possible.

नागा विद्रोहियों द्वारा चीनी प्रशिक्षकों को नागा भाषा पढ़ाना

4023. **श्री सतपाल कपूर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोहियों के जिस दल ने सीमा पार करके चीन जाने का प्रयास किया था उसमें चीनी प्रशिक्षकों को नागा भाषा सिखाने वाले अध्यापक थे ;

(ख) क्या नागालैण्ड में प्रचार करने के लिये चीनी क्षेत्र में एक विशेष रेडियो स्टेशन स्थापित है; और

(ग) यदि हां, तो चीनियों की इन गतिविधियों का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच०मोहसिन): (क) तथा (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खान के मुहानों पर कोयले का जमा होना

4024. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान के मुहानों से कोयले की ढुलाई की व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है ;

(ख) 31 जनवरी 1975 को खान के मुहानों पर कितना कोयला जमा था; और

(ग) क्या कोयले की यह मात्रा सामान्य है अथवा अधिक है और यदि यह अधिक है तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रायलमें उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) रेल लदान केन्द्रों को खान मुहानों से कोयले के संचलन को कारगर बनाने के लिये कोयला खनन कम्पनियों द्वारा कई कदम उठाये गए हैं।

(ख) 31 जनवरी, 1975 को कोयला खान प्राधिकरण तथा भारत कोकिंग कोल के पास खान मुहाना भंडार निम्नलिखित था :–

	(लाख टनों में)
कोयला खान प्राधिकरण	43.60
भारत कोकिंग कोल	22.10

(ग) यद्यपि उत्पादन में वृद्धि होने से कोयले के खान मुहाना भंडारों में भी कुछ वृद्धि हुई है तथापि ये भंडार सामान्य ही माने गये हैं।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को करगाली वाशरो द्वारा इस्पात संयंत्रों को कोयले की सप्लाई

4025. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के स्वामित्व वाली कर गाली वाशरो का निर्माण इस्पात संयंत्रों को धोये हुए कोयले की सप्लाई करने के लिये लगभग 15 वर्ष पहले जापानी सहायता से किया गया था।

(ख) क्या बोकारो कोयला खान से वाशरो तक धुलाई के लिये अपरिष्कृत कोयले की ढुलाई करने के लिये जापानी सहयोगकर्ताओं ने एक हवाई रज्जुमार्ग स्थापित किया था ; यदि हां तो उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) क्या वर्ष 1964 से रज्जुमार्ग के प्रयोग को छोड़ दिया गया है और अपरिष्कृत कोयले की ढुलाई के लिये प्राइवेट ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया है ;

(घ) क्या ढुलाई प्रयोजन के हेतु ट्रकों को खरीद करने के लिये कथित प्राइवेट ठेकेदारों को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने लगभग 20 लाख रुपये अग्रिम धनराशि के रूप में दिये थे; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह आरोप लगाया गया है कि सड़क परिवहन पर हर महीने लगभग 50 लाख रुपये का फिजूल खर्च किया जाता है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां ; हवाई रज्जु मार्ग लगाने पर कुल 16 लाख रुपया व्यय हुआ ।

(ग) जी हां, हवाई रज्जुमार्ग का उपयोग करना जुलाई 1963 में बन्द कर दिया गया था ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) बोकारो से कारगली प्रक्षालन शाला को सड़क द्वारा कोयले की ढुलाई पर हुआ व्यय निष्फल नहीं गया है क्योंकि रज्जुमार्ग कोयले की वांछित मात्रा की ढुलाई के योग्य नहीं रह गया था तथा रेल व सड़क द्वारा सड़क परिवहन व्यवस्था को अपनाना पड़ा था । फलस्वरूप बोकारो खान और प्रक्षालनशाला का वैकल्पिक संचालन वास्तव में देश के लिये लाभकारी सिद्ध हुआ ।

पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का आर्थिक विकास

4026. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के विकास के लिये पूर्वी जोनल परिषद को कोई धनराशि दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या उन राज्यों में विकास योजनाओं के लिये परिषद् ने कोई धनराशि वितरित की है; और

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिन के अधीन परिषद् द्वारा चालूवित्तीय वर्ष में धनराशि वितरित की गई है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (घ) जब कि उत्तर पूर्वी परिषद् अधिनियम, 1971 के अधीन गठित उत्तर पूर्वी परिषद् के पास क्षेत्रीय योजनाओं के कार्यान्वियन के लिये धनराशि है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अधीन गठित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् को मिलाकर पांच क्षेत्रीय परिषदों के पास कोई धनराशि नहीं है । क्षेत्रीय परिषदें प्राथमिक रूप से आर्थिक तथा सामजिक नियोजन के क्षेत्र में भाग लेने वाले राज्यों के बीच सामान्य हित के मामलों पर विचार विमर्श किरने के लिये सलाहकार निकाये हैं ।

इण्डियन आक्सीजन लि० के विदेशी कम्पनियों के साथ व्यापार सम्बन्ध

4027. **श्री आर खाण्डे राय :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आक्सीजन लि० के ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी यू० के० दी ईस्ट अफ्रीकन आक्सीजन लि०, दी मलायन आक्सीजन सेण्डीरियन बर्हाड, दी सिंगापुर आक्सीजन प्राइवेट लि०, हांगकांग आक्सीजन एण्ड एसिटीलिन कम्पनी लि०, दी कामनवैल्थ इण्डस्ट्रियल गैसिज लि०, दी न्यूजीलैण्ड इण्डस्ट्रियल गैसिस लि०, तंजानिया आक्सीजन लि० और दी जाम्बिया आक्सीजन लि० के साथ कोई व्यापार सम्बन्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) मे० इण्डियन आक्सीजन लि० एक विदेशी बहुलांश कम्पनी है जिसमें मे० ब्रिटिश आक्सीजन कं० ग्रेट ब्रिटेन की 66 · 06 प्रतिशत इक्विटी पूंजी लगी है। यह कम्पनी औद्योगिक गैसें (आक्सीजन, हाईड्रोजन धूली एसिटिलीन गैस, नाइट्रोजन, आर्गन, नाइट्रसआक्साइड) इलैक्ट्रोड एयर संपरेशन संयंत्र और सम्बद्ध कार्यजिनिक उपकरण बनाती है। गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी खरीददारों आपूर्ति कर्ताओं के साथ अलग-अलग कम्पनियों के व्यापार संबंध यदि कोई हैं, के बारे में जानकारी सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

राज्यों को केन्द्रीय अनुदान देने के फार्मूले में परिवर्तन के लिए हरियाणा की मांग

4028. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को केन्द्रीय अनुदान देने के फार्मूले में कोई परिवर्तन करने के लिये हरियाणा ने अनुरोध किया है, जिस से छोटे और नये राज्यों के मामले में विशेष विचार किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंपिंग सेटों के विद्युतिकरण के लिए तमिलनाडु राज्य द्वारा मांगी गई सहायता

4029. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने आगामी वर्ष में 60,000 पंपिंग सेटों के विद्युतीकरण के लिये कोई विशेष सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नयी कम्पनियों को लाइसेंस दिया जाना

4030. **श्री समर गुह :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से नयी कम्पनियों को कितने लाइसेंस जारी किये गये ;

(ख) ऐसी कम्पनयों और उन में लगी पूंजी के आंकड़े का राज्य वार, ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने (एक) इन लासेंसों का उपयोग किया ; (दो) इन लाइसेंसों को बेच दिया ; और (तीन) जिन के लाइसेंस अप्रयुक्त रहे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) नये उपक्रमों की स्थापना करने के लिये वर्ष 1972–74 में कुल 760 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं।

(ख) नये उपक्रमों की स्थापना करने के लिये वर्ष 1972-74 में दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों का राज्य-वार ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न हैं। नये उपक्रमों में लगाई गई पूंजी के बारे में जानकारी परियोजनाओं के चालू हो जाने के पश्चात ही उपलब्ध हो सकेगी।

(ग) लाइसेंस प्राप्तकर्ता को नई परियोजनायें लगाने और कार्य शुरु करने के लिए दो वर्ष का समय दिया जाता है। इस अवधि को दो बार एक एक वर्ष के लिए आगे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कठिन प्रकार प्रकरणों में चार वर्ष से भी अधिक समय तक की स्वीकृति दी जा सकती हैं। पिछले तीन वर्षों में नये उपक्रमों की स्थापना करने के लिए दिये गये लाइसेंस कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में होंगे।

उपक्रमों और उनके मालिकों के नामों में परिवर्तन करने की अनुमति नियमानुसार दी जाती है।

ऐसे औद्योगिक लाइसेंसों को, जिनको नियत समय में क्रियान्वित नहीं किया गया है, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त कर्ता को अपने मामले की व्यवस्था करने का अवसर देकर सरकार द्वारा प्रतिसंहृत कर दिया जाता है। 1972-74 के दौरान 61 औद्योगिक लाइसेंसों को प्रतिसंहृत कर दिया था अथवा लौटा दिया था या रद्द कर दिया था।

विवरण

नये उपक्रमों को स्थापना करने के लिए वर्ष 1972–74 में दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों का राज्य-वार ब्योरा :–

	राज्य	नये उपक्रमों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	51
2	अण्डमान और निकोबार	–
3	अरुनाचल प्रदेश	–
4	असम	17
5	बिहार	25
6	चण्डीगढ़	2
7	दादर और नागर हवेली	–
8	दिल्ली	14
9	गोवा, दमन और दीयू	3
10	गुजरात	64
11	हरियाणा	58
12	हिमाचल प्रदेश	2
13	जम्मू और कश्मीर	4
14	केरल	14

	राज्य	नये उपक्रमों की संख्या
15	कर्नाटक	66
16	एल० एम० और आईलैण्ड	—
17	मध्य प्रदेश	26
18	महाराष्ट्र	125
19	मणिपुर	1
20	मेघालय	4
21	मिजोराम	—
22	नागालैण्ड	2
23	उड़ीसा	11
24	पांडेचरी	3
25	पंजाब	26
26	राजस्थान	23
27	तमिलनाडू	44
28	त्रिपुरा	2
29	उत्तर प्रदेश	129
30	पश्चिम बंगाल	42
31	राज्य जो दर्शाया नहीं गया	2
	योग	760

पश्चिम बंगाल में कन्टाई के तटीय क्षेत्र में नमक कारखानों को केन्द्रीय सहायता

4031. **श्री समर गुह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में कन्टाई के तटीय क्षेत्र के नमक कारखानों को 1967 से सहायता दी है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उस क्षेत्र में नमक उत्पादन के विकास के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सरकार ने 1969–70 में ट्यूब-वैल लगाने के लिये 5,159.96 रुपये की सहायता दी थी। नमक वर्क्स की पुनः स्थापना करने के लिये जिन्हें साइकलोन और बाड़ों ने बर्बाद कर दिया था, 1973 में अनुग्रह अनुदान और ऋण के रूप में क्रमशः 56,963.50 रु० और 28,481.75 रुपये की राशि भी दी गई थी।

(ग) इस क्षेत्र में नमक उद्योग का विकास करने के बारे में कोई विशेष कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह जमीन पश्चिम बंगाल सरकार की है और उन्होंने अभी तक अपनी जमीन को नमक बनाने के लिये पट्टे पर देने के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिया है। हां, नमक विभाग उत्तम प्रकार का नमक बनाने के लिये नमक वर्क्स का वैज्ञानिक खाका तैयार करने के संबंध में आवश्यक तकनीकी सलाह देता है। सरकार एक सड़क और एक पुल जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः 27,500 रु० और 35,000 रुपये है, बनाने पर भी विचार कर रही है। इस क्षेत्र में बड़े नमक वर्क्स को 18,000 रुपये ऋण देने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

हरियाणा में फरीदाबाद-वल्लभगढ़ औद्योगिक समूह को बिजली की कमी के कारण हुई हानि

4032. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 फरवरी, 1975 को हरियाणा में फरीदाबाद-वल्लभगढ़ औद्योगिक समूह में विद्युत संकट की स्थिति पैदा हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन दिनों में बिजली उपलब्ध न होने के कारण कितनी हानि हुई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) हरियाणा सरकार ने बताया है कि फरीदाबाद बल्लभगढ़ औद्योगिक काम्प्लेक्स में 14 फरवरी 1975 को बिजली उपलब्ध थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उद्योगों में अधिक पारिया

4033. **चौ० राम प्रकाश :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में अधिक पारियों में कार्य करने की मंजूरी देने हेतु विशेष प्रक्रिय निर्धारित की गई है ताकि उद्योग अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सके, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में निश्चय किया है कि एक या दोहरी पाली का उल्लेख करते हुए लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक उपक्रम अपनी लाइसेंसों पर संयंत्र और मशीन का अधिकतम उपयोग करने के लिए अनुमति प्राप्त (पृष्ठांकन) करने हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा यह कि ऐस आवेदन पर विशिष्ट प्रक्रिया के आधार पर विचार किया जायेगा तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर अनुमति दी जायेगी।

2. ऐसे आवेदनों की जांच करते समय सरकार उद्योग की सापेक्षिक प्राथमिकता आयातित और दुर्लभ देशी कच्चे माल की उपलब्धता तथा फरवरी, 1973 की औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति के संदर्भ में पार्टियों की ऐसे उद्योगों में भाग लेने की पालना पर भी विचार करेगी। अधिकतम उपयोग के आधार पर क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देते (पृष्ठांकन के) समय सरकार उपयुक्त मामलों में यथोचित निर्यात या वितरण सम्बन्धी शर्त लगा सकती है।

जमाखोरों तथा चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

4034. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत नजरबन्द रखे गये तस्करों, जमाखोरों तथा चोर बाजारी करने वालों की, राज्य वार, संख्या क्या है ; और

(ख) कितने मामलों में अभियोग चलाया गया है अथवा चलाया जाने वाला है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जमाखोरी तथा काला बाजारी करने से संबंधित कारणों के लिये व्यक्तियों की नजरबन्दी आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम 1971 के अधीन की जाती है। इस अधिनियम में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये व्यवस्था नहीं है।

28-2-1975 को पश्चिम बंगाल राज्य में इस अधिनियम के अधीन 163 जमाखोर तथा 164 काला बाजार करने वाले नजरबन्द थे। बिहार में उक्त तिथि को ऐसे दो व्यक्ति नजर बन्द थे।

असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों तथा अण्डमान व निकोबार, चण्डीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, दमण व दीव तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने "शून्य" सूचना भेजी हैं।

शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

स्थानीय लोगों को रोजगार देने सम्बन्धी नीति

4035. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन से राज्य स्थानीय लोगों को रोजगार देने में तरजीह देने की नीति का पालन कर रहे हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस नीति को अब तक हतोत्साहित करती रही है ; और

(ग) क्या हाल ही में उन्होंने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि इस नीति का पालन किया जाना चाहिए ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय एकता परिषद ने 1968 में सिफारिश की थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए और उनके

मन में अन्याय की भावना नहीं आनी चाहिए जहां राज्य के व्यक्तियों में स्थानीय योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध हो तो उनको नौकरियों का अधिकांश भाग मिलना चाहिए और इस उद्देश्य को एक नीति के रूप में अपनाने के लिये नियोजकों से अनुरोध करना चाहिए। इस सिफारिश को सभी राज्य सरकारों तथा रोजगार पर रखने वाले अखिल भारतीय संगठनों को भेजा गया था। कुछ राज्यों ने "स्थानीय व्यक्तियों" की अपनी अलग परिभाषा अपनाई है और अपने राज्य के औद्योगिक उपक्रमों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसरों के आरक्षण के संबंध में जैसा कि उन्होंने कहा है "अपील" जारी की है। केन्द्रीय सरकार का हमेशा यह विचार रहा है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें संवैधानिक अधिकारों के बीच में उचित संतुलन होना चाहिए कि कोई भी नागरिक भारत के किसी भाग में काम कर सके और यह सुनिश्चित करना वांछनीय है कि स्थानीय उम्मीदवार रोजगार के पर्याप्त अवसरों से वंचित न हों तथा उनके मन में अन्याय की कोई भावना न आये। गृह मंत्री ने हाल में कहा था कि ऐसा संतुलन कहां तक बनाया जा सकता है उसकी जांच की जा रही है।

कनाडा द्वारा भारत को परमाणु सामग्री की सप्लाई पर प्रतिबन्ध हटाया जाना

4036. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री अनादि चरण दास
श्री पी० गंगादेव
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री श्रीकृशन मोदी

: क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और कनाडा के बीच सहयोग के बारे में 26 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने अब भारत को परमाणु सामग्री की सप्लाई पर प्रतिबन्ध हटाने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) कनाडा से सहायता प्राप्त परमाणु शक्ति परियोजनाओं में कितनी प्रगति हो पायी है ?

प्रधान मंत्री, प्रमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना ही ऐसी एकमात्र परमाणु ऊर्जा परियोजना है जिसके लिए कनाडा की सहायता ली गई है। इस बिजलीघर का पहला यूनिट दिसम्बर, 1973 में व्यावसायिक स्तर पर काम करना शुरू कर चुका है। दूसरा यूनिट निर्माणाधीन है तथा उसके सन् 1976 में पूरा हो जाने की आशा है। इस परियोजना के दूसरे यूनिट के लिए जो सामग्री। उपकरण पहले कनाडा से प्राप्त किये जाने थे अब उन्हें प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है।

योजना आयोग में किये गये परिवर्तनों का पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने पर प्रभाव

4038. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री पी० गंगा देव
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री कृशन मोदी

: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में हाल ही में किये गये परिवर्तनों का पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने पर और प्रभाव पड़ा है ;

(ख) योजना आयोग कहां तक इसको अन्तिम रूप दे पाया है ;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय पुनर्गठन योजना आयोग के सहायक की भूमिका अदा करेगा ; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप का निर्धारण 1972-73 के मूल्यों तथा उस समय की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में किया गया था। तबसे देश के अन्दर मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में चौहरी वृद्धि हुई है। विभिन्न आयातित कच्चे माल और निवेश के मूल्यों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। पांचवीं योजना के प्रारूप में स्वीकृत वित्तीय व भौतिक आकार-प्रकार को इन घटनाओं ने अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि संसाधनों का फिर से जायजा लिया जाय और पांचवीं योजना प्रारूप के ढांचे में ही अन्तः प्राथमिकताओं को फिर से व्यवस्थित किया जाय। इस सम्बन्ध में अत्यधिक कार्य करना होगा तथा इस समय योजना आयोग आवश्यक अभ्यास कार्यों में व्यस्त है।

(ग) जी नहीं । योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को मूलतः अलग अलग कार्य करने होते हैं जिन क्षेत्रों में ये दोनों एजेंसियां समान रूप से सम्बन्धित हैं, वहां परस्पर परामर्श और विचार-विमर्श से निर्णय किये जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Illegal Arms Factory in Etawah

4039. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether an illegal arms manufacturing factory was unearthed in Naurangabad Mohalla in Etawah in the first week of February, 1975;

(b) if so, the types of arms which were being manufactured in the said factory and since when; and

(c) the action taken so far against the owner of the factory ?

75M/J (N)2LSS—9

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) The requisite information has been called for from the Government of U.P. and it will be laid on the Table of the House on receipt.

Appointment of Assistant Directors (Hindi) in R.E.C.

†4040. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether some Assistant Directors (Hindi) have been appointed in the Rural Electrification Corporation recently;

(b) if so, the criteria of their selection;

(c) whether these posts were advertised in the newspapers; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Energy (Shri K. C. Pant) : (a) One Assistant Director (Hindi) has been appointed by Rural Electrification Corporation Ltd., in August, 1974.

(b) Selection had been made on the basis of academic qualifications and adequate experience in Hindi journalism.

(c) & (d) The posts were not advertised in the newspapers. Having regard to the special nature of the job and specialized experience required, a few Hindi Newspapers and News Agencies were requested to suggest suitable names for the post. Selection was made out of the names received by this process.

भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड के कर्मचारियों के सेवा नियम

4041. **श्री एम० कतामुत्ति :** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड का विचार अपने श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए अपने सेवा नियम बनाने का है जैसा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में व्यवस्था है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तूतीकोरीन के निकट परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करना

4042. **श्री एम० कतामुति :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार का विचार तूतीकोरिन के निकट एक परमाणु विद्युत योजना स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या अभिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकस मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) तथा (ख) तामिलनाड़ सरकार द्वारा तूतिकोरिन के दक्षिण में कुदानकुलम के समीप एक स्थल सुझाया गया था तथा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नियुक्त की गई स्थल चयन समिति ने दक्षिणी बिजली क्षेत्र में विजलीघर के उपयुक्त अन्य स्थलों के साथ-साथ इस स्थल के बारे में भी विचार किया है। सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा उस पर विचार किया जा रहा है।

लाइसेंस प्राप्त इलैक्ट्रानिक नये निर्माता एकक

4043. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक** : क्या इलैक्ट्रोनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) वर्ष 1974 तक कितने नये इलैक्ट्रानिक्स निर्माता एककों को लाइसेंस दिये गये; और

(ख) उनमें से कितने एककों में उत्पादन आरम्भ हो गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणू ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 31 दिसम्बर, 1974 तक जिन नये इलैक्ट्रानिक्स विनिर्माणक कारखानों को लाइसेंस दिये गये उनकी संख्या 73 है।

(ख) इनमें से 12 कारखानों के लाइसेंस औपचारिक रूप से रद्द कर दिये गये हैं तथा 27 कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो गया है।

सरकारी क्षेत्र के गेर सरकारी क्षेत्र में शेयर

4044. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का पूंजीगत ढ़ांचा जो गैर-सरकारी उद्योगों के लिए उपलब्ध किया जायेगा इन उद्योगों की वर्तमान साम्य पूंजी का अंग होगा अथवा अतिरिक्त 'स्टाक इश्य' होगा; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के इन उद्योगों की शेयर स्टाक मार्कीट के माध्यम से खरीदे बेचे जायेंगे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी0 पी० मौर्य) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इक्विटी पूंजी में निजी उद्यमों की साझेदारी के बारे में सरकार की नीति औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में ली गई है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने या तो सीधे ही अथवा अपने नियमों के माध्यम से निजी पार्टियों के साथ उपयुक्त मामलों में इक्विटी साझेदारी की है। संयुक्त क्षेत्र के इस प्रकार के एकक एक ऐसे उपाय के रूप में जिसका योजना के लक्ष्यों के उत्पादन संबंधी विशिष्ट मामलों में सहारा लिया जाता है। सरकारी सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की दृष्टि से इस प्रकार के संयुक्त क्षेत्र स्थापित करने के प्रत्येक प्रस्ताव पर गुणावगुणों के आधार पर निर्णय और निश्चय करना होगा। संयुक्त क्षेत्र भी एक संवर्धनकारी माध्यम है, उदाहरण के लिए ऐसे मामलों में जिनमें राज्य सरकारें नए और मध्यम उद्यमियों के साथ साझेदारी करने के लिए एक प्राथमिकता वाले उद्योग का विकास करने में उनका मार्गदर्शन कर सकती है। संयुक्त क्षेत्र के भिन्न भिन्न प्रकार के एककों के सभी मामलों में, सरकार नीतियों, प्रबंध एवं संचालन का मार्ग दर्शन करने हेतु स्वयं अपनी प्रभावी भूमिका अदा करने का सुनिश्चय करती हैं और प्रत्येक मामले में वास्तविक ढ़ांचे और तरीक का उचित निर्णय किया जाता है।

पर्वतीय, जंगली और पिछड़े क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रसार

4045. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्यधिक आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के लिये उसे कम आधुनिक बनाने के लिये क्या कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, और

(ख) दुर्गम पर्वतीय, जंगली और पिछड़े क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रासर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) माननीय सदस्य का संकेत सम्भवतः देशीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रौद्योगिकियों के विकास की ओर है ? औद्योगिक विकास विभाग में स्थित उपयुक्त प्रौद्योगिक पक्ष, कृषि उपकरणों एवं औजारों, छोटे आकार के डेरी संयंत्रों, मिट्टी के बर्तनों और शीशे के समान सहित सिरेमिक्स तथा देश के अन्दर विद्यमान परिस्थितियों में खाद्य संरक्षण एवं खाद्य संस्थान आदि जैसे कुच्छ विशेष क्षेत्रों के उपयुक्त प्रौद्योगिकयों की समस्या का अध्ययन कर रहा है। सामान्य रूप से, लघु उद्योगों के सामने आने वाली तकनीकी और इंजीनियरी समस्याओं का समाधान करने के लिए सतरह राज्य अनुसंधान विकास तथा अभिकल्प समितियों का गठन किया गया है। खादी और ग्रामोद्योगों की प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए भी कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना (1974-79 के प्रारूप खण्ड 1 व 2) जिसे 26 मार्च, 1974 को सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था, में अन्य बातों के साथ साथ लगभग 56.9 मिलियन हैक्टर सीमांत भूमि के सुधार की समस्याएं भी शामिल हैं, ताकि इस भूमि पर निर्भर रहने वाले, कृषि पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों के अस्तित्व के लिए ही संकट पैदा न हो सके। इसका अभिप्राय-ऐसी भूमि को जो साधारणतया पर्वतीय तथा उप-पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, उत्पादक भूमि के रूप में विकसित करना है। योजना में प्रस्तावित परियोजनाओं के अन्दर लघु वन उत्पाद, संसाधनों का सर्वेक्षण, महत्वपूर्ण औषधिय एवं सुरभित पौधों की खेती एवं समुपयोजन आदि भी शामिल हैं।

तेलंगाना ज़िले के एक पिछड़े ज़िले में करीमनगर परियोजना के बारे में भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसे स्थानीय आवश्यकताओं के विश्लेषण, क्षमताओं और साधनों के आधार पर तैयार किया गया है।

'न्यू वेव' के सम्पादक द्वारा रेडियो पर वार्ता

4046. **श्री समरगुहा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'करंट अफेयर', 'स्पाट लाइट' अथवा अन्य कार्यक्रमों में, 'न्यू वेव' के संपादक श्री गिरीश माथुर द्वारा वर्ष 1972 से आकाशवाणी द्वारा कितनी बार वार्ता प्रसारित की गई ;

(ख) विवादस्पद राजनीतिक मामलों पर रेडियो वार्ताएं देने के लिए उन्हें तरजीह दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यह सर्वविदित है कि श्री माथुर कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया और रूस की विचारधारा के प्रति आस्था रखते हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को इतनी अधिक वार्ताएं देने के लिए असाधारण स्वतन्त्रता और तरजीह दिये जाने के क्या कारण हैं जो विवादस्पद राजनीतिक मामलों पर निष्पक्ष विचार नहीं रखता ;

(ङ) क्या संबन्धित अधिकारियों ने उन के द्वारा तैयार की गई पांडुलिपियों को आंका था, यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(च) क्या अन्य वार्ताओं की पांडुलिपियों की रिकार्डिंग से पहले आंका जाता है ; और

(छ) क्या श्री माथुर अपनी वार्ताओं में विशेष रूप से श्री जय प्रकाश नारायण तथा अन्य नेताओं की आलोचना करते रहे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री, (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 1972 से 1974 तक तीन वर्ष के दौरान अड़तीस ।

(ख) श्री गिरीश माथुर को कोई तरजीह नहीं दी गई ।

(ग) तथा (घ) आकाशवाणी वार्ताकारों को उनके राजनीतिक रूझानों के आधार पर आमंत्रित नहीं करते ।

(ङ) तथा (च) समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित की जाने वाली सभी स्क्रिप्टों की जांच समाचार सेवा प्रभाग के निदेशक के निर्देशन में संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाती है । अन्य सेवाओं या केन्द्रों द्वारा प्रसारित की जाने वाली स्क्रिप्टों की जांच सेवा या केन्द्र के प्रमुख के निर्देशन में संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों या विशिष्ट कार्यक्रम के इन्जार्च प्रोड्यूसरों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा की जाती है । जिन अधिकारियों ने अनेक वर्षों के दौरान और आकाशवाणी की विभिन्न यूनिटों से प्रसारित स्क्रिप्टों की जांच की हो उनके नाम देना संभव नहीं है ।

(छ) जी, नहीं ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिवस पर कार्यक्रम

4047. **श्री समर गुह :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 जनवरी, 1975 को 'नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, दी मैन आफ डेस्टिनी आफ इंडियन रेवोल्यूशन' पर कलकत्ता से प्रसारित की गई वार्ता कलकत्ता के अतिरिक्त किसी अन्य स्टेशन से भी प्रसारित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां से यह वार्ता प्रसारित की गई थी ;

(ग) इस वार्ता को 'आकाशवाणी' से प्रसारित न किये जाने के क्या कारण हैं जैसा कि 23 जनवरी, 1975 को नेता जी पर अंग्रेजी की अन्य दो वार्ताओं के बारे में किया गया था ;

(घ) क्या दिल्ली और बम्बई टेलीविजन पर 23 जनवरी, 1975 को कोई कार्यक्रम दिखाया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(च) यदि नहीं, तो इस प्रकार का कार्यक्रम सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(छ) गांधी जी तथा पंडित नेहरु के पिछले जन्म दिवस के अवसर पर दिल्ली और बम्बई टेलीविजन द्वारा दिखाये गये कार्यक्रम के तथ्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्योंकि विषय पर पहले ही प्रसारित दो अन्य वार्ताओं की स्क्रिप्टें पत्रिका में प्रकाशनार्थ सुलभ थीं, इसलिए उसे शामिल नहीं किया जा सका।

(घ) जी, हां।

(ङ) निम्नलिखित कार्यक्रम टेलीकास्ट किए गए थे :–

(1) दिल्ली टेलीविजन केन्द्र ने नेताजी पर फिल्म प्रभाग को डाकुमैंट्री दिखाई। इसमें सुभाष पार्क में नेताजी की मूर्ति के पास हुए समारोह, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति ने भाग लिया था, की फिल्म भी दिखाई।

(2) बम्बई टेलीविजन केन्द्र ने दिल्ली में हुए उस समारोह जिसमें उप-राष्ट्रपति ने नेताजी की मूर्ति का अनावरण किया था, की फिल्म दिखाई। इसके अतिरिक्त, बम्बई में हुए समारोहों की फिल्में भी दिखाई गई।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) गांधी जी और पंडित नेहरू के पिछले जन्म-दिवस के अवसर पर दिल्ली और बम्बई टेलीविजन केन्द्रों ने जो कार्यक्रम टेलीकास्ट किए थे उनको दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. दिल्ली टेलीविजन केन्द्र :

गांधी जयन्ती (2-10-1974) (1) राजघाट की प्रार्थना बैठक की फिल्म आवृत्तियों पर आधारित टी० वी० रिपोर्ट (2) 'हम अब भी जाति वाद को क्यों अपनाएं'– देहाती कार्यक्रम "कृषि दर्शन" में चर्चा।

पंडित नेहरू का जन्म दिवस तथा बाल दिवस 14–11–1974

(1) वर्षगांठ के अवसर पर जवाहर लाल नेहरू स्मारक समिति द्वारा आयोजित भारत के नृत्य के विशेष कार्यक्रम का तीन मूर्ति हाउस के लान से टेलीकास्ट।

(2) बाल दिवस समारोहों और दिवस पर देहात में हुए सार्वजनिक समारोहों पर फिल्म आवृत्तियों पर आधारित टी० वी० रिपोर्ट।

(3) "बाल साहित्य और बच्चों की दुनियां"–हिन्दी पत्रिका कार्यक्रम "पत्रिका" में चर्चा।

(4) "किसानों के बीच नेहरू" –देहाती कार्यक्रम "कृषि दर्शन" में फोटो फीचर।

2. बम्बई टेलीविजन केन्द्र :

गांधी जयन्ती (2–10–1974)

(1) "योर मैमोरी क्रूसीफाइड–टी० एन० मोहन द्वारा बनाई गई फिल्म, रेखाचित्र श्री बदरीनारायन द्वारा ।

(2) "अब गांधीजी असाते ता"–मराठी में चर्चा ।

(3) श्री वसन्त आजगावकर द्वारा मराठी में दृष्यों सहित प्रस्तुत "वैष्णव" गीत

(4) महाराष्ट्र विधान परिषद् के अध्यक्ष श्री वी० एस० पागे के साथ इन्टरव्यू ।

(5) फिल्म प्रभाग के हरिजन और "हिज मैमोरी वी चैरिश" नामक वृत्त चित्र ।

(6) वयस्क शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित गांधीजी पर कार्यक्रम ।

(7) शहर में हुए समारोहों के समाचार ।

पंडित नेहरू जन्म दिवस और बाल दिवस (14–11–1974) :

(1) श्रद्धांजली–राष्ट्रीय शिक्षा और सूचनात्मक फिल्म ।

(2) दी लास्ट चैप्टर–नेहरू और उनकी अन्तिम वसीयत पर फिल्म प्रभाग का वृत्त चित्र ।

(3) शांतिवन पर नेहरू को श्रद्धांजली ।

(4) बाल दिवस समारोहों सहित स्थानीय समारोहों पर टी० वी० रिपोर्ट और समाचार ।

(5) "नेहरू–ए यूथ पर्सपैक्टिभ"–"यूथ वर्ल्ड" कार्यक्रम में चर्चा ।

(6) बाल दिवस के अवसर पर गुजराती बच्चों के कार्यक्रमों में ड्रामा फीचर ।

कारगली वाशरो में भ्रष्टाचार के आरोप

4048. **श्री शशि भूषण** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 दिसम्बर 1974 को रांची के 'न्यू रिपब्लिक' में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कारगली वाशरो में गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गए हैं;

(ख) क्या बोकारो कोयला खदानों से वाशरों को बिना धुला कोयला ले जाने के लिये सुचारू रूप से काम कर रहे रज्जुमार्ग को अचानक त्याग दिया गया और यह काम सड़क परिवहन से करवाया जाने लगा है; और

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं और इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

उप मंत्री, ऊर्जा मंत्रालय (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसादक) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) बाई-केबुल रज्जु-मार्ग, जिसे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत बोकारो कोयला खान से कारगली प्रक्षलनशाला तक प्रतिवर्ष 15 लाख टन कोयले की ढुलाई के लिये 16 लाख रुपये की लागत से बनाया गया था, नवम्बर, 1958 में शुरू होने के शीघ्र बाद कई तकनीकी दोषों के कारण ठीक प्रकार से काम नहीं कर सका । विशेषज्ञों से परामर्श के बाद भी त्रुटियों को दूर करने के लिये किए गए कई प्रयासों के बावजूद अप्रैल, 1963 से स्थिति और बिगड़ गई

तथा जून, 1963 में रज्जु-मार्ग द्वारा ढोये गये कोयले की मात्रा घटकर 33,986 टन रह गई। इस प्रकार रज्जु-मार्ग आशा से 50 प्रतिशत कम कोयला ढो सका। इन परिस्थितियों में तथा रज्जु-मार्ग द्वारा खम्भे की सहायता हेतु मूल्यवान कोयला रोके जानें के कारण रज्जु-मार्ग को उखाड़ देने तथा उसके बदले सड़क एवं रेल संचालन द्वारा ढुलाई करने का निर्णय किया गया ताकि बोकारो खान तथा कारगली सुनिश्चित रूप से उच्च दक्षता से काम करें और भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्रों के लिये प्रक्षलशाला को अधिक कोयला दें। जुलाई, 1963 में रज्जुमार्ग को त्याग देने के बाद सड़क/रेल द्वारा कारगली प्रक्षालशाला को बोकारो कोयला खान से कोयला संचलन में सुधार हुआ तथा फलस्वरूप प्रक्षालित कोयले के उत्पादन में भी वृद्धि हुई।

स्कूटरों का निर्यात

4049. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत देश में निर्मित स्कूटरों का निर्यात करेगा ;

(ख) क्या केवल गैर-सरकारी निर्माता फर्मों द्वारा निर्यात किया जायेगा, अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा;

(ग) कितने स्कूटरों का निर्यात करने का विचार है और इस से प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की कितनी आय होने का अनुमान है; और

(घ) क्या स्कूटरों के निर्यात का देश की जनता की अवश्यकातओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां,

(ख) निर्यात प्रयास दोनों क्षेत्रों में समान है।

(ग) वर्ष 1974–75 के दौरान निर्माताओं ने अभी तक लगभग 3,000 स्कूटरों के निर्यात के लिये क्रयादेश प्राप्त किए हैं। इन स्कूटरों के निर्यात से लगभग 69 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

(घ) हर वर्ष उत्पादन में वृद्धि होने के कारण देश में सप्लाई पर किसी भी अंश तक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हजारी बाग जिले में कुजु कोयला क्षेत्रों में तोइरा कोयला खान में आग

4050. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उस आग से लगभग 5,000 मीटरी टन कोयला नष्ट हो चुका है जो कि हजारी बाग जिले में कुजु कोयला क्षेत्रों में तोहिरा कोयला खान के मुहाने पर पड़े कोयला भंडार पर 17 फरवरी, 1975 से लगी हुई है;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण हैं तथा उससे कुल कितनी हानि और क्षति हुई; और

(ग) भविष्य में ऐसी आगजनी की घटनायें रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो॰ सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश में भारी इंजीनियरिंग परियोजनायें

4051. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**
श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ भारी इन्जीनियरिंग परियोजनाएँ स्थपित करने का है ।

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं में से कम से कम एक परियोजना मध्य प्रदेश में स्थापित करने के कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए॰ सी॰ जार्ज) : (क) जी, हां ;

(ख) और (ग) पांचवीं योजना में 10 मी0 टन और इससे अधिक भार वहन की क्षमता के वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण के लिये प्रस्तावित संयंत्र की स्थापना हेतु मध्य प्रदेश सरकार और कई अन्य राज्य सरकारों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । परियोजना कहां स्थापित की जायेगी इस प्रश्न पर परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही निर्णय लिया जा सकता है ।

जनता तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों से सरकार द्वारा इक्विटी शेयर लिया जाना

4052. **श्री पी॰ रंगनाथ शिनाय** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार जनता तथा सरकारी क्षेत्र के काम कर रहे निगमों के कर्मचारियों स इक्विटी शेयर लेने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मोटी रूप-रेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी॰ पी॰ मौर्य) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के योगदान के बारे में सरकार की नीति औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार होती है । उपयुक्त मामले में, केन्द्र और राज्य सरकारों ने या तो प्रत्यक्ष रूप से या गैर-सरकारी पार्टियों के साथ अपने निगमों के जरिये इक्विटी में भाग लिया है । संयुक्त क्षेत्र में एकक स्थापित करने के लिये प्रत्येक मामले पर सरकार के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुणों के अधार पर निर्णय और निश्चय करना पड़ेगा ।

विभिन्न प्रकार के संयुक्त क्षेत्र के एककों के सभी मामलों में सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी कि वह स्वंय नीतियों, प्रबन्ध और कर्या संचालन में मार्ग-निर्देशन करने तथा प्रत्येक मामले में जैसा भी उचित हो, वास्तविक ढांचे और तरीके को निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समाजवादी प्रजातंत्र में श्रमिक विकास के सम्मिलित कार्य में एक भागीदार होता है और इसमें उसे उत्साह से भाग लेना चाहिये

ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं

4053. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) उन क्षेत्रों के नाम क्या है जिनमें ये परियोजनायें आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) परियोजनाओं के अन्तर्गत किसी उद्योग की स्थापना के लिए किस प्रकार की सहायता दी गई है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० शर्मा) : (क) और (ख) वर्तमान ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गयी परियोजनाओं का स्थापना स्थल बताने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9241/75)

(ग) इन परियोजना स्थलों में उद्योग स्थापित किए जाने हेतु दी जाने वाली सहायता में उत्पादन की उपयुक्त दिशा का चुनाव करने में मार्गदर्शन करना, तकनीकी विस्तार सेवाओं की व्यवस्था, राजसहायता प्राप्त ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं देना, समान सुविधा सेवाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

पांचवीं योजना में उप-योजनाएं

4054. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने क कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में कितनी उप-योजनाएं बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) ऐसी योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरणत्र शुक्ल) : (क) 15 राज्यों की राज्य योजनाओं के अन्तर्गत उन क्षेत्रों के लिए उपयोजनाएं बनाने का विचार है, जहां मुख्य रूप से आदिवासी लोग रहते हों–ये राज्य हैं–आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल।

(ख) योजना आयोग द्वारा की गयीं टीका-टिप्पणियों के आधार पर राज्य सरकारें उप-योजनाओं में संशोधन कर रही हैं। राज्य सरकारों की, शोषण मिटाने, भूमि हस्तांतरण, ऋणग्रस्तता और बेगार (बान्डेड लेबर) को रोकने की ओर विशेष ध्यान देना होगा। विकास कार्यक्रमों में सिंचाई, कृषि और सम्बद्ध व्यवसायों, सड़कों और ग्रामीण बिजलीकरण को प्रमुख स्थान देना होगा ताकि इन क्षेत्रों में भावी आर्थिक विकास के लिये आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके। बहु-उद्देशीय सहकारी तथा विपणन कार्य आरम्भ करने के लिए एक संगठनात्मक आधार तैयार करना आवश्यक होगा। सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, पोषाहार और पेय-जल सप्लाई कार्यक्रमों की ओर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा। आदिम जातियों में अत्यधिक पिछड़े वर्गों का पता लगाया जाएगा और उनके उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस नीति को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित कार्मिक नीति निर्धारित करें तथा उपयुक्त प्रशासनिक तन्त्र तैयार करें।

Robbing of Foreigners in Delhi

4055. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether incidents of robbing of foreigners take place in Delhi;

(b) if so, the number of such cases during 1973-74 and the action taken in this regard; and

(c) whether an American tourist Smt. Vehiven was also a victim of such an incident ?

Dupty Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H Mohsin):

(a) & (b): No case of robbing of foreigners has been reported to Delhi Police during the years 1973 and 1974.

(c) No sir.

दिल्ली मे अपराध के ऐसे मामले जिनका सुराग नहीं मिला

4057. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र मं हत्या और डकैती की कितनी घटनाएं हुई ; और

(ख) प्रत्येक किस्म के ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) गत तीन वर्षों में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में दर्ज किये गये हत्या और डकैती के मामले नीचे दिये गये हैं :–

	1972	1973	1974
हत्या	133	153	172
डकैती	27	24	30

(ख) प्रत्येक वर्ग के मामलों की संख्या जिनका अब तक पता नहीं लगा है, नीचे दी गई है :

	1972	1973	1974
हत्या	25	30	15
डकैती	8	5	2

अखिल भारतीय संवर्ग के अधिकारियों को पुनर्नियुक्ति

4059. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय संवर्ग के कितने अधिकारी, श्रेणीवार, सेवानिवृत्ति के बाद राज्यों/केन्द्र में पुनर्नियुक्त किए गए हैं तथा इन अधिकारियों का विवरण क्या है ;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी अवधि के लिये नियुक्ति की गई है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में ऐसी नियुक्ति के विशेष कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

दिल्ली में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार

4060. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए हाल ही में कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की आशा है ; और

(घ) इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ;

(ख), (ग) तथा (घ) दिल्ली प्रशासन को रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 के दौरान 60.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया है । अब तक 1,074 शिक्षित

बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता वाली 11 स्कीमों के लिए 59.19 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया, जिनका विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण

श्रेणी	स्कीम का नाम	स्वीकृत परिव्यय (लाख रु०)	रोजगार क्षमता
1	2	3	4
स्वरोज़गार स्कीमें	1. इंजीनियरों तथा तकनीशियनों की सहकारी समितियों का गठन तथा सहायता देना	4.80	32
	2. उद्यमियों को मूल/उपान्त धन की सहायता	30.00	100
	3. बेकरी से सामान तैयार करने के लिए शिक्षित बेरोजगारों की दो सहकारी समितियों का गठन करना	0.90	22
	4. साबुन तैयार करने के लिए शिक्षित बेरोजगारों की पांच सहकारी समितियों का गठन करना	2.25	55
	5. मैटायोर छोटी बसों के माध्यम से स्वरोजगार	5.55	75
	6. टैम्पो (माल ढोने वाली गाड़ी) चलाने से स्वरोजगार	2.40	50
	7. फेरी वालों के द्वारा मिट्टी के तेल का वितरण	0.18	50
	8. दुग्ध उद्योग के द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार	2.48	60
	9. मुर्गी पालन से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार	1.65	30
प्रशिक्षण स्कीमें	1. उद्यमीय कौशल के लिए प्रशिक्षण	4.32	500
	2. औद्योगिक एककों में शिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों तथा डिप्लोमा धारियों को नियमित रूप से रोजगार पर लगाना	1.30	100
	3. आकस्मिक खर्च तथा संगठन को सुदृढ़ करना	3.36	–
	योग	59.19	1,074

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग करने वाला ज्ञापन

4061. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को कुछ समय पहले एक लोक ज्ञापन मिला था जिस पर अनेक संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और इस ज्ञापन में क्या लिखा है ; और

(ग) ज्ञापन में की गई मांग के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) मार्च, 1974 में प्रधान मंत्री को प्राप्त एक ज्ञापन में, जिस पर अनेक संसद सदस्यों (सूची संलग्न है) ने हस्ताक्षर किये थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्द मार्ग और विद्यार्थी परिषद का साम्प्रदायिक तथा फासिस्ट संगठनों के रूप में उल्लेख किया गया था और उन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

(ग) जिन संगठनों की गतिविधियां साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने तथा राष्ट्रीय एकता के हित के प्रतिकूल होती हैं, उनसे आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा यथा संशोधित गैरकानूनी गति विधियां (निरोध) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों के अन्तर्गत निपटा जा सकता है। क्या किसी संगठन के सम्बन्ध में कानून के उपबन्धों को लागू किया जाय इस प्रश्न की सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे संगठन के सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री को देखते हुए जांच की जाती है।

विवरण

ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची

1. एस० एम० सिद्दइया
2. राजदेव सिंह
3. मुलकी राजसैनी
4. नागेश्वर द्विवेदी
5. चन्द्र सैलानी
6. ब्रह्मानन्द
7. एन० एस० बिस्ट
8. विश्वनाथ राय
9. शिपूजन शास्त्री
10. भोला रावत

11. छोटे लाल
12. रामग्रवतार
13. के० गोपाल
14. शशि भूषण
15. तुला राम
16. तुलमोहन राम
17. ग्रमरनाथ विद्यालंकार
18. ग्रमृत नहाटा
19. जे० सी० दीक्षित
20. दरबारा सिंह
21. ग्रमर नाथ चावला
22. सतपाल कपूर
23. एच० डी० मालवीय
24. रोशन लाल
25. शिवनाथ सिंह
26. लक्ष कुमार
27. सरदार ग्रमजद ग्रली
28. प्रताप सिंह
29. एन० पी० साही
30. हरी सिंह
31. कल्याण चन्द्र
32. वी० पी० साठे
33. मूल चन्द
34. ग्रार० बी० पासवान
35. वयालार रवि
36. भोगेन्द्र झा
37. विश्वनारायण शास्त्री
38. जे० एन० मिश्र
39. सत्य चरन
40. धरनीधर दास
41. ग्रार० एल० भाटिया

42. डी० पी० सिंह

43. एन० के० भट

44. एन० सी० पारासर

45. सिकन्दर अली वज्रद

46. श्रीमती रोजा देशपाण्डे

47. श्रीमती सावित्री श्याम

48 श्रीमती शीला कौल

49. डा० संकट प्रसाद

50. मौ० जमीललुर रेहमान

51. श्रीमती मुकुल बनर्जी

और अन्य जिनके हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं ।

मन्नान्थोड्डो तथा कनानू में टेलीफोनों का कार्यकरण

4062. **श्री सी० के० चन्द्रपन**
श्री सी० जनार्दनन } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीफोन सुविधाओं के ठीक प्रकार काम न करने और ट्रंक काल बुक करने के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों के बारे में मन्नान्थोड्डी कन्नानूर केरल से कई अभ्यावेद प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के बारे में क्याकार्रवाईकी गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) इस एक्सचेंज की स्थानीय और ट्रंक सेवाओं में परेशानियां होने के बारे में कुछ शिकायतें अभी हाल ही में प्राप्त हुई हैं ।

(ख) और (ग) इन परेशानियों का कारण यह था कि एक्सचेंज में सेलेक्टर खराब थे और ट्रंक लाइन के पुर्ननिर्माण के कारण भी कुछ गड़बड़ी थी । खराब सेलेक्टर बदल दिये गये हैं और पुर्ननिर्माण का काम भी पूरा हो गया है । अब मन्नान्थोड्डी एक्सचेंज की स्थानीय और ट्रंक सेवाएं संतोषजनक रूप से काम कर रही हैं ।

Increase in Goondaism in Delhi'

4063. **Shri M.C. Daga** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a letter published in 'Nav Bharat Times' dated the 17th February, 1975 in regard to "increasing goondaism in Delhi";

(b) if so, the steps taken by Government to check goondaism in Delhi;

(c) whether Government have enquired into the incidents mentioned in the aforesaid letter and whether any action has been taken against any person and

(d) if so, the names of the persons challaned with dates thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin)

(a) Yes Sir.

(b) Police patrolling has been intensified. Mobility and effectiveness of patrolling parties has been increased by providing motor-cycles and wireles sets to them. The police strength has been increased as and when considered necessary. A concerted drive against bad characters was launched and preventive action by way of security proceedings has been initiated against known bad characters. 1014 bad characters have been arrested from 1-2-1975 to 15-2-1975. Externment proceedings under the Bombay Police Act have also been initiated.

(c) & (d) : A case FIR No. 55 dated 7-2-1975 u/s 506/ 160/34 IPC was registered at P. S. Rajinder Nagar. Two persons K. C. Ravi and Bhupinder Singh were arrested. The case is under investigation.

A case FIR No. 36 dated 5-2-1975 u/s 394 IPC was registered at PS Delh Main Railway Station. Four persons namely, Jaspal Singh, Ram Kumar Ram Singh and Ram Charan were arrested. The case is under investigation

On 8-2-1975 at about 10 a.m. about 20/25 persons went to Police Post Shanti Nagar and requested that the staff in the Police Post be increased and patrolling be intensified. S.H.O. Sarai Rohalla met them and suitably apprised them of the position and they went away satisfied.

Housing for P & T Employees in Pali District

†4064. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Communications** be pleased state :

(a) the total number of lower and higher categories of employees working in Post and Telegraph office at Pali Head quarter in Pali District;

(b) whether Government have constructed or proposed to construct house for these employees; and

(c) if so, by what time ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma)

(a) Total number of staff is 158.

(b) No quarters have been constructed so far. There is no proposal at present to construct quarters for the employees at Pali.

(c) Does not arise.

M/J(D)2LSS—10

Shortfall in Fourth Plan

4065. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the total amount spent during the Fourth Five Year Plan;

(b) whether there was a shortafall of 21·3 per cent in the achievement of targets during the Fourth Plan; and

(c) if so, in which fields and the reasons therefor ?

The Minister of State in The Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The total anticipated expenditure during the Fourth Five Year Plan is Rs. 15724 crores.

(b) & (c) In financial terms there was a shortfall of only 1·2% but in regard to achievement of physical targets, the shortfalls in the different sectors were of varying degrees. The sectors in which significant shortfalls occurred were agriculture, irrigation, industry and minerals, transport and power, Shortage of chemical fertilisers and drought conditions were major reasons which affected the production in the agricultural sector. The increase in prices of imported machinery and raw materials, the shortage of power, some operational problems and transport bottlenecks hindered industrial production during the Fourth Plan. In the irrigation sector the increase in prices has escalted project costs and delay in the investigations and project formulation have also resulted in failure in achieving the target. In the power sector the shortfall in the achievement of targets in installed generating capacity was due to delay in civil works and supply of equipment and inadeqacies in project management and monitoring of progress. The delays in the finalisation and sanctioning of schemes and procurement of equipment effected progress in the transport sector.

Amendment of Industries (Development and Regulation) Act.

4066. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the Industries (Development and Regulation) Act and if so, when the Act is likely to be amended; and

(b) whether the Bhatt Committee has made recommendations in this regard and if so, when and the decisions taken by the Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya): (a) and (b) : Certain proposals to amend the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, are under active consideration. The recommendation made by the Committee headed by Shri A.R. Bhatt for drafting legislation for Small Scale industries are also being considered. It is likely that a Comprehensive Amendment Bill might be introduced in the Parliament during the current year.

केरल में उद्योगों को वित्तीय सहायता

4067. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित बड़े, मध्यम और छोटे स्तर के उद्योग कहां कहां स्थित हैं, और

(ख) गत तीन वर्षों में इन उद्योगों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) संभवत: संदर्भ केरल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से है न कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित उद्योगों से । यद्यपि बड़े और मझौले क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजनाएं नहीं हैं लेकिन लघु उद्योग क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाएं अर्थात् गैर संगठित क्षेत्र में ग्रामीण और लघु उद्योगों के आंकड़ों का संग्रह और ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम हैं । पहली योजना के अन्तर्गत आंकड़ों का संग्रह करने के लिये राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है और इस प्रकार इस योजना के स्थापना स्थल का प्रश्न ही नहीं उठता है । इस समय केरल में स्थापित और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये स्वीकृत ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं निम्नलिखित हैं –

1. जिला कोजीकोड़े
2. जिला अल्लेपी
3. जिला त्रिवेन्द्रम
4. जिला मालपुरम्

(ख) 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में इन दोनों योजनाओं के लिये केरल राज्य को निम्नलिखित अनुदान/ऋण दिये गये हैं :–

(रु० लाख में)

योजना	वर्ष	अनुदान स्वीकृत	ऋण स्वीकृत	योग
1. ग्रामीण और लघु उद्योगों के आंकड़ों का संग्रह	1971–72	0.50	कुछ नहीं	0.50
	1972–73	0.39	वही	0.39
	1973–74	0.25	वही	0.25
2. ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम	1971–72	1.36	7.54	8.90
	1972–73	6.07	22.79	28.86
	1973–74	3.82	13.56	17.38

क्विलोन (केरल) में वनों पर आधारित उद्योग

4068. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में किलोन जिले (केरल) में वनों पर आधारित किसी उद्योग की स्थापना की जानी है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) ऐसा कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य के दुर्बल वर्गों के लिये वर्ष 1975-76 के दौरान केरल को विशेष वित्तीय सहायता

4069. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल सरकार को, राज्य के दुर्बल वर्गों के लिये, वर्ष 1975—76 के योजना कार्यक्रमों के लिये विशेष वित्तीय सहायता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1975—76 में विभिन्न राज्यों की जनजाति उप-योजनाओं के लिये विशेष वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है । इन उपयोजनाओं में सम्मिलित की जाने वाली स्कीमों से केरल की जनजातियों, जो कि केरल के निर्बल वर्ग का एक भाग है, को लाभ मिलेगा ।

(ख) केरल को उसकी जनजातीय उपयोजनाओं के लिये कितनी धनराशि प्राप्त होगी इसका अभी निर्णय किया जाना है ।

इस्पात और सीमेंट आबंटित न किए जाने के कारण केरल में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर बुरा प्रभाव

4070. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त मात्रा में इस्पात और सीमेंट आबंटित न किये जाने के कारण केरल राज्य में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जहां तक इस्पात का संबंध है, अभी तक इस बारे में कोई समस्या पेश नहीं आई है । इदिक्की विद्युत परियोजन प्राधिकारियों द्वारा अभी हाल में सीमेंट की कुछ कमी होने की सूचना दी गई थी । इस मामले में औद्योगिक विकास विभाग के साथ लिखा-पढ़ी की गई थी । यह सूचना मिली है कि सीमेंट की स्थिति अब संतोषजनक है ।

तापीय बिजली घरों के लिये 500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाले सेट

4071. **श्री वसंत साठे**
श्री भाऊ साहिब धामनकर } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन ने विचार व्यक्त किया है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए सैट की क्षमता 500 मेगावाट यूनिट सही नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तापीय बिजली घरों में 500 मेगावाट यूनिट या इससे अधिक यूनिट बिजली उत्पन्न करने वाले सैटों के चुनाव के बारे में अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का है ;

(ग) क्या तापीय बिजली घरों में यूनिट-क्षमता के चुनाव के मामले पर केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड, नई दिल्ली में 1971 में विचार-विमर्श किया गया था तथा चर्चा में तकनीशियनों ने 500 मेगावाट यूनिट क्षमता के सैटों का विरोध किया था ; और

(घ) यदि हां, तो तकनीकी जानकारों की राय की किस आधार पर उपेक्षा की गई तथा 500 मेगावाट और इससे अधिक क्षमता वाले सैटों के चुनाव का कारण और औचित्य क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कोई संवाददाता 19 जनवरी, 1975 को रुड़की में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष से मिले थे और उनसे 500 मै० वा० के ताप-विद्युत केन्द्रों के निर्माण के लिये विज्ञान तथा टैक्नालोजी की राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया बताने के लिये कहा था । अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग ने इस प्रश्न को 500 मै० वा० के न्यूक्लीय केन्द्र से संबंधित समझा और उन्होंने कहा था कि वे वर्तमान स्थिति में ऐसे यूनिट के निर्माण के पक्ष में नहीं हैं । जहां तक ताप-विद्युत केन्द्रों का संबंध है, 200 मै० वा० से आगे ऊंचे आकार के यूनिट का चुनाव सभी संबद्ध तत्वों पर उचित विचार करने के बाद किया जाएगा ।

(ग) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड के फरवरी, 1972 में नई दिल्ली में आयोजित 44 व वार्षिक सम्मेलन में किये गये विचार-विमर्श के दौरान ऐसी कोई तकनीकी राय रिकार्ड नहीं की गई थी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को राष्ट्रीय उपक्रमों में बदलना

4072. **श्री वसंत साठे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, जो पूर्ण रूप से सरकार के हैं, जनता से चंदा प्राप्त करके धीरे धीरे राष्ट्रीय उपक्रमों में बदलने का विचार है,

(ख) क्या सरकारी तथा गैर सरकारी उपक्रमों में प्रबंध में सभी स्तरों पर श्रमिकों को सांझा पूंजी में भागीदार बना कर उत्पादन में सहयोगी बनाने का विचार है ताकि प्रत्येक श्रमिक को प्रेरणा मिले और उसकी यह बात महसूस हो कि उसका काम राष्ट्रीय महत्व का है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वांछित परिवर्तन लाने के लिये कोई विधायी उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं। प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुणों के आधार पर औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

(ख) औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में इस बात पर बल दिया गया है कि समाजवादी लोकतंत्र में मजदूर विकास के सम्मिलित कार्य में भागीदार होता है और उसे उत्साह के साथ इसमें भाग लेना चाहिये। औद्योगिक संबंधों को शासित करने वाले कुछ कानून बना लिये गये हैं और प्रबन्ध एवं श्रमिकों दोनों के बढते हुए उत्तर दायित्वों को देखते हुए एक सामान्य विशद सम्मिलित नीति का विकास किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आगामी पांच वर्षों में ग्रामीण उद्योगों के लिए बिजली की आवश्यकता का अनुमान

4073. **श्री वसन्त साठे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि तथा ग्रामिण उद्योंगो में बिजली (पावर) की आवश्यक्ता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तीव्रगति से ग्रामिण विकास के लिए तथा लोगों के जीवन स्तर में सामान्य विकास और अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए आगामी पांच वर्षों की आवश्यकतायें क्या होगीं ; और

(ग) राज्यों के विभिन्न भागों में इस समय कृषि कार्यों तथा ग्राम उद्योंगो में बिजली की खपत कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ;

(ख) अगले पांच वर्षों के दौरान प्रत्याशित आवश्यकतायें नीचे दी जाती है :—

	(आंकड़े मिलियन यूनिटों में)
1974–75	8,100
1975–76	9,200
1976–77	10,200
1977–78	11,300
1978–79	12,400

(ग) प्रत्येक राज्य में कृषि सम्बन्धी खपत का वर्तमान स्तर (और कुल खपत से कृषि संबंधी खपत की प्रतिशतता) नीचे दिए गए हैं :—

राज्य का नाम	आंकड़े मिलियन यूनिटों में	
	कृषि संबंधी खपत	कुल खपत से प्रतिशतता
आंध्र प्रदेश	588	23.8
असम	2	0.5
बिहार	74	2.8
गुजरात	628	15.5
हरियाणा	528	37.7
हिमाचल प्रदेश	2	0.8
जम्मू और कश्मीर	16	7.7
कर्नाटक	259	7.2
केरल	92	5.1
मध्य प्रदेश	126	5.0
महाराष्ट्र	488	5.5
उड़ीसा	8	0.5
पंजाब	710	25.9
राजस्थान	281	21.2
तमिल नाडू	1,659	29.5
उतर प्रदेश	841	20.2
पश्चिम बंगाल	30	0.6
चण्डीगढ़	1	1.2
दिल्ली	6	0.5
पाण्डिचेरी	26	28.0
कुल	6,365	12.6

बहरामपुर में आर० एम० एस० डिवीजन बनाने की मांग

4074. **श्री वसन्त साठे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार कर्मचारियों ने बेहरामपुर में तुरन्त आर० एम० एस० डिवीजन बनाने की मांग के समर्थन में 14 फरवरी, 1975 को बहरामपुर में एक रैली आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय/कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में 'टूल रूम'

4075. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों की आवश्यक्ता को पूरा करने के लिए दिल्ली में एक टूल रूम की स्थापना करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागर पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां ;

(ख) टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र जिसकी स्थापना दिल्ली में की जाती है डेनमार्क की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता से किया जायेगा । परियोजना की कुल मिलाकर-अनुमानित लागत 342 लाख रूपये है जिसमें से 90 प्रतिशत अंशदान डेनमार्क द्वारा किये जाने की आशा है। टूल रूम का उद्देश्य औजार बनाने के डिजाइन तैयार करने, औजारों का उपयोग और उत्पादन तथा औजारों, साचों, जिगों तथा जुड़नारों (फिक्सचर) आदि के बारे में परामर्श दात्री सेवायें प्रदान करना ।

सीमेंट के वितरण पर नियंत्रण

4076. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सीमेंट के वितरण से नियंत्रण हटाने का निर्णय कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में, राज्यवार सीमेंट की कुल कितनी कितनी मात्रा उपलब्ध है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के वितरण संबंधी उपबंधों अथवा 'केन्द्रीय' और 'राज्य' कोटे के तिमाही आबंटन

को विद्यमान प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार नहीं है । फिर भी, सीमेंट अब आसानी से उपलब्ध हो सके इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को सीमेंट के 'मुक्तबिक्री' कोटे की बिक्री पर लगे नियंत्रण को उदार बनाने तथा इस बात का सुनिश्चय करने की सलाह दी जा रही है कि उपभोक्ताओं को परमिट विलम्ब से जारी किए जाने के कारण इस प्रकार की बिक्री में कमी न होने पाये ।

(ख) देश में अप्रैल, 1974 से फरवरी, 1975 तक 133.30 लाख मी० टन० सीमेंट का उत्पादन हुआ । 'राज्य कोटा' के अंतर्गत अप्रैल, 1974 से दिसम्बर, 1974 तक राज्यवार भेजा गया सीमेंट तथा 'राज्य कोटा' के अन्तर्गत जनवरी, 1975 से मार्च, 1975 की अवधि में राज्यवार आबटंन का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है :—

विवरण

क्रम संख्या	केन्द्र राज्य/ शासित क्षेत्र	राज्य के अंतर्गत अप्रैल, 1974 से दिसम्बर, 1974 की अवधि में भेजा गया सीमेंट	राज्य कोटा के अंतर्गत जनवरी से मार्च, 1975 की अवधि में किया गया आबंटन
1	2	3	4
1	पंजाब	2.31	1.26
2	राजस्थान	2.80	1.12
3	उत्तर प्रदेश	12.13	4.40
4	हिमाचल प्रदेश	0.27	0.20
5	जम्मू और काश्मीर	0.76	0.64
6	दिल्ली	2.66	1.35
7	चण्डीगढ़	0.28	0.15
8	हरियाणा	2.17	0.97
9	पश्चिम बंगाल	4.33	2.27
10	बिहार	4.67	1.95
11	उड़ीसा	2.08	0.84
12	आसाम	0.68	0.63
13	मेघालय	0.22	0.08
14	मणिपुर	0.06	0.10

1	2	3	4
15	त्रिपुरा	0.07	0.06
16	मिजोरम	0.02	0.02
17	अरूणाचल प्रदेश	नगण्य	नगण्य
18	गुजरात	7.77	3.26
19	मध्य प्रदेश	4.28	1.23
20	महाराष्ट्र	10.06	4.43
21	गोवा, दमण और दिव् दादरा और नगर हवेली	0.32	0.17
22	तमिलनाडू	7.54	3.18
23	आन्ध्र प्रदेश	5.51	3.53
24	कर्नाटक	4.57	2.40
25	केरल	2.95	1.41
26	पाण्डेचेरी	0.17	0.07
27	लंकाद्वीप	–	0.02
28	अण्डेमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.04	0.03
29	नागालैंड	0.14	0.06
	योग	78.96	35.83

जर्मनी के एक राष्ट्रिक से रायफलें तथा गोलाबारूद बरामद होना

4077. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि ;

(क) क्या पुलिस ने वागाह सीमा पर 19 दिसम्बर 1974 को जर्मनी के एक राष्ट्रिक से 100 राइफलें और 500 कार्तूस बरामद किये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय नें उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) जी हां, श्रीमान् ;

(ख) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 19–12–74 की सीमाशुल्क तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा बाधा सीमा पर एक कार, जिसमें दो पश्चिमी जर्मन नागरिक यात्रा कर रहे थे, के कपट अधोभाग (फाल्स वोटम) से 100 राइफलें और गोलाबारूद के 500 राऊंड बरामद किये गये थे । अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके विरूद्ध शस्त्र अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था । मामले में आगे जांच पड़ताल हो रही है ।

Attack on Ghanuadih Colliery of Bharat Coking Coal Limited.

4078. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether on the 19th February last, a group of 60 to 70 armed persons launched a murderous assault on the Ghanuadih colliery office of the Bharat Coking Coal Limited and the office of the United Coal Workers Union, affiliated to the All India Trade Union Congress, in Dhanbad district and brutally murdered three union leaders;

(b) if so, the reasons therefore; and

(c) the action taken by Government against the culprits?

The Deputy Minister in the Ministry of energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) Reports have been received of a group of armed persons allegedly belonging to one union raiding the workers qaurters near the Ghanoodih colliery of the Bharat Coking Coal Ltd. on 19-2-1975. In the conflict three persons were killed and five others, reported to be supporters of another union, were injured. One of the injured persons died subsequently in the hospital. The State Police have registered cases and arrested 49 persons so far.

Facilities to Freedom Fighters

4079. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the board features of the facilities provided to the frreedom fighters, State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : The responsibility for the grant of relief and rehabilitation facilities to the freedom fighters is primarily that of the State Governments who have evolved their own schemes which provide one or more of the following benefits:—

(a) Grant of pension

(b) Grant of land

(c) Refund of fines imposed for participation in national movements

(d) Restoration of confiscated properties

(e) Rehabilitation loans

(f) Educational concessions to children and

(g) preference in employment.

Separate state-wise information however is not available.

Disbursements are also made from the Home Minister's Discretionary Grant for giving relief to the freedom fighters and their dependant family members who are in need of special assistance and ask for it, in addition to the pension given to eligible freedom fighters by the Central Government.

उत्तर बिहार में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत

4080. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री भोगेन्द्र झा : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार, जिसकी आबादी लगभग 3 करोड़ है, देश में सबसे अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रो में है ;

(ख) क्या बिजली की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत खपत 97 यूनिट है जबकि उत्तर बिहार में इसकी प्रति व्यक्ति खपत 10 यूनिट है ; केवल

(ग) यदि हां, तो उत्तर बिहार में व्यापत इस क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं ;

(घ) क्या इस असन्तुलन को दूर करनेके लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विद्युत की खपत की दृष्टि से उत्तर बिहार अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है जहां प्रति व्यक्ति, खपत 96.6 की राष्ट्रीय औसत खपत के मुकाबले में केवल 10 है ।

(ग) और (ङ) : उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार पहले ही अन्तः सम्बद्ध है और उत्तर बिहार की मांगें पूर्ण रूप से पूरी की जा रही हैं । इसके अतिरिक्त, बिहार में 465 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली विद्युत उत्पादन परियोजनाएं चौथी योजना से आगे चल रही हैं और 530 मेगावाट की समस्त क्षमता की नई स्कीमें पांचवी योजना में प्रारम्भ की जा रही है । इसमें से लगभग 225 मेगावाट क्षमता की केवल उत्तर बिहार म ही वृद्धि की जायेगी । इसके अलावा फरक्का में केन्द्रीय सैक्टर में एक ताप-विद्युत केन्द्र का काय भी प्रारम्भ किया जा रहा है, जिससे उत्तर बंगाल तथा उत्तर बिहार दोंनो की मांग पूर्ण की जा सकेंगी ।

बिहार में ग्रामों का विद्युतीकरण

4081. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) बिहार राज्यों में ग्रामों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने ग्रामों में बिजली पहुंचाई गई है ;

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(घ) अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की प्रतिशतता क्या है और इस अन्तर को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बिहार राज्य में 67,665 गांव है । 31-10-1974 तक 9,838 गांव विद्युतिकृत हो चुके थे ।

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना में बिहार में लगभग 9,000 और अधिक गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्षय है ।

(घ) बिहार सहित, विभिन्न राज्यों में विद्युतिकृत गांवों के प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है । (ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०-9242/75)

बिहार सहित , पूर्वी राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति का पुनरलोकन करने तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु ऊर्जा उपमंत्री की अध्यक्षता में संसद सदस्यों की एक समिति गठित की गई है । समिति द्वारा शीघ्र ही अपनी रिर्पोट प्रस्तुत कर दिए जाने की प्रत्याशा है । उस पर कार्यन्वयन के लिए विचार किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, पांचवी योजना में "न्यनतम आवश्यक्ता कार्यक्रम" नाम का एक विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है । इस कार्यक्रम के अत्रंगत प्रत्येक राज्य में कम से कम 30 से 40 प्रतिशत ग्रामिण जनसंख्या को बिजलो उपलब्ध कराने की परिकल्पना को गई है । इससे बिहार सहित अन्य राज्यों में जो इस संबंध में पिछड़े हुए है, ग्राम विद्युतीकरण के स्तर में पर्याप्त सुधार होने की प्रत्याशा है ।

मैसर्स हिन्द साइकल्स का सरकारीकरण

4082. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैर्सस हिन्द साईकल्स लिमिटेड को अंतिम रूप में अपने अधिकार में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो पुराने कर्मचारियों को पुन: काम पर लेनेके लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या पुराने कर्मचारियों की भविष्य निधि, उत्पादन की बकाया राशि तथा मंजूरी की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) हिन्द साईकल लि० के बम्बई और गाजियाबाद एककों का प्रबन्ध सरकार द्वारा 3-1-1974 को अपने हाथ में ले लिया गया था ।

(ख) केवल कुछ सेल्स रिप्रिजेन्टेटिवों को छोड़कर सभी स्थायी कर्मचारियों को जो काम पर हाजिर हुए पुन: काम पर लगा लिया गया है इसमें बादली के वे कामगर भी शामिल है जिन्होंने 31 जुलाई 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में बम्बई एककों में 240 दिन से अधिक काम किया था ।

(ग) प्रबन्ध ग्रहण के पहले की बाकाया मजदूरी की राशि का भुगतान नहीं किया गया है । ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें फिर से लगा लिया गया था तथा जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है अथवा सेवा निवृत हो गये है उन्हें ग्रेचुइटी की राशि अदा की जा रही है किन्तु जो लोग काम पर पुन: हाजिर नहीं हुए थे उन्हें ग्रेचुइटी की राशि का भुगतान नही किया गया है । उपक्रम के भविष्य

निधि खाते का 1-4-1974 से भविष्य निधि आयुक्त को हस्तान्तरण कर दिया गया है । भविष्य निधि की बाकाया राशि के भुगतान की स्थिति का सुनिश्चिय करके सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

छोटा नागपुर डिवीजन में ग्राम विद्युतीकरण के लए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा बिहार को वित्तीय सहायता

4083. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) बिहार क छोटा नागपुर डिवीजन में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने जिलाबार कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) इस कार्यक्रम में बिहार राज्य बिजली बोर्ड का जिलावार भाग क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्लर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम लि० ने अब तक बिहार के छोटा नागपुर प्रखण्ड में ग्राम विद्युतीकरण से संबंधित 23 स्कीमें स्वीकृत की हैं । जिलेवार ब्योरे इस प्रकार हैं :—

जिला	स्कीमों की संख्या	धनराशि (लाख रुपये)
हजारीबाग } गिरिडिह }	1	49.930
धनबाद	3	152.981
पलमऊ	4	250.716
रांची	9	591.434
सिंहभूम	6	379.713
	23	1,424.774

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम लि० द्वारा परियोजना अवधि के दौरान स्वीकृत स्कीमों के सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्ड किसी हिस्से का योगदान नहीं देता ।

सीमेंट का उत्पादन

4084. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या वर्ष 1974–75 के लिए रखा गया सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त होने की आशा नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और इस दिशा में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) वर्ष 1974–75 के लिए सीमेंट के उत्पादन का कोई विशेष लक्ष्य नियत नहीं किया गया था। फिर भी अनुमान है कि वर्ष 1974–75 में लगभग 150 लाख मी० टन उत्पादन

किया जा सकेगा । अप्रैल, 1974 से फरवरी, 1975 तक की अवधि का 133.30 लाख मी० टन वास्तविक उत्पादन रहा । सरकार अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने हेतु कोयला और बिजली की पर्याप्ति आपूर्ति करने और रेल परिवहन की सुविधा को उपलब्ध कराने का सुनिश्चिय करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है ।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों का खोला जाना

4085. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में वर्ष 1974–75 के दौरान ग्रामीण क्षत्रों में कुल कितने डाकघर खोले गये ; और

(ख) प्रत्यके नये डाकघर के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र और जनसंख्या आई ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पांच ।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

डाकघर	क्षेत्र	आबादी
1. डलुआहाट	5 वर्ग मील	3,108
2. खड़गपुर	2 ,,	1,480
3. रबुआ-तुलसिआलु	$2\frac{1}{2}$,,	2,074
4. मंडल	8 ,,	3,126
5. सरावा	3 ,,	2,623

दिल्ली में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

4086. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 के दौरान "अपना टैलीफोम लगाओ" व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली के प्रत्येक टैलीफोन एक्सचेंज में प्राथमिकता के आधार पर कितने नये टैलीफोन कनेक्शन दिये गये ; और

(ख) "अपना टैलीफोन लगाओ" व्यवस्था के अन्तर्गत नियमित रूप से टैलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं तथा कब से पड़े हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) विवरण पत्र अनुबन्ध 'क' के तौर पर संलग्न है [ग्रंथालाय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–9243/75]. 1

(ख) विवण पत्र अनुबंध 'ख' के तौर पर संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० –9243/75] 1

विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर स्कूटरों और कारों के आवंटन के लिए अनिर्णित पड़े आवेदन पत्र

4087. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1974 तक प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों और कारों के आवंटन के लिए, जिनका भुगतान देश में विदेशी मुद्रा में किया जायेगा, अनिर्णीत पड़े आवेदनपत्रों की संख्या कितनी है ; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) दिनांक 31–12–74 तक विदेशी मुद्रा जमा योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों के आवंटन के लिए 2,085 और प्रीमियर प्रेसिडेंट कारों के प्राथमिकता के आधार पर आवंटन के लिए 12 आवेदन पत्र, जो पूर्ण रूप से ठीक पाये गये थे, अनिर्णीत थे। अब उन पर निर्णय ले लिया गया है।

पूंजीगत वस्तुओं संबंधी समिति की सिफारिशें

4088. **श्री खेमचन्दभाई चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजीगत वस्तुओं संबंधी समिति, वित्तीय संस्थाओं से उधार लिये जाने वाले धन के आधार पर ही प्रस्तावों की सिफारिश करती है,

(ख) क्या वित्तीय संस्थाओं के साथ औपचारिकताओं को पूरा करने में बहुत अधिक समय लगता है और वे विद्यमान उपक्रमों के अनुकूल हैं,

(ग) क्या नये उद्यमी इन औपचारिकताओं को पूरा करने से डरते हैं और वे पहले ही या औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया के दौरान अपनी परियोजनाओं के बीच में ही छोड़ देते हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार 15 लाख रुपए के मूल्य तक के पूंजीगत माल के आयात के आवेदनों को वित्तीय संस्थाओं को न भेज कर उन्हें स्वयं ही निपटाने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) आयात के लिये स्वीकृतियां देते समय पूंजीगत माल समिति विदेशीमुद्रा की जमा राशि का स्रोत बताती है जिसमें वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गयी राशि भी शामिल है।

(ख) वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण के आवेदन पत्रों पर निर्णय की सूचना देने में औसतन लगभग तीन महीने का समय लगता है। वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण के आवेदन पत्रों के बारे में नये व मौजूदा उपक्रमों के बारे में समान प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(ग) पूंजीगत माल का आयात करने के आवेदन-पत्रों के लिये स्वीकृति देने की वर्तमान सप्रवाही प्रक्रिया का उद्देश्य उद्योगपतियों द्वारा औपचारिकताएं यथाशीघ्र पूरी करने में सहायता पहुंचाना है।

(घ) जी, नहीं।

परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए भारत और यूगोस्लाविया के बीच सहयोग

4089. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यूगोस्वलाविया परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए भारत के साथ सहयोग करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में ऐसे सहयोग की मांग करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) यूगोस्लाविया ने परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोगों क क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है ।

बर्मा से होकर चीन जाने वाले नागा तथा मिजो विद्रोहियों की गिरफ्तारी

4090. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **गृह** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन जाने वाले कुल कितने नागा तथा मिजो विद्रोहियों को बर्मा में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया था,

(ख) क्या नागा तथा मिजो विद्रोहियों को बर्मा में प्रवेश देने की अनुमति के बारे में बर्मा सरकार को एक विरोध पत्र भेजने अथवा इन्हें बर्मा में प्रवेश करने की अनुमति न देने के लिये उनका सहयोग मांगने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस बारे में बर्मा सरकार से यदि कोई प्रतिक्रिया मिली है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सितम्बर, 1974 से जनवरी, 1975 तक सुरक्षा दल 135 भूमिगत नागाओं को चीन जाते हुए पकड़ने में समर्थ हुए हैं । इस अवधि में चीन जाने वाला कोई मिजो विद्रोही नहीं पकड़ा गया है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

दूर संचार तन्त्र (नेट वर्क)

4091. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूर संचार तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए हैं ; और

(ख) विभिन्न डाक तथा तार योजनाओं के लिए पांचवी योजना में कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) देश में दूर संचार जाल का विस्तार और सुधार करना एक निरन्तर प्रक्रिया है । एक के बाद एक जो पंचवर्षीय दूर सचार योजनाएं बनाई गई हैं, उनका उद्देश्य दूर संचार सेवाओं का बड़े पैमाने पर विकास करना और उन्हें आधुनिक बनाना भी रहा है ।

भारत में दूर संचार प्रणाली का आगे और विकास करने और आधुनिक बनाने के लिए दूर-संचार की समाकलित पांचवी पंचवर्षीय योजना का मसौदा बनाया गया है और उसे योजना आयोग के पास भेज दिया गया है ।

पांचवी योजना की अवधि में दूर संचार प्रणाली में सुधार लाने और उसे आधुनिक बनाने के लिए जो कतिपय महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं या उठाने का प्रस्ताव है, वे इस प्रकार हैं :

(i) स्थानीय टलीफोन प्रणाली में लगभग 10 प्रतिशत की विकास दर बरकरार रखना ताकि प्रतीक्षा की अवधि उत्तरोत्तर कम होती जाए।

(ii) टैलीफोन एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर आटोमैटिक बनाना।

(iii) जो आटोमैटिक एक्सचेंज उपस्कर अपनी क्षमता भर सेवा दे चुके हैं, उन्हें उत्तरोत्तर बदलना।

(iv) करीब 350 स्टेशनों को राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सेवा देना और इस उद्देश्य के लिए अच्छे किस्म का और काफी भरोसेमंद केबुल/रेडियो ट्रांसमिशन जाल की व्यवस्था करना तथा सभी राजस्व जिला मुख्यालयों में टिकाऊ संचार, व्यवस्था सुलभ करना।

(v) काफी संख्या में संयुक्त डाक तारघर/सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलकर पहाड़ी पिछड़े और दूरवर्ती इलाकों तक संचार सुविधाओं का विस्तार करना।

(vi) अधिक संख्या में टेलैक्स एक्सचेंज खोलकर और चार महानगरों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली और मद्रास में सर्किट स्विचिंग तार प्रणाली चालू कर तार प्रणाली को आधुनिक बनाना।

(vii) विभाग की अनुसंधान और तकनीकी विकास तथा प्रशिक्षण शाखाओं का वितार करना, उन्हें आधुनिक और मजबूत बनाना।

(ख) (1) 5वीं योजना के मसौदे में दूर संचार के लिए कुल 1030 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है : इस रकम का योजनावार विभाजन इस प्रकार है :—

योजना	रकम
	(आंकड़े करोड़ रुपयों में)
(i) स्थानीय टेलीफोन प्रणाली (संबंधित जमीन और इमारतें सहित)	487.45
(ii) लम्बी दूरी की स्विचिंग (संबंधित जमीन और इमारतों सहित)	79.90
(iii) लम्बी दूरी का ट्रांसमिशन (संबंधित जमीन और इमारत सहित)	264.27
(iv) खुले तार वाली लाइनें और तार प्रणालियां . .	52.92
(v) अन्य जमीन और इमारतें (इनमें कर्मचारियों के क्वार्टर भी शामिल हैं) और प्रशिक्षण केन्द्र, दूर संचार अनुसंधान केन्द्र, परीक्षण संगठन आदि जैसे सहायक संगठन)	145.57
	1,030.11
(ii) डाक सेवाएं	57.5

'लेसर' प्रक्रिया के द्वारा यूरेनियम का संवर्धन

4092. **श्री एन० के० सांधी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय यूरेनियम का संबर्धन गैस विसरण प्रक्रिया के उपयोग द्वारा किया जा रहा है जो कि 35 वर्ष पुरानी पद्धति है;

(ख) क्या अन्य देशों में इस प्रक्रिया के स्थान पर 'लेसर' प्रक्रिया उपयोग में लाई जा रही है जिसकी लागत उपरोक्त प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली लागत से बहुत ही कम है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या हमारी प्रयोगशालाओं में "लेसर" प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं और यदि हां, तो गैस विसरण पद्धति को पूरी तरह से कब तक बदलना संभव हो सकेगा ?

प्रधन मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अनतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत में यूरेनियम का संवर्धन विसरण प्रक्रिया से नहीं किया जाता है।

(ख) यद्धपि विभिन्न देशों द्वारा विसरण प्रक्रिया को किसी अन्य प्रक्रिया से बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है, तथापि अभी तक ऐसा नहीं किया जा सका है ।

(ग) भारत में विभिन्न प्रक्रियाओं पर, जिनमें लेसर प्रक्रिया भी शामिल है, अध्ययन किया जा रहा है ।

अनुसूचित जातियों की स्थिति को सुधारने के लिये हरियाणा को वित्तीय सहायता

4093. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा को केन्द्र-प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अस्वच्छ कार्यों में लगे हुए अनुसूचित जातियों के कार्य और रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की है

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में कितनी राशि दी गई है और

(ग) हरियाणा राज्य ने इस धनराशि का उपयोग कितना किया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) :

	(रुपये लाखों में)	
वर्ष	स्वीकृत राशि	प्रयोग की गई राशि
1971–72	1.25	0.50
1972–73	1.25	1.25
1973–74	1.01	1.03

नागालैण्ड में कागज परियोजना

4094. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री एस० एन० मिश्र : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पहले नागालैण्ड राज्य के लिए कागज परियोजना की अनुमति दी थी,

(ख) क्या इस परियोजना पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं,

(ग) क्या यह परियोजना बेकार हो गई है और इतनी बड़ी धनराशि फजूल चली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) (क) जी, हां।

(ख) अब तक इस परियोजना पर 13.39 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन में स्टाफ कार का दुरुपयोग

4095. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री एस० एन० मिश्र : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन आफ इंडिया के कुछ उच्च अधिकारियों के खिलाफ स्टाफ कार का दुरुपयोग करने और बिना किसी औचित्य के विशेष वेतन लेने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई ह,

(ख) क्या ये अधिकारी कार भत्ता तो ले रहे हैं परन्तु ये अपनी स्वयं की कार का प्रयोग नहीं करते हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जरिए इन के खिलाफ जांच कराने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) हिन्दुस्तान कागज निगम में स्टाफ कार के दुरुपयोग और विशेष वेतन की मंजूरी के बारे में, लोकसभा के सदस्य के बिना किसी निश्चित सूचना के दिये गये स्टाफ कार और विशेष वेतन की मंजूरी के दुरुपयोग संबंधी सामान्य पत्र को छोड़कर, और कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टायर और ट्यूबों के परमिटों के लिए दिल्ली प्रशासन के पास विचाराधीन आवेदन पत्र

4096. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए गए आटोमोबाइल्स टायर्स एण्ड ट्यूब्ज कंट्रोल आर्डर 1969 के अंतर्गत जुलाई 1972 के बाद प्रत्येक लायसेंसधारी ने विशिष्ट विवरण सहित कितने टायर और ट्यूब बेचे थे,

(ख) क्या टायरों और ट्यूबों की अत्याधिक मांग के बावजूद प्रशासन ने निर्दिष्ट अवधि के भीतर परमिट जारी नहीं किए थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं, और दिल्ली प्रशासन के पास परमिटों के लिए कितने आवेदन पत्र आज तक विचाराधीन हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) टायर और ट्यूब विभिन्न आकारों और किस्मों के 3.50 गुणा 8 से लेकर 14.00–20 तक के होते हैं तथा उनकी बिक्री प्रतिवर्ष हजारों में होती है । टायर और ट्यूब बेचने वाले डीलरों की संख्या भी बहुत अधिक है जिनमें से दिल्ली मोटरगाड़ी टायर और ट्यूब नियन्त्रण आदेश, 1969 के अधीन 314 डीलरों ने लाइसेन्स प्राप्त कर लिये हैं ।

सभी डीलरों द्वारा बेचे गए टायरों और ट्यूबों की संख्या तथा विशिष्टय सम्बन्धी जानकारी दिल्ली प्रशासन द्वारा नहीं रखी जाती है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि निश्चित अवधि के भीतर ही अधिकतर परमिट जारी किए गए थे ।

(ग) दिल्ली प्रशासन के पास कोई भी आवेदन अनिर्णीत नहीं पड़ा है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में दर्ज विदेशों में प्रशिक्षित भारतीय वैज्ञानिक

4097. **श्री एम० बी० कृष्णप्पा : क्या योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1975 तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में विदेशों में प्रशिक्षित कितने भारतीय वैज्ञानिकों के नाम दर्ज थे ।

(ख) गत एक वर्ष में उनमें से कितने वैज्ञानिकों को रोजगार प्रदान कर दिया गया है ; और

(ग) शेष वैज्ञानिकों को रोजगार प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग में दिनांक 14–3–75 तक

6353 वैज्ञानिकों, 7,482 इंजीनियरों, 1,189 प्रौद्योगिकीविदों और 3,877 चिकित्सकों ने अपने आप को पंजीकृत करवाया था, उनका यह पंजीकरण स्वैच्छिक है ।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान उन पंजीकृतों में से 543 को वैज्ञानिक पूल में नियुक्तियां प्रदान की गई थीं। वर्ष के दौरान 304 को नियमित रोज़गार प्राप्त हुआ और 333 पूल अधिकारियों के रूप में काम करते रहे ।

(ग) राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग में पंजीकृत उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर जो भारत में कोई रोज़गार नहीं करते, भारत वापिस आने के दो माह पहले ही वैज्ञानिक पूल में चयन करने के लिय विचार किया जाता है । कम योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को पूल में चयन नहीं किया जाता । नियमित पदों पर पूल अधिकारियों को नियुक्तियां देना इन बातों पर निर्भर करता है :

(अ) उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में रिक्त पद का होना ।

(ब) रोजगार देने वाली एजन्सियों के सामान्य भरती नियमों ; और

(स) संबंधित वैज्ञानिकों की व्यक्तिगत वरीयता ।

आगामी वर्ष में कोयले का अतिरिक्त उत्पादन

4098. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष भी सरकार के विचार से कोयले का अतिरिक्त उत्पादन होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस आशावाद का आधार क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1973–74 के 780 लाख टन कोयला उत्पादन की तुलना में 1974–75 के दौरान 880 लाख टन कोयले के उत्पादन की आशा है। पिछले 6 महीनों मे उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है। इस प्रवृत्ति तथा उपकरण, कल पुर्जो और विशेषज्ञता की प्राप्ति तथा बिजली व रेल परिवहन की उपलब्धि में सुधार के लिए की गई अग्रिम कार्यवाही के आधार पर तथा कामगारों से प्राप्त सहयोग के फल-स्वरूप आशा है कि 1975–76 के दौरान कोयले का उत्पादन 100 लाख टन अधिक होगा ।

आणविक ईंधन में आत्म निर्भरता तथा आणविक ज्ञान तथा तकनीकी का भारतीयकरण

4099. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आणविक ईंधन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आणविक तकनीकी ज्ञान और तकनीकी का भारतीयकरण करन क लिए अब तक क्या प्रयास किये हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, उइलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : तारापुर परमाणु बिजलीघर में काम आने वाला ईंधन मामूली सा समृद्ध यूरेनियम आक्साइड है । इसे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, अर्थात् समृद्ध यूरेनियम हैक्साफलुओराइड आयात किया जाता है तथा इससे परिष्कृत ईंधन तैयार करने का काम हैदराबाद स्थित नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में किया जाता है । हमारे परमाणु बिजली

कार्यक्रम के अनुसार भविष्य में ऐसे परमाणु बिजली घर स्थापित नहीं किए जाएंगे, जिनमें मामूली से समृद्ध यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लाया जाता हो। तथापि, यूरेनियम को समृद्ध बनाने की तकनीक का विकास करने का काम भी भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में आरम्भ किया जा चुका है। राजस्थान कलपक्कम तथा नारोरा के रिएक्टरों में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा। व्यावसायिक स्तर पर इस ईंधन का उत्पादन परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित की गई जानकारी के आधार पर किया जा रहा है। फास्ट रिएक्टरों के लिए आवश्यक समृद्ध ईंधन के बारे में प्रारम्भिक अनुसंधान आरम्भ किया जा चुका है।

Public Call Offices

4100. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of public call offices installed in the States ;

(b) the number of public call offices out of them which are meeting their own expenditure:

(c) the number thereof running in loss; and

(d) the policy of Government in regard to installation of public call offices ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) :

(a) to (c) The required information is being collected. It will be placed on the table of the House.

(d) Public call offices can ordinarily be opened at places where the proposals are remunerative. The P&T Deptt. has evolved a policy for providing these facilities at un-developed places on limited loss basis depending on administrative and other importance of the places, their population and remoteness from the existing telecommunications net work. It is however, necessary that in every case the expected revenue should be atleast 25% of the Annual Recurring Expenditure.

This policy has been relaxed in respect of hilly and backward areas. As per the relaxed policy the expected revenue limit has been reduced to 10% in respect of hilly areas and 15% in respect of backward areas. The population limits in such cases have been lowered and loss limits enhanced. A copy of the policy which is in vogue is attached herewith. [Placed in Library. See No. LT 9244/75].

Facilities to Family of Late Shri L.N. Mishra

4101. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether late Shri Lalit Narayan Mishra was killed by a bomb explosion n the railway premises while performing Ministerial duty ;

(b) if so, the facilities proposed to be provided to his family by Government; and

(c) whether Government propose to erect a memorial in his memory ?

The Minister of Home Affairs (Shri K. Brahmananda Reddi) :

(a) Yes Sir.

(b) The question is being examined.

(c) The Government of Bihar have reported that a decision has been taken to erect a memorial in memory of late Shri L.N. Mishra at Semariaghat in Begusarai and also to establish self-contained emergency ward which will be named as Shri Lalit Narayan Mishra Central Emergency Institute, in the Patna Medical College, Hospital.

पंजाब में उद्योग और कृषि के लिए बिजली की सप्लाई

4102. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी के अन्त से पंजाब में उद्योग और कृषि को बिजली की सप्लाई में और अधिक कमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1974–75 में अब तक बिजली की कमी के कारण इस राज्य में उद्योग को किस सीमा तक क्षमता से कम उत्पादन करने के लिए बाध्य होना पड़ा था ; और इस वर्ष इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) गुरुनानक ताप-विद्युत केन्द्र के 110 मै० वा० यूनिट को 28–1–1975 से 14–2–1975 तक योजनाबद्ध रखरखाव के लिए बाहर निकला गया था । इसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान विद्युत की उपलब्धता में कमी रही । बहरहाल, इस यूनिट को पुन: चालू कर दिया गया है और अब औद्योगिक उपभोक्ताओं पर विद्युत की कटौती को 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों को छ: घंटे प्रतिदिन विद्युत की सप्लाई निश्चित रूप से की जा रही है ।

(ग) यह मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है कि राज्य में उद्योगों को किस हद तक क्षमता से नीचे कार्य करने पर विवश होना पड़ा तथा चालू वर्ष के दौरान केवल विद्युत की कटौतियों के कारण कृषि उत्पादन की कितनी हानि हुई ।

सोवियत संघ और पूर्व यूरोपीय साम्यवादी देशों से मशीनरी का आयात

4103. **श्री मधु लिमये :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय अथवा भारत सरकार के अन्तर्गत कोई अन्य प्राधिकरण सोवियत संघ और पूर्व यूरोपीय साम्यवादी देशों से मशीनरी के आयात की अनुमति देता है ;

(ख) क्या ये आयात परियोजना मशीनरी अथवा गैर परियोजना वर्कशाप मशीनरी के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं ;

(ग) क्या गैर परियोजना वर्कशाप मशीनरी के आयात के लिए अनुमति अथवा स्वीकृति तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा दी जाती है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी फर्में कौन-कौन सी हैं उन्हें इस प्रकार के आयात करने की अनुमति दी गई है ; और

(ङ) गत तीन कलैण्डर वर्षों में किए गए आयात का मूल्य क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप के देशों सहित विभिन्न देशों से मशीनों का आयात करने के आवेदन-पत्रों पर गणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ख) सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मशीनों के आयात को परियोजना और गैरपरियोजना के आयातों में वर्गीकृत किया जाता है ।

(ग) इस उद्योग से संबंधित प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण को वास्तविक उपभोक्ता द्वारा आवेदित मशीनों का आयात करने के लिये मशीनों की अनिवार्यता प्रमाणित करनी पड़ती है । तकनीकी विकास के महानिदेशक सहित तकनीकी प्राधिकारी को देश में स्थिति को देखते हुए आयात की अनुमति देनी पड़ती है ।

(घ) इस समय लागू आयात व्यापार नियन्त्रण नीति के अनुसार कोई भी वास्तविक उपभोक्ता मशीनों को आयात करने के लिये आवेदन पत्र देने का हकदार है ।

(ङ) वाणिज्यिक आसूचना एवं आंकड़ों के महानिदेशक द्वारा वित्तीय वर्ष के आधार पर आयात के आकड़ों का संकलन और प्रकाशन किया जाता है । देश में विगत तीन वर्षों में आयात की गयी मशीनों का मूल्य इस प्रकार है :—

	रुपये करोड़ में
1971–72	376
1972–73	432
1973–74	541

भागलपुर कमिश्नरी में टेलीवीजनों का कार्यकरण

4104. **श्री मधु लिमये :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1973 और 1974 में बिहार में भागलपुर कमिश्नरी में मुंगेर भागलपुर, जमुई, झाझा, चकई, बांका देवघर तथा अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर टेलीफोन व्यवस्था के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का सारांश क्या है ; और

(ग) इन शिकायतों के कारणों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) उल्लिखित एक्सचेंजों में से कुछ एक्सचेंजों में दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में सामान्य प्रकार की शिकायतें थीं और इन एक्सचेंजों के उपभोक्ताओं ने अपने यहां की स्थानीय और ट्रंक सेवाओं के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया था ।

(ग) (i) मुंगुर में अगस्त-सितम्बर, 1973 में परेशानी थी। इस एक्सचेंज को आटोमैटिक बना देने के बाद अब यह संतोष जनक ढंग से काम कर रहा है।

(ii) भागलपुर में इस समय एक मैनुअल एक्सचेंज है और इसे एक आटोमैटिक एक्सचेंज में बदलने का फैसला किया गया है। इसके लिए उपस्कर की सप्लाई 1975-76 के दौरान अलाट की गई है ।

भागलपुर इलाके में अक्सर भारी मात्रा में तार की चोरियां होने के कारण भागलपुर की ट्रंक सेवायें बुरी तरह प्रभावित थीं। इस मामले में राज्य-सरकार से लिखा पढ़ी की गई है। मुख्य ट्रंक लाइनों में अभी हाल ही में तांबा झले तार लगाये गए हैं। अब पटना-भागलपुर ट्रंक सर्किटों का कार्यकरण धीरे-धीरे सुधर रहा है ।

बरियापुर में एक छोटा आटोमैटिक एक्सचेंज है जिससे केवल 8 कनेक्शन दिए गए हैं। एक्सचेंज के कार्यचालन पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। अब उसकी स्थिति संतोषजनक है।

(iii) जमुई-झाझा : यहां के एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। जमुई के उपभोक्ता मूंगर के साथ सीधा टैलीफोन संबंध चाहते थे, जो फिलहाल व्यवहार्य नहीं है।

(iv) चकाई : इसके बारे में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह एक लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोनघर है ।

(v) बांका : यहां के बारे में कोई गम्भीर शिकायतें नहीं हैं। यह एक 25 लाइन का छोटा आटोमैटिक एक्सचेंज है ।

(vi) देवघर : यहां के दोष संबंधी आंकड़ों को देखने से ऐसा मालूम नहीं होता कि इस एक्सचेंज का कार्यकरण असामान्य है ।

स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र की यात्रा कार्यक्रम

4105. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र का 22 दिसम्बर, 1974 तथा 2 जनवरी, 1975 के बीच यात्रा कार्यक्रम क्या था ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान प्रधान मंत्री ने श्री एल० एन० मिश्र को बताया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदनों तथा दस्तावेजों के बारे में विपक्ष के ज्ञापन को देखते हुए सरकार को और अधिक परेशानियों से बचाने के लिये वह मंत्रिमण्डल से त्याग पत्र दे दें ;

(ग) क्या उक्त वार्तालाप के फलस्वरूप स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र मानसिक रूप से विचलित थे तथा 28 दिसम्बर, 1974 या उसके आस पास उन्होंने दक्षिण भारत में तिरूनल्लारू स्थित भगवान शनेश्वर के मंदिर की यात्रा की थी ; और

(घ) 22 दिसम्बर, 1974 तथा 2 जनवरी, 1975 के बीच उन्होंने अन्य किन-किन तीर्थ-स्थानों की यात्रा की थी ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (घ) तक : 21 दिसम्बर, से 31 दिसम्बर 1974 तक की अवधि के दौरान स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र के दौरों के कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न है। 2 जनवरी, 1975 को वे समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर की बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन करने के संबंध में समस्तीपुर के लिए रवाना हुए। जैसा कि प्रधान मंत्री द्वारा 18 फरवरी, 1975 को समस्तीपुर की घटना पर एक स्थगन प्रस्ताव पर बहस के दौरान सदन में बताया गया था, इस अवधि में प्रधान मंत्री तथा स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र के बीच मंत्रिमण्डल से उन के त्यागपत्र के बारे में कोई वार्ता नहीं हुई थी।

विवरण

श्री ललित नारायण मिश्र, केन्द्रीय रेल मंत्री, भारत सरकार, के दौरे का कार्यक्रम।

दिसम्बर, 1974

21, शनिवार	रवानगी–दिल्ली जंकशन से	2130 बजे हिमाचल एक्सप्रेस
22, रविवार	पहुंच-नंगल डैम	0815 बजे
	नंगल डैम से रवानगी	0830 बजे सड़क से
	पहुंच (ऊना में नाश्ता)	0900 बजे
	नवानगी–ऊना	1000 बजे सड़क से
	पहुंच-अम्ब	1045 बजे
		11.30 बजे तलवारा से नंगल डैम रेल लाइन का उद्घाटन तथा सार्वजनिक सभा में भाषण,
		13.30 बजे अम्ब में भोजन
		15.45-अम्ब में राष्ट्रीय कालेज में जाना
	रवानगी-अम्ब से	1600 बजे सड़क से
	पहुंच भाखड़ा डैम (भाखड़ा डैम में भोजन)	17.15 बजे
	रवानगी-भाखड़ा डैम	2030 बजे सड़क से
	पहुंच नंगल डैम	2115 बजे
	रवानगी-नंगल डैम से	2155 बजे हिमाचल ऐक्सप्रेस द्वारा
23, सोमवार	पहुंच-दिल्ली जंकशन	0845 बजे

28, शनिवार	रवानगी-नई दिल्ली	0630 बजे वायुयान से
	पहुंच-मद्रास	0905 बजे
	रवानगी-मद्रास से	1000 बजे सड़क से
	पहुंच तिरूपति	1900 बजे
29, रविवार	रवानगी-तिरूपति से	0900 बजे सड़क से
	पहुंच-मद्रास	1300 बजे
	रवानगी-मद्रास से	1430 बजे वायुयान से
	पहुंच-बम्बई	1615 बजे
30, सोमवार	बम्बई में रुकना	
31, मंगलवार	रवानगी बम्बई से	0835 बजे वायुयान से
	पहुंच-दिल्ली	10.30 बजे

कर्नाटक के लिए स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

4106 **श्री के० लकप्पा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वर्ष 1973–74 और 1974–75 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को भेजी गई योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा उनमें से कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और उनकी प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा होने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड ने 1973–74 और 1974–75 (11–3–75 तक) के वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को 29 स्कीमें प्रस्तुत कीं। इनमें से निगम ने अब तक 13 स्कीमें (दो 1973–74 तथा ग्यारह 1974–75) में स्वीकृत की हैं। इसके अतिरिक्त, पहले प्राप्त 4 स्कीमें भी 1973–74 में स्वीकृत की गई थीं। स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–9245/75]।

निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमें 5 वर्षों तक की अवधि मे पूरी करने के लिए चरणबद्ध की जाती ह। 1973–74 में स्वीकृत 6 स्कीमों (पहले प्राप्त 4 स्कीमों समेत) के अंतगत राज्य बिजली बोर्ड ने दिसम्बर, 1974 तक 120 पम्पसेटों, 12 लघु उद्योगों, 440 घरेलू और वाणिज्यिक कनैक्शनों और 18 गांवों में 131 गली-बस्तियों को सेवा कनैक्शन प्रदान किए। 1974–75 के दौरान स्वीकृत स्कीमों के बारे में हुई प्रगति का इतनी जल्दी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में रेडियो स्टेशनों में स्टेशन डायरेक्टरों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पदों का रिक्त रहना

4107. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भुज स्थित आकाशवाणी के केन्द्रों में स्टेशन डायरेक्टरों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं और अथवा इन पदों को तदर्थ आधार पर अस्थायी रूप से भरा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) आकाशवाणी के राजकोट और भुज केन्द्रों में इस समय श्रेणी-I के सहायक केन्द्र इंजीनियर के केवल 2 पद खाली हैं । यह पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई इंजीनियरी सेवाएं (इलैक्ट्रोनिक्स) परीक्षा, 1974 के परिणाम के आधार पर भरे जायेंगे । इसके अलावा, आकाशवाणी, अहमदाबाद में वाणिज्यिक सेवा के अपर केन्द्र निदेशक और आकाशवाणी, राजकोट के केन्द्र निदेशक के वर्तमान पदधारियों को हाल ही में संशोधित भर्ती नियमों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियमित पेनल बनने तक तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है ।

सभा पटल पर रखे गय पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 और आयुध (संशोधन) अधिनियम 1975

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) सा० सां० नि० 304 जो दिनांक 8 मार्च 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें अधिसूचना संख्या सं० सां० नि० 11 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, जो दिनांक 11 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) सा० सां० नि० 305 जो दिनांक 8 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिन में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 13 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, जो दिनांक 11 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) सा० सां० नि० 306 जो दिनांक 8 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिन में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 12 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, जो दिनांक 11 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) सा० सां० नि० 307 जो दिनांक 8 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिन में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 53 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, जो दिनांक 18 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धाण) सातवां संशोधन विनियम 1975, जो दिनांक 8 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 308 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1975, जो दिनांक 8 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 309 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 12 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 145 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1975, जो दिनांक 12 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 146 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9227/75)

(2) आयु अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयुध (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 278 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9228/75)।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 147(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेज संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9229/75)।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बम्बई के वर्ष 1972-73 के लेखापरीक्षित लेखे

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई के वर्ष 1972–73 के लेखापरीक्षा लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9230/75)

गुजरात स्थानीय निधि लेखापरीक्षा नियम, 1974 और एक ज्ञापन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं श्री दलबीर सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1963 की धारा 14 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात स्थानीय निधि लेखापरीक्षा नियम, 1974 की एक प्रति जो दिनांक 20 फरवरी, 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी० 245–सी० एफ० ए०–1364–7893 (74) डी एच में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 9231/75)

Shri R. R. Sharma (Bande) : The notification was issued on 20th February 1975 but so far its Hindi Translation has not been provided we have been raising this issue for the last one year.

श्री के० रघुरामैया : यदि गुजरात में राष्ट्रपति का शासन न होता तो यह पत्र वहां पर केवल अंग्रेजी में रखे जाते। क्योंकि यह गुजरात राज्य के नियमानुसार रखे गये है इसलिये वहां के नियमों का पालन किया गया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : According to the rules of this house every paper laid on the table of the House in English, Hindi translation has also to be placed.

The Hon. Speaker had suggested the formation of a committee on which Minister of Home Affairs would also be there.

Mr. Speaker : This matter was brought before the Rules Committee that committee has given certain suggestions. I would like to discuss this matter with you.

The Rules Committee has recommended that there should be a committee of the House to examine the delay in the matters of Hindi.

Shri Shanker Dayal Singh : The papers are generally laid in English alone. Some Ministers should do so in Hindi also.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के अचानक बन्द किये जाने का समाचार

Shri Shanker Dayal Singh : (Chatra) There should be two hour discussion on this important matter.

Mr. Speaker : A part from this call attention notice there is no motion with me.

Shri. Jagannathrao Joshi (**Shajapur**) : I draw the attention of the Minister of Education to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement on it.

" The reported closure of the Banaras Hindu University".

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : उत्तर प्रदेश सरकार और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 13 मार्च, 1975 की सुबह, बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के कुलपति ने विद्यार्थी संघ के नए चुने हुए पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलायी। पदाधिकारियों द्वारा शपथ लेने के तुरन्त बाद संघ के महासचिव श्री भरत सिंह ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वह कुलपति की "गुंडागर्दी" नहीं चलने देंगे और वह कुलपति से उन सब बातों का बदला लेंगे जो उन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब से आगे विश्वविद्यालय में उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। उन्होंने कुलपति को धमकी दी कि वह तुरन्त विश्वविद्यालय छोड़ दें। कुलपति ने उसी दिन दोपहर के बाद श्री भरत सिंह को अनुशासन भंग और दुराचारण के गम्भीर मामले के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित करने के आदेश जारी कर दिए।

2. लगभग अर्ध-रात्रि को श्री भरत सिंह के नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक दल कुलपति के निवास स्थान में घुस गया और निष्कासन आदेश रद्द करने की मांग की तथा वे पत्थर फेंकने, गुंडागर्दी, लूटमार और विध्वंसकारी कार्यों में लग गए। इस बात की आशंका को देखते हुए कि कुलपति के जीवन को गम्भीर खतरा है और विश्वविद्यारय की सम्पत्ति का और विनाश हो सकता है, विश्वविद्यालय में पुलिस बुला ली गई और पुलिस के आने पर विद्यार्थियों की भीड़ तितर-बितर हो गयी। कुलपति ने विश्वविद्यालय को अनिश्चतकाल के लिए बंद कर दिया और विद्यार्थियों को छात्रावास खाली कर देने के लिए भी कहा।

3. विश्वविद्यालय बंद हो जाने के बाद से परिसर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। संरक्षण के लिए परिसर में पुलिस तैनात कर दी गई है।

4. यह आदरणीय सदन इस बात की सराहना करेगा कि हिंसा और धमकी के वातावरण में शैक्षणिक जीवन नहीं चल सकता। सरकार इस बात की उत्सुक है कि विश्वविद्यालय की गरिमा को बनाया रखा जाये। शिक्षण संस्थाओं में हिंसा, धमकियों, भय और दुर्व्यवहार के कार्यों का, विशेष रूप से अध्यापकों के प्रति, कोई स्थान नहीं है क्योंकि ऐसे कार्य हमारी संस्कृति की महान परम्पराओं के विरुद्ध हैं। मैं, इस महान संस्था की स्थापना के उद्देश्यों को स्मरण कराना चाहूंगा जो इसके संस्थापक पंडित मदनमोहन मालवीया जी ने प्रतिपादित किए थे। विश्वविद्यालय का एक प्रमुख उद्देश्य "युवकों में चरित्र निर्माणको प्रोत्साहन करना था"।

5. अत: इस सदन के माध्यम से मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करना चाहूंगा कि वे विश्वविद्यालय में परिस्थितियों को सामान्य बनाने में अपने प्रभाव का प्रयोग करें जिससे कि उन महान-लक्ष्यों को, जिन पर विश्वविद्यालय आधारित है, पूरा किया जा सके।

Shri Jagannathrao Joshi : During the 6 years tennure of vice chancellor ship of Shri Shrimali the University has been closed indefinitely six times. The affairs of the University have been discussed in this House on various occasions.

While introducing the new legislation on the University, Shri V.R.K.V. Rao, the then Education Minister has assured that he would be the last person to ask for nominated bodies governance of the University.

But still the old tradition goes on. There is discontentment among the students on the behaviour of one person.

The present agitation started when shri Shrimali severely criticised the agitation of Shri Jaya Prakash Narayan. The University was closed indefinitely so that the conference of the students which was to be inaugurated by Lok Nayak Jaya Prakash Narayan may not take place.

It was published in local papers of Varanasi that whenever the university is closed indefinitely some flower pots and window panes of Vice-Chancellor's residence are reported to be broken.

The University was closed and the students were asked to vacate the hostels. All this was done so that when Shri Jaya Prakash Narayan comes to inaugurate the conference he may not find the students there.

The students believe that Shri Shirmali is politically biased person. This motivation is being used in the matter of admissions and appointments. Would the Government appoint a parliamentary Committee to look into all these irregularities ? Such Type of happening in the university are not good.

Shri D.P. Yadav : Shri Joshi has pointed one side of the picture. What kind of events have taken place in Banaras Hindu University during the last 6 years and what are the elements responssible for that ? It is not proper for a student to kill another student to give threats to the Vice-Chancellor. The entrire house would agree with me that such elements be turned out of the University.

75-M/J(N)2LSSNo.—12

The Vice-Chancellor has the power to expel any student who has misbehaved with him.

Shri Joshi was made to quit and Shri Shrimali is being forced to quit. How could then the University be run.

श्री बी० बी० नायक (कनारा): श्री जोशी द्वारा हिंसा पूर्ण कृत्यों की निन्दा का हम स्वागत करते हैं। आज श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनसंघ और भारतीय साम्यवादी पार्टी व मार्क्सवादी। एक हो गये हैं।

6 मार्च की रैली से स्पष्ट हो गया है कि माननीय सदस्य गांधी जी की शान्ति और अहिंसा की नीति के समर्थक बन गये हैं। जनसंघ के सदस्य सदन में शान्तिप्रिय और अनुशासन पूर्ण बन गये हैं परन्तु उनका अखिल भारतीय विद्यार्थीप रिषद पर नियन्त्रण समाप्त हो गया है। 11 जनवरी 1975 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षकों के घेराव के लिये प्रस्ताव पारित किया था।

14 जनवरी, 1975 को उन्होंने उपकुलपति को भस्म करने का प्रयत्न किया। "टाइम्स आफ इंदिडया" के अनुसार 500 तथा "हिन्दुस्तान टाइम्स" के अनुसार 1000 छात्रों ने उनका घेराव किया। उपकुलपति का बहुत साहस है कि वह विरोधी हिंसक छात्रों के मध्य रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने विश्वविद्यालय के उपकुलपति को विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को सही ढंग से चलाने के लिये कहा है।

किसी भी कालेज अथवा विश्वविद्यालय में 5 प्रतिशत से भी कम छात्र ही उपद्रव मचाते हैं शेष 95 प्रतिशत अनुशासन प्रिय छात्र होते हैं। क्या आप कोई कठोर कदम उठाना चाहते हैं ताकि 95 प्रतिशत छात्रों की शिक्षा में बाधा न पहुंचे।

इस समस्या का एक ही हल है। जैसे कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किया है। छात्रों से मत किये जायें क्या वे विश्वविद्यालय चलाना चाहते हैं अथवा नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उपकुलपति को पूर्ण समर्थन दें।

मैं जानना चाहता हूं कि 1969 की गजेन्द्रगडकर रिपोर्ट का क्या बना? उक्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि विश्वविद्यालय के परिसर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं का लगना उचित नहीं है।

Shri D. P. Yadav : It is the duty of the Chief Minister of a State to maintain law and order and run the Administration of the State. He has given an assurance to the Vice Chancenllor that he would render help that may be needed for maintance of law and order in the University.

So far as the question of giving support to the Vice Chancellor is concerned I can assure full support of the Central Government.

The case regarding Building of the R.S.S. is pending in the court of law.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Different Universities in various parts of the country have become centres of student unrest.

Firing took place in violent conflicts in Rabindra Bharti University. The Vice Chancellor of the University who is a lady, Dr. Rama Chowdhry was maltreated.

Mr. Speaker, if the process of allegations and counter allegations continues, no solution of the problem could be found

Mr. Narsingh Narain Pandey (Corakhpur) : Please clease the R. .S. S. branch there.

Shri Atal Bihari Vajpayee : During the past 6 years 250 to 300 students have been expelled from Banaras Hindu University the President of the Union elected this time does not belong to Vidyarthi Parishad.

I normally do not want to make any allegation against any Vice chancellor. But the policies being played by Dr. Shrimati in Banaras Hindu Universisity is not only the politics of destruction of the University but it is the politics of destruction of the country. The Vice-Chancellor is encourgaing people and students belonging to C.P.I. in the matter of recruitment, of teachers, inciting the students and reinstatement of resticated students. He is neglecting all other organisations and students.

In case the Ministry of Education appoints a committee, we are ready to prove our charge that qualified persons have been neglected and less qualified persons are being appointed as teachers in this University.

In the statement it has been stated that after taking oath Shri Bharat Singh has made a derogatory speech against the Vice-Chancellor. According to our informations the students said that they will not allow goondaism in the University. According to press reports the entire proceeding relating to oath taking was recorded in a tape. The truth can be verified therefrom. It has been stated that restrication orders issued by the Vice Chancellor should be writhdrawn. Whether an elected representative of the students can't say this ? Is there no freedom of speech in the University ? We agree that this freedom must be within certain limit. The students had grivances against the Vice-Chancellor in the matter of elections. The Vice Chancellor wanted that pro JP movement Union should not win the election. This Union has won contrary to his wishes. He tried that the President elect of the students' Union may not take over his post and made reference of court's judgments in this connection. The elections were free and impartial.

Thereafter the Union has decided that Shri Jaya prakash Narayan should inaugurate the Union. The Vice Chancellor did not like it. To invite Shri Jaya prakash Narayan into the University has become an offence. Every effort was made that Shri Jayaprakash Narayan may not be able to inaugurate the Union. In case the President of the Union has made certain objectionable remarks after taking oath, he can be issued a show cause notice or any inquiry committee can be appointed. But instead of doing so the Vice-Chancellor has resticated him.

It has been stated that the bungalow of the Vice-Chancellor was attacked in the night Is the Minister ready to institute any inquiry into the matter. What has been stated in this house is based on the unilateral statement of the Vice-Chancellor. If the students wanted to clash with Police, there would have not been peace in the University so soon. According to Shri Bharat Singh the students went to the Vice-Chancellor's bungalow to stage a demonstration. Shri Bharat Singh took back all the students before arrival of police. The question is whether the demonstrators were violent and whether any damage was done in the bugalow ? Detailed information may be given in this regard. Whether it is not a fact that the students went back before the police arrived? Whether it is not a fact that according to district authorities there is peace in the University to day also ? Does it not mean that the students never wanted clash ? I would like to know whether the Education Ministry will take some special steps to go into the entire matter or will take unilateral decision on the basis of information received from the Vice-Chancellor. In case Shri Bharat Singh's conduct was objectionable, why efforts were not made to keep other students away from him ? No student will support him if he is accused of saying derogatory remarks against the Vice-Chancellor.

The only solution of estabilishing peace in the B.H.U. is the removal of the Vice-Chancellor. Will the Minister of Education advise the Vice-Chancellor to withdraw the restication order and reopen the university ? The Parliament must enact a legislation for B.H.U. as in the case of A.M.U.

Shri D.R. Yadav : On 14th 11 O' clock in the night 800-1000 students went to demonstrate at the bungalow of the Vice-Chancellor. Supposing the Vice-Chancellor refused to withdrawn the restication order of one student does it mean that they break open his house, break the door and damage the furniture there. They cut the telephone wire and pelted stones. The servant of the Vice-Chancellor came out and telephoned the police. On arrival of police the students went back. I would request Shri Vajpayee to use his good offices in maintaining peace there. Police are making investigations. On receipt of investigation report further action will be taken. The charges levelled by you regarding recruitment are baseless. So far as enactment of a legislation is concerned Govt. are looking into the matter. A Bill is going to come before the Parliament very soon.

श्री नूरुल हुडा (कछार): बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय देश के अत्यन्त प्रसिद्ध और विशिष्ट विश्वविद्यालयों में से एक है हमें इस पर गर्व है । सरकार सदैव शैक्षणिक संस्थाओं विशेषकर विश्वविद्यालयों की स्वायतता की बातें करती है । परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर भारत में छात्रों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उपकुलपति का क्या यह कर्तव्य है कि वह प्लेटफार्म पर खड़े हो कर यह घोषणा करें कि जयप्रकाश नारायण फासिस्टवादी है । जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों को रोकने और उनके द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए छात्रों से कहें । मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि यनियन के महासचिव ने उपकुलपति के विरुद्ध

अपशब्द कहे हैं परन्तु क्या यह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों के हजारों छात्रों द्वारा निर्वाचित एक छात्र को निकालने के लिये पर्याप्त बहाना है । हमारे विचार में निष्कासन आदेश मनमाना और गलत है । इस बहाने से छात्र नेता श्री सिंह को निकालना उचित नहीं है । 2 या 3 महीने पूर्व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी इस प्रकार की एक घटना घटी थी । इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी छात्र यूनियम के प्रधान को आसुंका के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और उसे विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया था । आसुंका और भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत समूचे देश में कई प्रकार की गिरफ्तारियां की जा रही हैं । ऐसा कब तक चलेगा यदि सरकार विश्वविद्यालय कैम्पस में शान्ति स्थापना करने की इच्छुक है तो इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति निर्धारित की जानी चाहिये ।

हमने देखा है कि सतारूढ दल से सम्बन्धित छात्र यदि चुनाव जीत जाते हैं तो वह छात्र यूनियन पर छाये रहते हैं इसमें कोई गलती नहीं है परन्तु यदि विरोधी दलों अथवा श्री जयप्रकाश नारायण के समर्थक दलों से सम्बन्धित छात्र चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें तुरन्त काली सूची में लिख दिया जाता है और उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है और आसुंका के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है ।

कुछ समय पूर्व इस सदन में बताया गया था कि हरियाणा के मुख्य मंत्री ने छात्रों को धमकी दी कि यदि वे विरोधी दलों की गतिविधियों में भाग लेते हैं तो उन्हें न केवल विश्वविद्यालय से निष्कासित ही किया जायेगा अपितु उन्हें सरकारी नौकरी भी नहीं दी जायेगी । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने डा० श्रीबाली से सम्पर्क स्थापित किया था और इस सभा में वक्तव्य देने से पूर्व उनका बयान प्राप्त किया था क्योंकि मंत्री का यह वक्तव्य पूर्णतया बोकस है । प्रतीत होता है कि यह पुलिस निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है । यदि कोई हिंसात्मक घटना हुई है तो हम उसकी निन्दा करते हैं । क्या सरकार सच्चाई का पता लगाने के लिए इन घटनाओं की जांच शिक्षाविदों द्वारा करायेगी जिन्हें सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त हो और इस सभा को उस सम्बन्ध में बतायेगी । हमारा कहना है कि दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाये । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति कुछ दलों अथवा संगठनों, जो सत्तारूढ़ दल के निकट है, के प्रति सहानुभूति रखते हैं और वे उन व्यक्तियों को गलत तरीके से नियुक्त कर रहे हैं ।

Shri D.P. Yadav : I do not know what the Vice-Chancellor has said in his personal capacity but politics of Violence is called fascist. There is nothing wrong in arresting those students under MISA, who possess rivolvers, pistols or bombs. The Administration will take strict action against such stud dents.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक कर्मचारी द्वारा आत्महत्या करने के बारे में वक्तव्य

Statement re. suicide by an employee of the Indian Council of Agricultural, Research

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : कुमारी के० ज्योति का जन्म 19 अगस्त, 1946 को हुआ था। ज्योति के पिता श्री एन० एन० कृष्णन्, केन्द्रीय जल और

विद्युत आयोग में अनुभाग अधिकारी थे। 15 अगस्त, 1966 को उनकी अचानक मृत्यु के बाद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सरकारी पक्ष पर दिनांक 8-11-1966 (अपराह्न) से अनुकम्पा के आधार पर कुमारी ज्योति को तकनीकी सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के समय वह दिल्ली विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान में एम० एस० सी० के अन्तिम वर्ष में अध्ययन कर रही थी, इसलिए उसे नियमित विद्यार्थी के रूप में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दे दी गयी थी कुमारी ज्योति को दिनांक 9-11-1969 से तकनीकी सहायक के पद पर अर्द्ध स्थायी घोषित कर दिया गया था और दिनांक 18-4-1970 को परिषद के अनुसंधान पक्ष पर वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर उनकी पदोन्नती हुई। उसके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर, उसे दिनांक 1-2-1972 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद '(अनुसंधान पक्ष) के नियमित कर्मचारी के रूप में वहाल कर दिया गया था और इस पद पर उसे स्थायी करने के मामले में कार्रवाई की जा रही है।

2. परिषद में नियुक्ति के समय, कुमारी ज्योति क्वार्टर नं० 563, सैक्टर, 4, रामकृष्ण-पुरम में रहती थी, जो उसके स्वर्गीय पिता को मिला था। इसके बाद परिषद ने सम्पदा निदे-शयाल को लिखा और उसे अनुकम्पा के आधार पर बिना पारी के वैकल्पिक सरकारी आवास दे दिया गया, जहां वह तब से रह रही थी।

3. कुमारी ज्योति ने नवम्बर, 1973 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवारत प्रत्याशी कनिष्ठ शिक्षावृत्ति परियोजना के अंतर्गत एम० एस० सी० की उपाधि प्राप्त करने की दृष्टि से उच्चतर अध्ययन के लिए कनिष्ठ शिक्षा-वृत्ति के लिए आवेदन किया। प्रत्याशियों के चयन के लिए गठित चयन समिति की बैठक में 5 जून, 1974 को अन्य प्रत्याशियों के साथ उसके आवेदन पत्र पर विचार किया गया और 21-6-1974 को उसके चयन को अनुमोदित कर दिया गया। उसे पौद-प्रजनन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए शिक्षा वृत्ति देने के लिए चुना गया था और परिषद के दिनांक 25-6-1974 के पत्र द्वारा उसे इसकी सूचना दे दी गयी थी। कुमारी ज्योति को दी गयी कनिष्ठ शिक्षा वृत्ति में शिक्षार्थी के पाठ्यक्रम में दाखिले की तिथि से दो वर्षों तक प्रति मास 300 रुपये का वजीफा देने की व्यवस्था है।

4. इसके बाद बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उप कुलपति डा० श्रीमाली से भारतीयकृषि अनुसंधान परिषद के महानिदशक, डा० एम० एस० स्वामिनाथन के निजी अनुरोध पर कुमारी ज्योति को विशेष स्थिति मे 17 फरवरी, 1975 को विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया क्योंकि वह शुद्ध विज्ञान की छात्रा थी और आमतौर पर उसे कृषि संकाए में दाखिला नहीं मिल सकता था। कुमारी ज्योति ने दिनांक 17 फरवरी, 1975 से दो वर्षों तक अध्ययन के लिए, दिनांक 12 फरवरी, 1975 को छुट्टी का आवेदन पत्र दिया था। सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पूरा करने के बाद, औपचारिक कार्यालय आदेश जारी होने के पहले ही उसे 17 फरवरी, 1975 से छुट्टी जाने की अनुमति दे दी गयी थी। उसके द्वारा किये गये इकरारनामें में कुछ मामूली त्रुटियां रह जाने के बावजूद, 3 मार्च, 1975 को कार्यलय आदेश जारी कर दिया गया था। 15 मार्च, 1975 को जब वह स्वयं कार्यालय में आयी तो उन त्रुटियों को ठीक किया गया।

5. कुमारी ज्योति ने विश्वविद्यालय को स्वीकृति पत्र जारी करने के लिये अपेक्षित अपना प्रवेश प्रमाण पत्र और अन्यं आवश्यक कागजात दिनांक 20 फरफरी, 1975 को परिषद को भेजे थे, इस मामले में वर्तमान नियमों के अनुसार कार्रवाई की गयी और जब वह दिनांक 15 मार्च, 1975 को स्वयं कार्यालय में आयी, तब उसे व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया गया था कि उसका मामला सम्बन्ध अधिकारियों द्वारासुलझा दिया गया है और विश्वविद्यालय को स्वीकृति पत्र जारी किया जा रहा है । चूंकि वजीफे की रकम का भुगतान विश्वविद्यालय के माध्यम से ही होता है, इसलिए स्वीकृति की सूचना सीधे विश्वविद्यालय को दी जाती है और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्ध विद्यार्थी को ।

6. उपरोक्त तथ्यों से यह साफ जाहिर है कि कुमारी ज्योति की परिषद में नियुक्ति की तिथि से प्रस्तूत दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तिथि तक उसके मामले में विलम्ब या उदासीनता नहीं दिखायी गयी उसे परेशान नहीं किया गया। परिषद के किसी भी अधिकारी को कुमारी ज्योति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्यालय सम्बन्धी या व्यक्तिगत कठिनाई की कभी भी कोई सूचना नहीं दी गयी ।

7. 17 मार्च, 1975 की सुबह को करीब 9.30 बजे कृषि भवन की पश्चिम की तरफ के प्रथम प्रांगण में कुमारी ज्योति अचेत अवस्था में पड़ी हुई पायी गयी थी। अवर सचिव (प्रशासन) श्री ओ० डी० गर्ग ने उसे तुरन्त विलिंगडन अस्पताल के दुर्घटना वार्ड में पहुंचाया, जहां उसका आपात उपचार किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश करीब 11.30 बजे दिन में उसकी मृत्यु हो गयी। अस्पताल पहुंचाने वाले अधिकारी या अस्पताल के किसी अन्य व्यक्ति को उसके पास से कोई कागज बरामद नहीं हुआ। पर, पांचवीं मंजिल पर स्थित कमरा न० 516 में उसकी कुछ व्यक्तिगत चीजें पड़ी हुई पायी गयी । इस कमरे को पुलिस के आने तक सील कर दिया गया था । कहा जाता है कि पुलिस ने वहां से तीन पत्र बरामद किये, जो उसके द्वारा छोड़े गये कहे जाते हैं । मामले की सूचना पुलिस को दे दी गयी है , जो इसकी जांच कर रही है ।

अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1975-76जारी

Demands for Grants (Railways)1975-76—contd.

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : I support the demands for Grants in respect of railways. The railways have not shown any sign of improvement in any sphere. Although during the last few years a huge amount has been spent on diesel and electric locomotives there has been no speeding up of the trains. Even to day if one travels from Dhanbad to Delhi it takes almost the same time which was taken about 20 years back. Then what has been the use of spending that money. This is a question which the Railway Minister should consider seriously.

Expansion of certain stations and platforms has been done. Some water tapes have been installed but Gaya, Howrah or Patna stations are full of filth which is very harmful to passengers.

Catering arrangements in the trains are also not good. All the rejected compartments are attached to Kalka Mail.

One main reason for the unsatisfactory functioning of the railways is that there is no accountability at the lower levels. As a member of the various committees connected with the railways he has occasion to visit various units and he finds that there is no accountability anywhere except at the Railway Board level. This is also something which the Railway Minister should seriously consider.

By the end of the fourth Plan our performance was to the tune of 185 million tons. We carried 19 million tons less.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट करता हूं यदि आप बोलना चाहते हैं तो बोलिये। यह निर्णय लिया गया था कि मन्त्री महोदय 2 बजे उत्तर देंगे। आपके मुख्य सचेतक द्वारा लिखे गये पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस दल के वक्ताओं को 5 मिनट से अधिक समय न दिया जाये। आप 15 मिनट ले चुके हैं। यदि सारा समय आप ही लेना चाहते हैं तो बोलते रहिये।

Shri Damodar Pandey : Whenever there was any cancellation of trains the Railway administration comes forward with one excuse or the other. The latest excuse was that coal is not available. This is something which does not convince us. When previously the loading of coal was only 7½ thousand wagons then there was no shortage of coal. Then how could there be any shortage now when the loading had gone upto 9,000 wagons ? Let the hon. Minister throw some light on it.

The late Shri L.N. Mishra had given an assurance that Hazaribagh would be connected by Railway line. The other day it was disclosed that survey for this line had been completed but there are no funds for taking up the work. I think if money is invested on this line you will get the returns quite early.

श्री जे० माता गौडर (नीलगिरी)* : उपाध्यक्ष महोदय, देश में 258 जोड़ी गाड़ियां कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी गई हैं। इनमें से 124 जोड़ी गाड़ियां दक्षिण रेलवे में रद्द की गई हैं। दक्षिण रेलवे के साथ यह भेद भाव क्यों। तमिलनाडु में सूखे और अकाल की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि वहां सारी गाड़ियां पुनः चलायी जायें।

नीलगिरी मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। यह मुख्य पर्यटन स्थल है। लेकिन मेलुपालयम से उटाकमंड तक की गाड़ी दो बार रद्द कर दी गई वह पहाड़ी क्षेत्र है और वहां के लोग गरीब हैं। पर्यटकों से उन्हें कुछ आमदनी होती है अतः गाड़ियां रद्द करने से इन गरीबों को बहुत नुकसान होता है। मैंने कई बार सभा में कहा है और श्री कुरेशी जी को भी लिखा है कि चूंकि नीलगिरी में टमाटरों का उत्पादन होता है अतः टमाटरों के यातायात के लिये वैगनों की कमी नहीं होनी चाहिये। पिछले तीन वर्षों से मैं स्वयं देख रहा हूं कि वैगनों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती।

*तामिल में दिए गये भा ण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Tamil.

इसी प्रकार मैंने यह भी अनुरोध किया था कि इस लाइन पर डीजल इंजन चलाये जायें। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि डीजल इंजन उपलब्ध होते ही इस लाइन पर व्यवस्था की जायेगी। अभी तक डीजल इंजन उपलब्ध ही नहीं हुए। नीलीगरी एक महत्वपूर्ण पर्यटनस्थल है, इस बात को नहीं भुलाया जाना चाहिये।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : In my constituency very mean politics has been started. They have started killing people. I shall not eloborate the point but I am pained to see this dirty politics. A mention has been made in the annual report of Indian Railways about the medical facilities in Railway Hospitals. Even if Government had to incur a large expenditure they should expand the medical facilities at Samastipur Railway Hospital. It was due to lack of medical facilities in that Hospital that late ShriL.N. Mishra had to be taken to a different place, which ultimately resulted in his death.

I have already requested the Railway Minister to open a Central Higher Secondary Railway school at Samastipur named after late ShriL.N. Mishra. In this Central school preference should be given to the Children of Central Government employees in the matter of admission. It will prove highly beneficial for the Central Government employees.

In regard to North Eastern Railway there was a mention of six schemes but it did not contain any rail link between Lakha Bazar and Lokha and also between Nirmali and Saraigarh.

Saharsa district was the birth place of Late Sh. L.N. Mishra and so a railway division of Saharsa can be formed as there is also a head quarter of Kosi Division.

The Late Shri L.N. Mishra had given an assurance to lay down railway lines in the backward and hilly area in the Country and had approved the proposal for Nangal-Talwara rail link in Himachal Pradesh. The Construction of this line should be immediately taken up and more attention should be paid to the development of backward and hilly areas.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं रेल मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि रेल कर्मचारियों ने उनके बजट भाषण और रेल कर्मचारियों के प्रति उनके रवैये की सराहना की है। मेरा अनुरोध है कि यदि कर्मचारियों को निचली अदालत में छोड़ दिया जाये तो आप मामले को उच्च न्यायालय में न ले जायें।

कलकत्ता भूमिगत रेलवे परियोजना सामान्य ज्ञान का दिवालियापन है क्योंकि 250 करोड़ रुपये जो अन्ततः 800 करोड़ रुपये हो जायेंगे, खर्च करने पर कलकत्ता की केवल 8% परिवहन की समस्या हल होगी। इसके अतिरिक्त कई अन्य समस्याएं भी खड़ी होंगी और अन्ततः वे उसे पूरा नहीं कर पायेंगे।

मेरा एक और अनुरोध यह है कि खड़गपुर–मद्रास लाइन को डिघा के साथ जोड़ा जाये। यह केवल 20–25 मील की बात है। डिघा का यातायात छः गुना बढ़ गया है। लेकिन बस सेवा बहुत खराब है। शरणार्थियों के आने से कलकत्ता की जनसंख्या दुगुनी हो गई है और जनता के लिये

पार्कों आदि की सुविधाएं न के बराबर हो गई हैं। कलकत्ता को डिघा से जोड़ने पर जनता पर बड़ा अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और यह आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक होगा क्योंकि वहां से प्रतिवर्ष 30 से 35 करोड़ रुपये का निर्यात होता है ।

श्री ए० एस० कस्तूरे (खामगांव) : महाराष्ट्र में खामगांव और जालना के बीच बड़ी रेल लाइन के निर्माण का एक प्रस्ताव था। इसका सर्वेक्षण 1912-13 में किया गया था। इस पर 1933-34 में काम शुरु हुआ जो 1939 तक चलता रहा। परन्तु अब सरकार कहती है कि यह संभव नहीं है। मेरा अनुरोध है कि रेल मन्त्री वहां कुछ विशेषज्ञों को भेजें और इस प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें।

अजन्ता और औरंगाबाद होकर जलगांव और शोलापुर के बीच नई रेल लाइन की आवश्यकता है। अजन्ता की गुफाओं के लिये अभी तक कोई रेल लाइन नहीं है जबकि एलौरा गुफाओं के लिये औरंगाबाद स्टेशन से काम चल जाता है। इन गुफाओं को देखने के लिये प्रतिवर्ष बहुत से पर्यटक आते हैं। इस लाइन के बनने से पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ जायेगी।

भुसावल और सूरत होकर नागपुर और अहमदाबाद के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलनी चाहिये ।

खंडवा-हिगोली मीटर गेज लाइन पर अमनवाड़ी और लोहागढ़ रेलवे स्टेशनों के बीच जमवासू में एक रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव था लेकिन 2-3 वर्ष के बाद भी अभी तक स्टेशन नहीं बना है।

एक अन्य प्रस्ताव यह है कि खामगांव से बम्बई के लिये 29 टाउन के साथ एक डिब्बा और लगाया जाये ।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Railway Board has been criticised by all and the railway administration finds itself helpless before it.

Since Independence stepmotherly treatment has been given to Rajasthan. No new railway line has been constructed there. Though Rajasthan abounded in rich natural resources, no fast moving train has been provided in Rajasthan. This will hamper the development of this State. It should also be treated a part of India.

It has been said that railway fares have not increased but the fact is that there is no scope for increasing railway fares. You are increasing the fares to make good the losses suffered by railways due to pilferage, theft and bad administration. This is not fair. You must improve the administration. There is need to decrease the fares.

Passengers should be given the necessary facilities and amenities. It is under compulsion that one travels in railways.

A railway train from Sikar to Loharu should be introduced again. This shuttle train used to be run before Independence.

Offices of Public Service Commission should be shifted to the places where there are Divisional Headquarters. The Divisional Headquarter of Western Railway should be shifted from Bombay to some other place.

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : हम दूसरी बार रेलवे से सम्बन्धित बातों पर विचार कर रहे हैं। ऐसी भावना व्याप्त है कि रेलवे देश की वास्तविकताओं से आंखें मूंदे हुए है और सदस्यों की मांगों पर उचित विचार नहीं होता। मैं सदस्यों को इस बात का अशवासन देता हूं कि उनकी सभी मागों और अभ्यावेदनों पर पूरा-पूरा विचार किया जाता है। रेलवे का विकास देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रख कर ही किया जाता है रेलवे के विकास और रेलवे लाइनों को बदलने पर पूरी तरह से आर्थिक क्षेत्र के विकास की दृष्टि से विचार किया जाता है। लेकिन यहविकास राज्य अथवा क्षेत्र के आधार पर नहीं किया जाता। इसलिये यह गलत धारणा है कि किसी राज्य के साथ पक्षपात किया गया है। यह सत्य है कि हम पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्हेंदेश के अन्य भागों के साथ लाना है। लेकिन हमने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। परन्तु यह बड़ी सीमा तक राज्य सरकारों के रवैये पर निर्भर है।

हम अकेले रेल सुविधाओं कि विकास नहीं कर सकते। समुद्री तथा अन्य साधनों के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है। उदाहरण के लिये हमें पश्चिमी तट से पूर्व क्षेत्र को नमक ले जाना पड़ता है। अब हमें यह देखना है कि क्या इसे समुद्र से, सड़क से अथवा गाड़ी से ले जाना सस्ता पड़ेगा। इसमें विभिन्न मन्त्रालयों और राज्यों में सहयोग की आवश्यकता है। स्वर्गीय, श्री मिश्र द्वारा दिये गये सभी आश्वासनों को पूरा किया जायेगा। रेलवे ने स्वयं कई पिछड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण शुरु कर दिया है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ही 7 स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है इन लाइनों की लम्बाई 3,420 कि० मी होगी जिन पर 700 करोड़ रुपया व्यय होगा। अतः सदस्य स्वयं समस्या को समझा सकते हैं पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये 500 करोड़ रुपया रखा गया है और लाइने विछाने पर ही 700 करोड़ रुपयां व्यय हो जायेगा। हम रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में देश विकास के आधारभूत ढांचे के विचार से सोचते हैं

अन्य महत्वपूर्ण बात है रेलवे के कार्यकरण में सुधार करना। इसमें दो राय नहीं कि देश में रेलों को मुख्य परिवहन साधन बनाने के लिये उपलब्ध डिब्बों आदि का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिये

रेलवे के कार्य में धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। वर्ष 1973-74 में रेलवे ने 1848.40 लाख टन माल की ढुलाई की 1625 लाख टन माल ऐसा था जिससे आय हुई।

1973-74 का वर्ष हमारे लिये कठिनाइयों का वर्ष था क्योंकि इस वर्ष हड़तालों, धीमे काम करो, घेराव आदि का बोलवाला रहा और रेलवे ही आक्रमण का लक्ष्य रहा। लेकिन हड़ताल समाप्त होते ही कार्य के सुधार को प्रयास आरम्भ हो गये। हमारे कर्मचारी इसके लिये बधाई के पात्र हैं।

हड़ताल समाप्ति के बाद रेलवे की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। जनवरी, 1975 में भारतीय रेलों ने राजस्व प्राप्त करने वाला 68.80 लाख टन माल गत वर्ष में इस अवधि की तुलना में अधिक ढोया। बड़ी लाइन पर वैगनों पर रिकर्ड लदान हुआ तथा फरवरी में यह और भी अधिक रहा, जो अगले महीने में बढ़कर 8912 वैगन प्रति दिन हो पायेगा।

यह पूछा गया है कि कोयले के लदान की स्थिति में इतना सुधार होने के बावजूद भी अभी इतनी गाड़ियां बन्द क्यों हैं, उन्हें चालू क्यों नहीं किया जाता। जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, हमारा अपना स्टाक भी बहुत कम हो गया है। ऐसी स्थिति में जब रेलवे के पास कोयले की कमी हो गई तो

उसके सामने दो ही विकल्प थे। एक तो यह कि वह अपना स्टाक पूरा करे अथवा अन्य उद्योगों को चालू रखे और उन्हें कोयला पहुंचाये। देश के हित में यह उचित समझा गया कि उद्योगों को प्राथमिकता दी जाये और इसके परिणामस्वरूप हमारा स्टाक प्रायः समाप्त हो गया है यहां तक कि हमारे पास कहीं कहीं एक या दो दिन के लिये ही कोयला रह गया और हमें एक हजार से भी अधिक गाड़ियां बन्द करनी पड़ी। इस समय केवल 200 या 231 गड़ियां बन्द हैं। कोयले की स्थिति सुधरने के साथ-साथ हम कुछ दिनों में सभी गाड़ियों को चालू कर देंगे।

कोयले की ढलाई अन्य राज्यों के कहने के अनुसार की। स्लैक कोयले की स्थिति में भी सुधार हुआ है तथा हम बड़ी मात्रा में विभिन्न राज्यों को इसकी ढुलाई कर रहे हैं।

यह सही है कि हम यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या की अवश्यताकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह वृद्धि प्रतिवर्ष 4-5 प्रतिशत होती है और हम उसके लिये डिब्बे प्राप्त करने में असफल रहे हैं। रेलवे की जितनी क्षमता है उसका पूरा उपयोग करने का हम प्रयत्न करते हैं तथा यात्रियों को वायदे के अनुसार सुविधायें दी जाती हैं। गाड़ियों के रखरखाव में कुछ कमी आयी है तथा इस सम्बन्ध में हमें कई शिकायतें भी मिली हैं। यह शिकायत निराधार नहीं है। इसके लिये निरन्तर सावधान एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है जिससे भारतीय रेलवे अच्छी हालत में रखी जा सके।

दुर्भाग्यवश रेलवे के साज-सामान की बड़ी मात्रा में चोरी होती है। ये हमारे अपने लोगों की सांठ-गांठ से होती है। यह एक गंभीर बात है तथा इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। कुछ विशेष क्षेत्रों में संगठित गिरोह तथा कुछ हमारे लोग इस कदाचार में लगे हुए हैं। इससे रेलवे को भारी हानि होती है। पिछले दो वर्षों में केवल एक डिवीजन में ही यह हानि 4 लाख रुपये से बढ़कर 16 लाख रुपये हो गई। इस हानि का रेलवे को मुआवज़ा देना पड़ता है। हम इस ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं परन्तु इसमें राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है।

इस समाज-विरोधी कार्य पर अकुश लगाने के तरीके सुनाने के लिये हमने एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। पुर्वी क्षेत्र बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लूटमार और चोरी की घटनायें अधिक होती हैं। विभिन्न स्तरों पर हमने यह अनुदेश जारी कर दिये हैं कि बारात ले जाने वाली सवारी गाड़ियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाये। लम्बी गाड़ियों तथा रात में चलने वाली गाड़ियों को भी पूरी सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित कोटा पूरा करने की दृष्टि से भर्ती करने हेतु विशेष कदम उठाये जा रहे हैं। मैं विश्व हाकी चैम्पियनशिप टूर्नामेंट में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों को बधाई देता हूं। इनके नाम हैं, सर्वश्री वीरेन्द्र सिंह, अशोक दीवान, फिलिप, किन्डू और सुरजीत सिंह। रेल प्रशासन ने इन सबको 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति इनाम देने का का निर्णय किया है। हम उन्हें पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि जैसी अन्य सुविधायें देने पर भी विचार कर रहे हैं।

हमने एक रूप में खान-पान व्यवस्था में परिवर्तन किया है। हमने निश्चय किया था कि उन सब ठेकेदारों के मामलों पर जिनके पास गत 6 से 10 वर्ष से ठेके हैं, प्रत्येक 6 वर्ष के बाद दुबारा

निरीक्षण किया जाये और नये सिरे से टेंडर बुलाये जायें। हमें पता चला है कि इससे बहुत सी कठिनाईयां आई हैं। इसलिये पुरानी प्रक्रिया फिर से चालू कर दी है। हमने निर्णय किया है कि जिन ठेकेदारों की सेवायें बिल्कुल संतोषजनक नहीं थी, मन्त्रालय द्वारा कभी भी उन सबके ठेके समाप्त कर दिये जायेंगे। लेकिन जिन ठेकेदारों की सेवा सन्तोषजनक रही हैं उनके ठेके चालू रखे जायेंगे।

हम अपने नवयुवकों को पुस्तकों के स्टाल देने के लिये तैयार हैं। लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई रुचि नहीं दिखाई है। हम पुनः विज्ञापन देने का प्रयास कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि क्या हम पुस्तकों के स्टाल देने हेतु अपने नवयुवकों को आकर्षित कर सकते हैं।

जहां तक लोक सेवा आयोगों की स्थापना करने का सम्बन्ध है, हम स्वर्गीय श्री मिश्रा जी द्वारा दी गये बचनों को पूरा करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर अधिक पिछड़े क्षेत्रों में लोक सेवा अयोगों की स्थापना करने का विचार अभी भी है। हम इस पर शीघ्र कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह काम नहीं चलेगा। हर बार एक मानीनय सदस्य खड़े होते हैं फिर मंत्री महोदय, फिर माननीय सदस्य, फिर मंत्री महोदय। क्या इस तरह सभा की कार्यवाही चल सकेगी ? मैं माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं तथा मंत्री महोदय अन्त में उन की बातों का उत्तर देंगे।

Shri K. M. Madhukar : (**Kesaria**) : Mr. Deputy Speaker, Sir, almost all the railway trains except two or three from Muzaffarpur to Narkatia have been cancelled and this is causing great hardship to the people going to Muzaffarpur Motihari and Batia, etc. I want to know the time by which these trains would be restarred. ?

A branch line should be opened from Hajipur to Sigauli via Lalganj, Vasali, Sheibganj, Kesaria and Araraj. This will help in the development of Gandak area.

Subsistence allowance has been paid by certain railways to those railway employees who have been reinstated after dismissal. But subsistence allowance has not been piad in N.E. Railway, Eastern Railway and S.E. Railway. The hon. Minister should clarify the point.

I want to know whether it does not amount to helping Jayaprakash Narain's movement as the employees affiliated to T.U.C. have been transferred after reinstatement, where has the persons affiliated to A.I.R.F. have been posted on the same stations on which they were working before dismissal in Samastipur Division.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : मैं माननीय मंत्री से भावनगर-तारापुर तथा कपाडवान-मुदासा रेल लाइनों के बारे में, जो कि अनेक वर्षों से अनिश्चित स्थिति में है जानना चाहता हूं। मैं अहमदाबाद स्थित पश्चिम रेलवे के मुख्यालय के बारे में भी मंत्री महोदय का उत्तर जानना चाहूंगा।

श्री एच० एम० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के उस आश्वासन का क्या हुआ कि सयालदह डिवीजन की समस्यओं की देखभाल के लिये एक विशेष प्रभाग खोला जायेगा ?

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : पिछली बार न्यूबोगइगांव से गौहाटी तक बड़ी रेल लाइन का विस्तार किये जाने का उल्लेख किया गया था। परन्तु इस बार बजट में इस की व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय को इस बारे में क्या कहना है ?

श्री के० गोपाल कशोर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारोर-डिंडीगुल-तूतीकोरिन लाइन को ग्रारम्भ किया जायेगा, यदि हां, तो कब तक ग्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री पी० जी० मावलंकर (ग्रहमदाबाद) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह स्पष्ट रुप से बतायें कि नई रेल लाइनों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि रद्द की गई गाड़ियों के विशेषतय गुजरात में सौराष्ट्र में जहां कि इन की संख्या 50 से 70 के बीच है कब तक पुन : चालू किया जायेगा ?

श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी (निज़ामाबाद) : कुछ समय पहले रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वचन दिया था कि दक्षिण एक्सप्रेस के रनिंगटाइम में कमी की जायेगी। परन्तु ग्रभी तक ऐसा नहीं किया गया है।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि बीबनगर-नाडिकुडे रेलवे लाइन को कब तक पूरा किया जायेगा ?

मैं मंत्री महोदय से ग्रनुरोध करता हूं कि मेरी दोनों बातों का उत्तर दें।

कई मानीय सदस्य खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सब माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं तो सभाकी कार्यवाही कैसे चलेगी ?

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि माननीय सदस्यों की जिन छोटी-मोटी बातों का उल्लेख वह ग्रपने भाषण में नहीं कर सके, उन के बारे में माननीय सदस्य उन्हें पत्र लिख दें तथा वह उन के पत्रों के उत्तर देंगे। माननीय सदस्यों को इस सुझाव से सहमत होना चाहिये मैं ग्रब हर सदस्य को प्रश्न पूछने की ग्रनुमति नहीं दे सकता। मैं ग्रब ग्रधिक से ग्रधिक छः सदस्यों को ग्रौर ग्रनुमति दूंगा, तीन तीन सत्ताधारी पक्ष से तथा विपक्ष से।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : महोदय, ग्राप की ग्रनुमति से मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों से ग्रनुरोध करता हूं कि वे ग्रपने प्रश्न लिख कर मेरे पास भेजें। मैं प्रत्येक का उत्तर दूंगा। इस तरह सभा में स्थानीय तथा व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है। **(व्यवधान)** ......

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा की कार्यवाही चलने दीजिए। यदि ग्राप शांत रहगे तो ग्रधिक ग्रच्छे ढंग से ग्रपने प्रश्न पूछ सकेंगे ग्रौर सभा की कार्यवाही भी ठीक ढंग से चल सकेगी। इस के ग्रतिरिक्त जो माननीय सदस्य प्रश्न न पूछ पायें, वे ग्रपने प्रश्न मंत्री महोदय को लिख कर भेज दें, वह उन का उत्तर देंगे। उन्होंने यह बहुत ग्रच्छी पेशकश की है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यदि माननीय मंत्री कटौती प्रस्तावों का उत्तर दिया होता तो मैं प्रश्न पुछने का इकरार न करता। परन्तु उन्हों ने कटौती प्रस्तावों का उत्तर नहीं दिया है। मेरा एक कटौती प्रस्ताव राष्ट्रीय राजपथों पर फाटकों से सम्बधित था। कम से कम ये फाटकें केन्द्र को अपने हाथ में लेना चाहिये। उपरि पुल भी उन्हें ही बताने चाहियें। इस बारे में राज्य सरकारों पर निर्भर करना वांछनीय नहीं है।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा) स्वतंत्रता से अब तक आन्ध्र प्रदेश में एक इंच रेल लाइन भी नहीं बिछाई गई है। दो वर्ष पूर्व नदीकुडे-बीबीनगर लाइन मंजूर की गई थी तथा प्रधान मंत्री द्वारा उस का उद्घाटन किया गया था। परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है चालू बजट में केवल 50 लाख का उपबन्ध किया गया है। जब निज़ाम रेलवे भारतीय रेलवे में शामिल की गई थी, तो उस में छ: करोड़ रुपये की बचत भी। यह बचन दिया गया था कि यह राशि हैदराबाद में लगाई गई थी। परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है।

Dr. Laxminarain Pandeya (Nandsaur) : No doubt the hon. Minister has replied the numerous points raised by hon. members but he has made no reference about the steps to be taken to eradicate the wide spread Corruption in the matter of reservation. He should explain the position in this regard.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि हुबली-करबर लाइन का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा ?

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : त्रिपुरा को बंगला देश के साथ जोड़े जाने के बारे मे सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि यह परियोजना किस चरण में है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : रानीगंज डिवीजन का प्रस्ताव लगभग दस वर्ष से लम्बित है। मैं जानना चाहता हूं कि कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के यातायात का कुछ भाग सड़क परिवहन को सौंपा जा रहा है जो कि राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाये।

श्री था० तिरुतिनन (शिवगंज) : कुल जितनी गाड़ियां स्थगित की गई हैं उन में से 50 प्रतिशत दक्षिण रेलवे में हैं। इन रद्द गाड़ियों के बारे में क्या स्थिति है माननीय मंत्री स्पष्टीकरण दें।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I think you have adopted a wrong policy. You have allowed three Members from the same party. It is quite discriminatory policy. I oppose it.

उपाध्यक्ष महोदय : आप का आरोप निराधार है। मैंने श्री मधुकर को अवसर दिया है। श्री दीनेन भट्टाचार्य तथा डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय को अवसर दिया है। श्री बी० वी० नायक को मौका दिया है तथा माननीय सदस्य को अवसर दिया है। श्री गोस्वामी को अवसर दिया है। इस प्रकार छ० सदस्यों को अवसर दिया है। क्या ये सब एक ही पार्टी के हैं। क्या श्री मधुकर आप की पार्टी के नहीं हैं? क्या श्री मुकर्जी जिन्हें मौका दिया गया है आप की पार्टी के नहीं हैं? आप इस प्रकार की बातें न कहिये कृपया बैठ जाइये। में तर्क-वितर्क में नहीं पड़ना चाहता। माननीय मंत्री।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : महोदय, सर्व प्रथम मैं निचले पुलों रेलवे फाटकों तथा उपरि पुलों सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में उत्तर दूंगा।

यह बात सभा में कई बार स्पष्ट की गई है कि जब भी कोई राज्य सरकार रेलवे से उपरि पुल अथवा निचला पुल बनाने का अनुरोध करती है, तो सभान्यतया रेलवे द्वारा उसे पचास प्रतिशत खर्चा वहन करने को कहा जाता है। इस बात को सही दृष्टिकोण से समझना होगा। रेलवे के पास जो सुरक्षा निधि है, उस की कुल राशि इस समय 10-12 करोड़ रुपये है। इस में हर राज्य का हिस्सा है। यह राशि रेलवे द्वारा एकत्र की गई है, अपितु राज्य सरकारों के पास है। प्रत्येक राज्य को जो पुलों के लिये 50 प्रतिशत खर्चा करना पड़ता है, वह अपने पास से नहीं अपितु इस कोष से दिया जाता है। इस प्रकार वस्तुतः खर्च रेलवे द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकारों ने या तो इस बात को समझा नहीं है अथवा उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके पास यह धन उपलब्ध नहीं है। अतः यदि कोई माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा राज्य में पुल बनाना चाहे तो उसे राज्य सरकार को कहना चाहिये कि वह रेलवे मंत्रालय को इस बारे में लिखे, ताकि इस दिशा में कार्य आरम्भ किया जा सके।

जहां तक रिजर्वेशन का सम्बन्ध है सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने आपनी सिफारिशें दे दी हैं तथा सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। आशा की जाती है कि उन सिफारिशों के क्रियान्वित किये जाने से रिजर्वेशन में भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा।

जहां तक भावनगर-तारापुल लाइन का सम्बन्ध है, यह लाइन 141 किलो मिटर लम्बी है तथा इस पर 12.5 करोड़ रुपये खर्च आना है। सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्माण कार्य पर विचार किया जायेगा।

प्रो० मुकर्जी ने सियालदह डिविजन में प्रभाग बनाने की बात कही थी। इस विचार को छोड़ा नहीं गया है तथा एक छोटा प्रभाग बनाने में हमें कोई आपति नहीं है।

जहां तक बोंगाई गांव गोहाटी लाइन का सम्बन्ध है हम ने उस पर कार्य आरम्भ कर दिया है और इस वर्ष इस पर एक करोड़ रुपया खर्च किये जाने की अनुमति दी दे गई है।

श्री गोस्वामी ने कहा था कि हम सड़क परिवहन के समक्ष आत्म सर्मपण कर रहें हैं। यह आत्म समर्पण का प्रश्न नहीं है। यह दोनों में समन्वय और सहयोग की बात है।

श्री हाल्दर न सिगंल और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों का प्रश्न उठाया था। कर्मचारियों तथा रेल मंत्रालय के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। दूर संचार कर्मचारियों द्वारा कुछ सुझाव दिये गये थे तथा उन सुझावों पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक कि कोई माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव को अलग से पेश किये जाने का इकरार नहीं करता, मैं सारे कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 59, 21 तथा 266 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Cut Motion No. 59, 21 and 266 were put and negatived.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 275 का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब कटौती प्रस्ताव संख्या 275 पेश ही नहीं किया गया तो उसे मतदान के लिये कैसे रखा जा सकता है । आप ने हमें जो पत्र लिखा है उस में कहा है कि मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 340, 335, 336, 341, 687 688, 689 690, 794, 795, 796, 797 और 799 पेश करना चाहता हूं । बताइए कटौती प्रस्ताव संख्या 275 कहां है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह मेरा दुर्भाग्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में शेष सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अन्य कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All other Cut-Motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मंत्रालय की वर्ष 1975-76 के लिये निम्नलिखित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं

The following demands for Grants in respect of Ministry of Railways were put and adopted

मांग. संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	2,26,90,000
2	विविध व्यय	10,11,63,000
3	चालित और दूसरी लाइनों को भुगतान	19,44,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन	137,86,69,000
5	संचालन-व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	513,83,41,000
6	संचालन-व्यय—परिचालन कर्मचारी	292,34,01,000
7	संचालन-व्यय—परिचालन (ईंधन)	247,15,26,000
8	संचालन-व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर)	78,55,31,000
9	संचालन-व्यय—विविध व्यय	51,72,59,000
10	संचालन-व्यय—कर्मचारी कल्याण	46,94,72,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
11	संचालन-व्यय—मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	115,00,00,000
11क	संचालन-व्यय—पेंशन निधि में विनियोग	17,00,00,000
12	सामान्यराजस्व को लाभांश और यात्री किराया कर के बदले राज्यों को अनुदान के लिये अंशदान	197,88,49,000
13	चालू लाइन निर्माण (राजस्व)	750,29,000
14	नई लाइनों का निर्माण पूंजी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि	47,10,55,000
15	चालू लाइन निर्माणपूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	869,65,54,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	18,07,29,000
17	सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उसके व्याज की अदायगी——विकास निधि	6,77,02,000
18	विकास निधि में विनियोग	18,00,00,000
19	राजस्व आरक्षित निधि में विनियोग	5,02,79,000
20	अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिये भुगतान——सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उसके व्याज की आदयगी——राजस्व आरक्षित निधि	109,23,77,000
21	दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	7,53,20,000
22	दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि	2,11,62,000

विनियोग (रेल) विधेयक, 1975

Appropriation (Railways) Bill, 1975

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1975-76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1975-76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1975-76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जायें"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

"कि रलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1975-76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जब माननीय सदस्य विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था । इस प्रकार पत्र नहीं भेजे जाने चाहिये । पत्र किसी मद के आरम्भ होने से कम से कम पांच मिनट पहले भेजे जाने चाहिये न कि ऐन समय पर ।

सर्व श्री सोखी और डी० एन० निवारी ने विनियोग विधेयक पर बोलने की अनुमति दिये जाने के लिये कहा है । मैं उन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि उन नियम के अनुसार यह उल्लेख करना चाहिये था कि वे किन बातों के बारे में बोलना चाहते हैं तथा वे बातें वहीं नहीं होनी चाहिये जिन का माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान उल्लेख किया हो । परन्तु उन्हों ने अपने पत्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है । हमारे पास पहले ही समय की कमी है ।

श्री डी० एन० तिवारी : मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह समय का प्रश्न नहीं है, अपितु प्रक्रिया का प्रश्न है । प्रक्रिया की ओर ध्यान दिलाना मेरा कर्तव्य है । फिर भी विशेष मामले के रुप में मैं आप को बोलने की अनुमति देता हूं ।

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : Mr. Speaker I heard the Minister carefully. I am not making any demand for any new railway line or for providing more facilities I want to draw your attention to the mismanagement prevailing in Samastipur Division. The trains are running hours together. Firstly this area is backward and secondly there is mismanagement. Therefore I want that Office of the Deputy Divisional Superintendent should be set up there. Late Shri Lalit Narain Mishra had assured us that this will be done, but nothing has been done. This demand should be considered carefully.

My second point is regarding catering. Circulars are issued to remove some persons and to appoint others. We want that those whose catering is satisfactory, they should be allowed continue but whose catering arrangements are not satisfactory, they should necessarily be removed.

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Quereshi) : We also want that the present condition of mismanagement in Samastipur Division should be improved. Our first try is to improve the working in Samastipur with the existing staff. but if there is no improvement then it may be considered.

So far as catering is concerned, our policy in this regard is this that those who are working satisfactory, they will not be removed. If you bring any case of injustice against any body in our notice, we would certainly look into it.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिए भारत सरकार की संचित निधि में से रेलवे प्रयोजनों के लिए कतिपय राशियों के सदाय और विनियोग को प्राधिकृत करनें वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, आधिनियमित पत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक अंश है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2, तथा 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमित सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये -

Clauses 2 and 3, the schedule, clause 1 the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये "

सभापित महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1974-75 तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1972-73

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1974-75 AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS) 1972-73

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इन मांगों पर विचार करेंगे।

श्री सेझियान व्यवस्था के कुछ प्रश्न तथा कुछ अनियमतताओं को उठाना चाहते हैं।

श्री इशा सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि अब भी सरकार अनुदानों के लिए सभा के पास पहुंचती है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 113(3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति से सिफारिश प्राप्त करनी होती है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना सभा में कोई भी मांग पेश नहीं की जा सकती। हाउस आफ कामन्स में यह अधिकार राजा को होता है और यहां राष्ट्रपति को है।

अनुपूरक अनुदानें तथा अतिरिक्त अनुदानें संविधान के अनुच्छेद 115 के अन्तर्गत आती हैं। ये अनुदानें दो परिस्थितियों में उठायी जा सकती हैं। पहली परिस्थिति वह, जब मूल बजट में दी गई राशियां समूचे वर्ष के लिए अपर्याप्त हो जायें और दूसरी स्थिति वह, जब कोई नई सेवा खोली जाये, जिसके बारे में मूल बजट में कल्पना भी न की गई हो। चाहे एक ही रुपये की आवश्यकता हो उसके लिए सभा को अनुमति मांगनी होगी।

अब यह देखा जाये कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए मांगी गई धनराशि से व्यय अधिक हो गया है तो उस अधिक व्यय को पूरा करने के लिए सभा में अातिरिक्त मांगें पेश की जाती हैं।

यदि एक बार विवरण पेश कर दिया जाये तो फिर प्रस्ताव पेश करना होता है, मांगें स्वीकृत करनी होती हैं और विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है। विनियोग विधेयक पारित करने के ही पश्चात भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है।

रेलवे की वर्ष 1972-73 की अातिरिक्त अनुदानों की मांगों के लिए संविधान के अनुच्छेद 113(3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी आवश्यक है और ऐसा किया भी गया है किन्तु अनुपुरक मांगों के लिऐ उन्होने राष्ट्रपति की सिफारिश अनुच्छेद 115 (1) (क) की बजाय अनुच्छेद 115(2) के अन्तर्गत प्राप्त की है। मेरा कहना यह है कि राष्ट्रपति की अनुमति अनुच्छेद 115 (1)(क) के अन्तर्गत की जानी चाहिए थी किन्तु आपने ऐसा नहीं किया और इस प्रकार संबैधानिक सिद्धान्त का पालन नहीं किया है। अत : चूंकी अनुदानों की अनुपुरक मांगों को पेश करते हुए संबैधानिक सिद्धांन्तों का पालन नहीं किया गया है, अत : हम इन पर विचार नहीं कर सकते।

गत वर्ष भी हमने ऐसा ही किया था। किन्तु यह कोई बहाना नहीं होना चाहिए। यदि गत वर्षों में गलती से ऐसा हो गया तो यह कोई बहाना नहीं है।

अब में दूसरी बात पेश करता हूं। 1974-75 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के विवरण में अनुदानों की अनुपूरक मांगों में 57.76 लाख रुपये की राशि "चार्जेड" शीर्ष के अन्तर्गत दिखाई ई है। इस सम्बन्ध में मैंने रेल मंत्रालय को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने इस राशि से सम्बन्धित बातों

के बारे में पूछा है। उन्होंने कहा कि यह राशि न्यायालय की डिक्रियों के लिए है। यह "चार्जड" मद्द है न कि "वोटड"। चाहे कोई भी मद्द हो, उसे विनियोग विधेयक में सम्मिलित करना होता है। तभी भारत की संचित निधि से वह धनराशि निकाली जा सकती है।

यदि 57.76 लाख रुपये की इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो मैं जानना चाहता कि क्या इस पर व्याज भी लगेगा ?

मुझे खेद है कि इस बारे में मुझे मंत्री जी से कोई उत्तर नहीं मिला।

मेरी तीसरी बात अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 9 के बारे में है। वह अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत 8.68 करोड़ रुपये की राशि मांगी गई है। इसके लिए मद्दे दिखाई गई हैं। 37.99 लाख रुपये निष्ठावान कर्मचारियों को पारितोषिक देने के लिए और 113.86 लाख रुपये की राशि रेलवे हड़ताल के दौरान हुए व्यय के लिए।

यह ठीक है कि 1974-75 के बजट में इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी और यह भी पता नहीं था कि हड़ताल आदि होगी। अब यह राशि व्यय की जा चूकी है। मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि अनुपूरक मांगे दी जाने वाली राशियों के लिए होनी है। आप पहले खर्च करके फिर अनुपूरक मांगें लेकर नहीं आ सकते। माना कि 10 लाख रुपये का अन्नुदान मिलता और वह राशि व्यय हो जाती है। अब उससे एक भी अधिक पैसा सभा की अनुमति के बिना व्यय नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि यह धनराशि सभा की स्वीकृति के बिना व्यय की गई है।

ये दोनों धन राशियां मूल बजट में नहीं थी अत : इन्हें "नई सेवाएं" कहा जाना चाहिए। अत: इस तरह की मद्दों को अनुपूरक मांगों में नहीं रखा जा सकता। मैं चाहता हूं कि इन तीन बातों को स्पष्ठ किया जाये। जब तक ये बातें स्पष्ठ नहीं हो जाती तब तक हम अनुपुरक मांगें पर विचार नहीं कर सकते।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसरार्य) : अनुच्छेद 115 में कहा गया है कि इस तरह का विवरण राष्ट्रपति द्वारा दोनों सभाओं के सभा पटलों पर रखा जायेगा। जब राष्ट्रपति इन विवरणों को पेश करवा रहा है तो फिर इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी है।

दूसरे अनुच्छेद 115(2) में उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 112, 113 तथा 114 के उपबन्धों का प्रभाव होगा। इससे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति ले ली गई है। और इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण सही है।

रेल मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : माननीय सदस्य द्वारा कही गई वात सही है। हमने संविधान के अनुच्छेद 115(1) के साथ पठित अनुच्छेद 113(3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति ले ली है। उनको यही आपत्ति थी। उन्होंन एक बात न्यायालय के आदशों के बारे म कही है। वह उन तारीखों को जानना चाहते हैं जब विभिन्न न्यायालयों ने न्यायाल्य के आदेश दिए हैं। इस बारे में जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को दे दी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुपूरक मांगों की मांग संख्या 9 में दो मद्दों के अधीन 37.99 लाख रुपये तथा 113.86 लाख रुपये की धनराशि मांगी गई है। निष्ठावान कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान कठिन परिश्रम करने के उपलक्ष में पुरस्कार तथा प्रोत्साहन के लिए 37.99 लाख रुपये मांगा गया है। दूसरे, हड़ताल के दौरान हुए व्यय के लिये 113.86 लाख रुपये की मांग की गई है। माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या यह धनराशि व्यय कर ली गई है ? यहां "इन्कर्ड" शब्द से ऐसा ही लगता है कि यह धनराशि पहले ही व्यय की जा चुकी है। उनका प्रश्न है कि क्या इस वर्ष के बजट में ऐसी सेवा के लिए कोई व्यवस्था है ? मेरा विचार है कि इस वर्ष हमारा एक ही बजट था।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हमने अनुपूरक बजट भी पेश किया था। किन्तु उसमें कितनी धनराशि मांगी थी, वह मुझे याद नहीं है। बाकी संवैधानिक बातों का मैंने स्पष्ट उत्तर दे दिया है उन्होंने कोर्ट डिक्रियों पर हुए व्यय के बारे में पूछा है। जिसके बारे में जानकारी बाद में दे दी जायेगी। अल्प सूचनाओं के विस्तृत उत्तर देने संभव नहीं हैं। उन्होंने अभी अभी कई बातें उठायी हैं। यदि मुझे पहले ये सूचना दी जाती तो मैं सम्भवतः सारी जानकारी दे देता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेझियान ने तीन बातें उठायी हैं। पहली बात यह कि क्या अनुपूरक मांगे सभा में पेश की जा सकती हैं इसक बारे में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना इस तरह की कोई मांग सभा में पेश नहीं की जा सकती। किन्तु इस बारे में राष्ट्रपति की अनुमति ले ली गई है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जो बात मैंने कही है उसे नजरान्दाज कर दिया गया है। अनुच्छेद 115 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इस तरह का विवरण पेश कराया जायेगा। जब यहां "कार्यकारिणी" का अर्थ "राष्ट्रपति" हो सकता है तो अनुच्छेद 113(3) में भी इसका यही अर्थ हो सकता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : अनुच्छेद 115 स्पष्ट है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 115(ख) के अन्तर्गत एक और विवरण देना होता है नहीं तो अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत नहीं हो सकते। स्थिति ऐसी आ गई है जबकि आपको अपना विनिर्णय देना होगा जो कि संतोषजनक हो।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुज) : प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रपति की अनुमति ले ली गई है अथवा नहीं ? और क्या संवैधानिक उपबन्धों का निवर्हन किया गया है। यदि उत्तर नहीं में है तो मन्त्री महोदय को इन मांगों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि सरकार संतोषजनक उत्तर दे सकती है कि राष्ट्रपति की सिफारिश ले ली गई है तो फिर आपत्ति दूर हो सकती है।

उनका कहना है कि अनुच्छेद 113 (iii) के साथ पठित अनुच्छेद 115 (ii) के अन्तर्गत सिफारिश ली जानी है। अनुपूरक तथा अतिरिक्त मांगों के लिए अनुच्छेद 113(iii) को अनुच्छेद 115 (ii) ही लागू योग्य बनाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट कर लिया गया है और सरकार ने सिफारिश प्राप्त कर ली है अतः मांगों को पेश करने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती।

श्री विक्रममहाजन (कांगड़ा) : कहा गया है कि अनुच्छेद 115 (i) के अन्तर्गत सिफारिश ली जानी चाहिये थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि आप आगे कहें मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अनुच्छेद 115(2) के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है ?

श्री विक्रम महाजन : प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 115(2) के अन्तर्गत पेश किया गया यह विवरण क्या भिन्न है या नहीं है । अनुच्छेद 115(1) का सम्बन्ध प्रक्रिया सम्बन्धी अंश से है । प्रक्रिया यह है कि राष्ट्रपति से सिफारिश प्राप्त करनी होती है ।

यदि आपने सिफारिश प्राप्त कर ली है तो इसकी कोई बात नहीं कि आपने किस अनुच्छेद के अन्तर्गत यह सिफारिश प्राप्त की है । प्रक्रिया के अनुसार यदि सिफारिश ले ली गई है तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि किस अनुच्छेद के अन्तर्गत सिफारिश ली गई है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : एक सिफारिश में अनुच्छेद 115(1) (ख) का उल्लेख किया गया है और दूसरी में अनुच्छेद 115(1) (क) का उल्लेख नहीं किया गया है । श्री सेझियान का कहना है कि संवैधानिक उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है । अतः हमें विचार करना है कि क्या प्रत्येक विवरण में इन अनुच्छेदों का उल्लेख करना आवश्यक है या नहीं ।

कुछ समय के लिये हम अनुच्छेद 115(2) को छोड़ दें और उसके परिणाम देखें । दो वक्तव्यों के सभा पटल पर रख दिये जाने से अनुच्छद 115(1) (क) और (ख) का पालन हो जाता है ।

अनुच्छेद 115(2) के अनुसार मात्रवक्तव्यों के सभा पटल पर रखे जाने से कार्य नहीं चलेगा अपितु अनुच्छेद 112–114 की प्रक्रिया का पालन करना होता है ।

यह कहना ठीक नहीं है कि डिग्री की राशि में में ब्याज का अंश सम्मिलित नहीं होता क्योंकि जब न्यायाधीश डिग्री जारी करता है तब वह डिग्री में यह भी व्यवस्थित करता है कि रेलवे ब्याज की राशि भी दे ।

यहां तक हड़ताल का प्रश्न है यह हो सकता है कि आपको कर्मचारियों पर अधिक व्यय करना पड़े जितना कि हड़ताल पूर्व किया जाता था ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वास्तव में अनुच्छेद 113(3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं होती । अनुच्छेद 115(1) (क) और (ख) में केवल कार्य पलिका के कार्यकलापों का उल्लेख है । राष्ट्रपति की सिफारिश अनुच्छेद 113(3) के अन्तर्गत प्राप्त की गई थी अतः यह उचित रूप में प्राप्त की गई है । यदि यह पता चलता है कि अधिक धन व्यय हुआ है तो उसे संसद के समक्ष रखा जायेगा । परन्तु ऐसा करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश अवाश्यक है ।

श्री सेझियान : हमें यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अनुच्छेद 113(3) में वक्तव्य का उल्लेख नहीं है । इसमें केवल अनुदान की बात कही गई है ।

राष्ट्रपित की सिफारिश प्राप्त कर ली गई है । किसी को इस पर आपत्ति नहीं है । यहां राष्ट्रपति का अभिप्राय सरकार से है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यहां राष्ट्रपति का अभिप्राय राष्ट्रपति से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान के अनसार राष्ट्रपति सरकार के परामर्श पर ही कार्य करता है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हमने विवरण राष्ट्रपति को भेज दिया। उन्होंने उसे देख कर हस्ताक्षर कर दिये हैं। राष्ट्रपति अपनी सिफारिशें देते हैं। यदि कार्यकारिणी उस सीमा से आगे बढ़ जाती है तो अतिरिक्त मांगों के लिए राष्ट्रपति की सिफारिशें संसद को जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके कथन से यही सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति सरकार के परामर्श पर ही कार्य करता है।

अनुच्छेद 113 में व्यवस्था है कि अनुदानों की कोई मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जायेगी। अनुच्छेद 115(1) विशेष रूप से अनुपूरक मांगों का उल्लेख है जब किसी नई मद के लिये धन की आवश्यकता होती है तब राष्ट्रपति उनका अनुमानित व्ययों की विवरणी सदनों में रखवाता है।

यह 'सामान्य विवरण नहीं है' 'अन्य विवरण' है।

श्री विक्रम महाजान (कांगड़ा) : विवरण सभा में बजट के साथ रखा जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात अनियमित रूप से की गई है तो उसे सही किया जा सकता है। यह सभा का कार्य है।

हमने अनुच्छेद 115(2) की चर्चा की है। श्री श्याम नन्दन मिश्र का मत भिन्न है मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 112, 113 और 114 ऐसे विवरणों पर लागू होगें। अनुच्छेद 115(1)(क) का सम्बन्ध अनुपूरक मांगों से तथा अनुच्छेद 115(1)(ख) का सम्बन्ध अतिरिक्त मांगों से है।

श्री सेझियान का मत है कि अनुपूरक मांगों का सम्बन्ध 113(3) और 115(1) (क) के अन्तर्गत होना चाहिये और ऐसा नहीं किया गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुज़ा) : अनुच्छेद 113(3), अनुच्छेद 115(2) के सरल विवरण रखने के लिये नहीं है अपितु राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के लिये हैं। विवरण रखा जा चुका है।

विवरण के रखे जाने एवं सिफारिश के प्राप्त करने में अन्तर है। सिफारिश अनुच्छेद 113(2) और 115(2) के अधीन प्राप्त की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : धन सम्बन्धी विवरणों के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता है।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : इस मामले में एक तो विवरण के रखे जाने और दूसरे राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने की बात है। अभी आप सामान्य उपबन्ध एवं विशेष उपबन्ध की चर्चा कर रहे थे। दोनों में भेद होने की दशा में विशेष उपबन्ध प्रभावी रहता है। इस मामले में राष्ट्रपति की सिफारिश भी प्राप्त कर ली गई है तथा विवरण सभा में रखा भी जा चुका है। अतएव सांविधानिक व्यवस्थाओं का अनुपालन हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सारे संसार में कार्यकारिणी सरलता पूर्वक मनमाने ढंग से कार्य करना चहती है अतएव यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपेक्षित सतकर्ता बरतें। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय भी मुझसे सहमत होंगे।

श्री सेझियान ने दो व्यवस्था के प्रश्न उठाये हैं। एक तो 57 76, 00 रुपये की प्रभारित मांग के बारे में और दूसरे मांग संख्या 3 के बारे में ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अतिरिक्त मांग अनुपूरक मांग से भिन्न है । अनुपूरक मांगें कोई नई चीज नहीं हैं। अतिरिक्त मांगें अनपूरक मांगों से भिन्न हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने पहले से किसी अदायगी की व्यवस्था की है परन्तु आप पाते हैं कि उपबन्धित राशि अपर्याप्त है तब आप नई मांग करते हैं इसमें कोई बात गलत नहीं है।

श्री सेझियान : आप कह चुके हैं कि विवरण रखा जा चुका है। विवरणों को सभा पटल पर रखे जाने के बाद ही परिचालित किया जाता है। क्योंकि मुझे इसकी सूचना अभी अभी मिली है अतएव मैं आपनी आपत्ति रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर नियम समिति ध्यान देगी। (**व्यवधान**)

वस्तुस्थिति यह है कि इस सभा पटल पर रखा जा चुका है। यदि इसमें कोई अनियमितता है तो सभा इस पर विचार कर सकती है। भारित व्ययों के बारे में अदायगी न्यायालय की डिग्री के अनुसार की गई है अतएव उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

यदि मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि इसके लिए व्यवस्था सितम्बर बजट में की गई थी तथा धन अपर्याप्त रहने के कारण अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है तो इसमें कोई अनियमितता नहीं है ।

रेलवे मंत्रालय की वर्ष 1974-75 की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	7,97,000
4	संचालन व्यय–प्रशासन	78,08,000
8	संचालन व्यय–परिचालन कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर	6,77,46,000
9	संचालन व्यय–विविध व्यय	8,68,03,000
12	सामान्य राजस्व को लाभांश और यात्री किराया कर के बदले राज्यों को अनुदान के लिये अंशदान	23,44,12,000
15	चालू निर्माणलाइन—पूंजी मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	1,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	4,99,85,000
20	अति पूंजीकरण के परिशोधन के लिये भुगतान—सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उसके ब्याज की अदायगी—राजस्व आरक्षित निधि	49,86,000

रेलवे मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
5	संचालन व्यय–मरम्मत और अनुरक्षण	89,01,866
10	संचालन व्यय–कर्मचारी कल्याण	10,81,574
13	चालू लाइन निर्माण––राजस्व	7,79,949
15	चालू लाइन निर्माण––पूंजी, मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	9,23,69,570

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) : बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि रेलवे प्रशासन को कुशलता से चलाने के लिये रेलवे बोर्ड को समाप्त किया जाना आवश्यक है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुये

Shri Dinesh Chandra Goswami in the chair

सरकार के बहुत से भव्य मन्त्रालय ऐसे बोर्ड के बिना कार्य कर रहे हैं । फिर रेल मन्त्रालय में बोर्ड के बनाये रखने की क्या आवश्यकता है ? क्या मन्त्री महोदय कम से कम रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम करने पर विचार करेंगे ?

रेलवे प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिये कर्मचारियों और प्रशासन के सम्बन्धों में सुधार होना चहिये । परन्तु दक्षिण पूर्व रेलवे में हड़ताल के तुरन्त बाद अनुशासन हीनता के दोषी ठहरा कर नौकरी से निकाल दिये गये । औद्योगिक सम्बन्धों को अच्छा बनाने के प्रति यह सही रवैया नहीं है । निकाले गये सभी कर्मचारी 10–15 वर्ष से निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे थे । वे अपने संवैधानिक अधिकार के लिये संघर्ष कर रहे थे ; परन्तु उन्हें नौकरी से पृथक कर दिया गया ।

अतः रेलवे बोर्ड के इस प्रकार के रवैये से सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं होगा और रेलवे का कार्य सुचारु रूप से नहीं चलेगा ।

रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए माल डिब्बों की उपलब्धि में सुधार होना नितान्त आवश्यक है । यदि इसमें सुधार हो जाये तो अधिक भाड़ा प्राप्त किया जा सकता है । हावड़ा आदि बड़े रेलवे स्टेशनों पर हमने देखा है कि बड़े बड़े व्यापारी माल डिब्बों को खाली नहीं करते और उनका उपयोग गोदामों के रूप में करते हैं । और वे विलम्ब शुल्क देना पसन्द करते हैं । अतः रेलवे को माल डिब्बों को खाली करवाने की अवधि कम कर देनी चाहिए । यदि निश्चित अवधि के अन्दर माल डिब्बों से माल नहीं उतारा जाता तो वह माल जब्त कर लिया जाना चाहिये । इससे माल डिब्बे जल्दी-जल्दी खाली होंगे जिसके फलस्वरूप अधिक माल डिब्बे उपलब्ध हो सकेंगे ।

*बँगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर

Summarised translated version of English translation based on the speech elivered in Bengali.

अहमदपुर-कटवा और बर्दवान-कटवा छोटी लाइन पर डीजल गाड़ियां चलायी जायें। इस लाइन पर किराये घटाये जायें और सुव्यवस्थित किए जायें। इस लाइन के किराये अन्य लाइनों के किरायों के समान होने चाहिएं।

बांकुरा–दामोदर लाइन आदि छोटी लाइन भी है जो नयना और बांकुरा के बीच है। यह लाइन पिछड़े क्षेत्र से गुजरती है। इस लाइन का सुधार करके यहां डीजल गाड़ियां चलाई जायें। 81 अप, 103 अप और 82 डाउन लम्बी गाड़ियां भी दुर्गापुर स्टेशन पर रुकनी चाहिएं। बर्दवान-आसनसोल को उपनगरीय सेक्शन घोषित किया जाये। लोगों की मांग है कि वहां गाड़ियों की संख्या बढाई जाये। स्वर्गीय रेल मन्त्री श्री ललित नारायण मिश्र ने हमें बर्दवान और आसनसोल के बीच तेल गाड़ी चलाये जाने का आश्वासन दिया था। किन्तु वह आश्वासन पूरा नहीं किया गया है।

नई दिल्ली और मद्रास के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाये। इस समय यह हावड़ा नई दिल्ली और बम्बई-नई दिल्ली के बीच चलायी जा रही है। तमिलनाडु के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। रेलवे की वित्तीय स्थिति को सुधारने तथा उसके समुचित कार्यकरण के लिए प्रशासन तथा श्रमिकों के सम्बन्ध में सुधार किया जाना चाहिये। रेलवे में व्याप्त कदाचारों को दूर किया जाना चाहिए।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैंने रेल मन्त्री का ध्यान नैमितिक मजदूरों सम्बन्धी रेलवे प्रशासन की नीति की ओर दिलाया था। इस सम्बन्ध में खुर्दा रोड डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों के डिवीजनल सेक्रेट्री ने लिखा है कि कटक-पारादीप रेलवे लाइन के निर्माण में 7 से 12 वर्ष तक लगातार काम करने के बाद नैमितिक कर्मचारियों को निकाल बाहर फेंका गया है। जबकि हल्दिया-पोसबुरा लाइन का कार्य पूरा होने पर भी मजदूरों को नहीं हटाया गया है। आश्चर्य की बात है कि रेल प्रशासन सभी जगह एक सी नीति का पालन नहीं करती।

जाखापुर–बांसपानी रेल लाइन का निर्माण हो रहा है और उसका इंजीनियरिंग सर्वेक्षण भी हुआ था तथा चालू वर्ष के बजट में उसके लिए रुपया भी स्वीकृत कर दिया गया है। इन श्रमिकों को इस लाइन के निर्माण में खपाया जा सकता है। खुर्दा रोड डिवीजन के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व रेलवे भर में माल लाइन फार्मूला लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने से खुर्दा रोड डिवीजन में 1,000 लोगों के लिए स्थान बनेंगे। मन्त्री महोदय इस सब की ओर ध्यान दें। जिससे मजदूरों की छंटनी न हो।

खुर्दा रोड रेलवे हाई स्कूल में 597 उड़िया और 704 तेलगु लड़के पढ़ रहे हैं। वहां अध्यापकों की कमी के कारण रेल कर्मचारियों को बड़ी चिन्ता होने लगी है। वहां कम से कम चार और अध्यापक शीघ्र नियुक्त किये जाने चाहिएं।

मैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलना चाहता था। मैंने उनसे समय लिया। जब मैं उनसे मिलने गया। तो मुझे उनके सहायक ने बताया कि वह विश्राम कर रहे हैं। मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। मैंने श्री ललित नारायण मिश्र को पत्र लिखा परन्तु उनकी मृत्यु के कारण मुझ उत्तर नहीं मिला। मन्त्री महोदय इस मामले पर ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ मैं मागों का समर्थन करता हूं।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : In respect of Demand No. 22 which pertains to accidents, compensation and amenities for passengers, I want to say that the young boys stop trains by pulling chains. Not only passenger trains but even mail trains are stopped 3, 4 or 5 times between the stations by pulling chains. At least in Bihar, Uttar Pradesh and Haryana the running of trains during the day time has become impossible.

Shri Kamlapati Tripathi : Please give some suggestions.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Two jawans of R.P.F. and G.R.P.may be posted in every important train. But with this process the boys would fear a little. They cannot face them.

The fencing installed in Railway Stations has become very old and the staff cannot check ticketless travel.

During the British days the maintenance of trees, flowers etc. at every Railway Station was properly done. But now in the name of economy drive these services have been done away with.

The compensation paid these days is insufficient and its rate should be increased.

The thefts of Railway property pose a serious problem. A high level committee be formed where in the members of opposition parties may sit with high officials and find out ways to check thefts.

It is very necessary to construct a Railway over-bridge. Main railway station in U. P.

The cases of compensation referred to here deserve serious consideration. This is a very big scandal. If it is proved wrong I am prepared to resign my sea.

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : Supporting the Demands of grants I stress that Railway Administration should endure to raise the incomes. If

Ever since the law Minister has taken the charge of Railway a lot of improvements have taken place. The proposed Kashi-Vishwanath train be run through Ayudhya, Faizabad and Barabanki.

The Railway Board is neither in favour of uneconomical lines nor it gives leads to the suggestions for profitable lines.

Tanda and Jabalpur are industrial towns, but sealdah express does not top at Malipur although efforts for this are being made for about 2 years. The railways incur a great loss, the trains do not stop there. I request the hon. Minister to look into it and provide a stoppage of trains at Malipur.

Narrow gauge lines in our area are being removed. If you can connect Ayudhya with Azamgarh via Ilafratganj and Tanda it would help a lot to sugarcane growers and sugar Mills. The land in the area is very fertile and it would increase Railway income.

Sir, Tanda is a famous commercial centre. This place is not linked with the main line. I want that Tanda—Akbarpur line should be extended up to Gosainganj. It will add to the railway earnings.

It is not good that the earnings from rural areas are spent on urban areas by providing underground Rail facility there. The incidence of thefts has increased in railways. This is done with the connivance of railway officers. The compensation is also sanctioned by these people. These people have their share in this. This should be looked into. Railway revenues can be increased many-fold by checking this type of pilferage.

Shri K. S. Chavda (Patan) : I have been demanding the Construction of Bhilari—Kausa line on Rajkot division of Western Railway for the last many years. The survey of this line has been completed. I request that keeping in view the difficult drought situation this line should be constructed on a priority basis. This line will have its strategic importance also.

The call for scheduled castes and scheduled tribes in railways is doing no work. I would like the hon. Minister to take personal interest in it. The reserved quota for these castes should be filled. More amenities for passengers should be provided.

Shri M. C. Daga (Pali) : One becomes habitual by living in certain type of circumstances. This is true in respect of Railway Ministers. I appreciate the introduction Kashi Vishwanath Express between Varanasi and Delhi. I would like the hon. Minister to pay surprise visits in trains. He will find that it is difficult to travel in trains. We are prepared to vote these demands but Government should provide more facilities to passengers.

Railway Administration should settle cases promptly, otherwise it has to pay large sums of money as a result of passing of court decrees.

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Navada) : Sir, it was assured by the former Railway Minister that a Railway line would be laid from Rajgir to Bodhgaya in Bihar. Both these places are places of pilgrimage. There are certain lines in Bihar where journey is not safe. Many dacoities take place on running trains. I would like him to pay attention to this and take steps.

Appointments in railways are made after taking bribe from the candidates This racket is going on in Bihar. An enquiry should be made in this. The dependants of loyal workers should be provided employment as was promised.

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : केरल में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलन की मांग काफी समय से है । वहां पर लोग समझने लगे हैं कि केन्द्रीय सरकार उनके राज्य की उपेक्षा कर रही है । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें ।

एक्सीक्यूटिव इंजीनियर का कार्यालय मदुरै स्थानान्तरित कर दिया गया है । अधिकारी लोग हमारी बात नहीं सुनते । हमारी मांग है कि यह कार्यालय नियंटीनकरा से हटाया न जाए । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ गाड़ियां रद्द की गई थीं उन्हें पुनः चालू किया जाये ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The Railway Board says some thing but in practice its performance is different. The orders of the Railway Minister are not implemented. All the employees should be taken back in service.

There is large scale corruption in the allotment of stalls in the railways. It should be checked. The rules in this regard should be changed. Not more than one stall should be alloted to one person. A large number of private canteen owners are fleecing Government.

I suggest that a committee be appointed to suggest improvements in the matter of running these canteens. There are many complaints against D. S. O. Ajmer. It should be looked into.

Madhya Pradesh is backward state. More railway lines should be provided there.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Sir, I want to refer to excess demand No. 10 in which there is a reference of the welfare of the employees. I want to say in this regard that Government boasts too much of the work it has done but actually it has done very little.

I have written many times about the poor service in Railway Hospital at Dhanbad. There is large scale bungling and corruption there. The trade Union leaders are levelling serious allegations against senior Officers. An enquiry should be ordered in the matter. Another point is with regard to Children; education. This allowance should be paid regularly and at right time.

Shri Ram Kanwar (Tonk) : Sir, Rajasthan is a very backward State. Rail links between Kota—Chitor, Banswara—Ratlam and Kota—Dohad should be provided in that State. It will help in removing the backwardness of the state. Government has announced that a broad gauge line will be provided between Delhi and Ahmedabad. How much time will be taken in implementing it.

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं अनुपूरक और अतिरिक्त मांगों के बारे में साथ-साथ बोलूंगा। पुरस्कार आदि देने का निर्णय प्रशासनिक निर्णय है। इस बारे में विस्तृत जानकारी पुस्तिका में दे दी गई है।

श्री हालदर ने माल-डिब्बों के उपलब्ध न होने की बात की है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हम डिब्बों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इस बारे में हमारी माल ढोने की क्षमता में वृद्धि हुई है।

वैगनों के बारे में मुख्य बात उनकी संख्या है। हमने देखा है कि सरकारी उपक्रमों द्वारा अधिक समय के लिये वैगन रोके रखे जाते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की गई है और स्थिति में सुधार हुआ है। पहले कुछ व्यापरी लोग डिब्बों से माल नहीं उतारते थे, परन्तु अब हमने विलम्ब-शुल्क बढ़ा दिया है। इस लिये अब स्थिति में सुधार हुआ है। अब हम एक ऐसा कानून बना रहे हैं कि यदि 7 दिन तक वैगनों से माल नहीं उतारा गया तो उसे राज्य सरकार को जनता में बिक्री के लिये दे दिया जायेगा।

रेलवे को मार्ग में माल के खो जाने के लिये एक बड़ी राशि मुआवजे के रूप में देनी पड़ती है। इसके लिये हम कार्यवाही कर रहे हैं। सम्बन्धित अधिकारियों को सतर्क किया जा रहा है। माल की चोरी को रोकने की दृष्टि से एक समिति नियुक्त की जा रही है जो समूचे प्रश्न पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी और सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

माननीय सदस्यों ने नई लाइनें बनाने की मांगें की हैं। हमें प्रत्येक परियोजना पर और सभी पहलुओं से विचार करना होगा। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

एक और प्रश्न अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में है। इस बारे रेलवे बोर्ड मे स्थापित किये गये सैल की आलोचना की गई है कि वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। मैं मानता हूं कि पहले कुछ त्रुटियां थीं। परन्तु अब मेरे सहयोगी श्री बूटा सिंह उसके इन्चार्ज हैं और मुझे आशा है कि वह इस में सुधार लायेंगे।

As Shri Ramavtar Shastri has spoken in Hindi. I would also do likewise. He has said that we do not utilise the amount allocated for staff welfare. It is a wrong contention. We spend crores of rupees for the welfare of railway employees and their families.

So far as the Children's education is concerned we are running 752 schools. We have some colleges also. During the year 1973-74 we spent Rs. 4·33 crores on this item.

I agree that there is Corruption in railways. To end this we need your Cooperation. If we catch hold of a corrupt person, all sorts of pressure is put on behalf of the corrupt persons.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मंत्रालय की निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों की मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई :-

The following Supplementary Demands in respect of Ministry of Railways were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	7,97,000
4	संचालन व्यय–प्रशासन	78,08,000
8	संचालन व्यय–परिचालन कर्मचारी और ईंधन को छोड़ कर	6,77,46,000
9	संचालन व्यय–विधि व्यय	8,68,03,000
12	सामान्य राजस्व को लाभांश और यात्री किराया कर के बदले राज्यों को अनुदान के लिये अंशदान	23,44,12,000
15	चालू निर्माण लाइन–पूंजी, मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	1,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	4,99,85,000
20	अति पूंजीकरण के परिशोधन के लिये भुगतान–सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण और उसके ब्याज की अदायगी—राजस्व आरक्षित निधि	49,86,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मंत्रालय की निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1972-73 मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Excess Demands for grants (Railway) 1972-73 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
5	संचालन व्यय--मरम्मत और अनुरक्षण	89,01,866
10	संचालन व्यय--कर्मचारी कल्याण	10,81,574
13	चालू लाइन निर्माण---राजस्व	7,79,949
15	चालू लाइन निर्माण---पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	9,23,69,570

विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1975

Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1975.

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, 2 और 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 1, 2 और 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक मे जोड़ दिये गये ।

Clauses 1, 2 and 3, the schedule, the enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

विनियोग (रलवे) संख्या 3 विधेयक, 1975

Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1975.

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 1973 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गयी उन रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 1973 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गयी उन रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 1973 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गयी उन रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 1973 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गयी उन रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिये और उन सेवाओं के लिये अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम विधेयक को खण्डवार लेंगे । प्रश्न यह है :

" कि खण्ड 1 से 3 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।"

Clauses 1 to 3, the schedule, the Enacting formula and title were added to the Bill.

श्री महम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात लोकसभा गुरुवार 20 मार्च, 1975/29 फाल्गुन, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 20th March, 1975/Phalguna 29, 1896 (Saka).

M/J(N)2LSS—200—20-8-75—GIPS